



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238527
CG-DL-E-01092022-238527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944

No. 599]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 678(अ).—केन्द्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 2 के उप-नियम (1) के, -

(i) खंड (iv) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi क) “हित संघर्ष” से “ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति का निजी या व्यक्तिगत हित पर्याप्त रूप से अपने पदीय कर्तव्यों के उद्देश्य कार्य को प्रभावित करने के लिए होता है और जहां ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन परिभाषित किसी कानूनी संरचना के साथ जुड़ने के लिए अपात्र होगा।”

(iii) खंड (ix) में,-

(क) उप-खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(च) बचाव, पुनः बहाली और अनुवर्ती कार्रवाई”;

(ख) उप-खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(छ) सामाजिक मुख्यधारा में लाना और पुनर्वास”;

(iv) खंड (xii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(xii) “भारसाधक व्यक्ति या अधीक्षक” से बाल देखरेख संस्था नियंत्रण और प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है”;

(v) खंड (xiv) में “संस्था में” शब्दों के स्थान पर, “संस्था के लिए” शब्द रखे जाएंगे;

(vi) खंड (xviii) में, -

(क) “स्नातक डिग्री और बाल शिक्षा तथा विकास या संरक्षण संबंधी मुद्दों पर कार्य का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो” शब्दों के स्थान पर, “बाल शिक्षा और विकास से संबंधित मामलों में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक” शब्दों को रखा जाएगा।

(ख) “अधिनियम या इन नियमों के अधीन” शब्दों के स्थान पर, “अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन” शब्दों को रखा जाएगा।

(ग) स्पष्टीकरण में, “इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए” शब्दों के स्थान पर, “इस खंड के प्रयोजन के लिए” शब्दों को रखा जाएगा।

3. मूल नियमों में, नियम 4 के उप-नियम (3) में, “न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी” शब्दों के स्थान पर “अधिसूचना की तारीख को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी” शब्दों को रखा जाएगा।

4. मूल नियमों के नियम 5 में, -

(i) उप-नियम (2) में “जो कि लगातार नहीं होंगे” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) यदि बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों की बाबत के सिवाय मामलों में आवश्यक जांच कराएगी; न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को कार्यवाही हेतु उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास भेज दी जाएगी।

(6) राज्य सरकार दो मास की अवधि के भीतर जांच पूरा करेगी और एक मास के भीतर समुचित कार्यवाही करेगी।

(7) यदि संबंधित सदस्य के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज होता है तो यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार जांच करने और मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या जो उपयुक्त समझे उतनी अवधि के लिए लंबित जांच के लिए सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकेगी।”।

5. मूल नियमों के नियम 6 में, -

(i) उप-नियम (2) में “उपस्थित न रहे” शब्दों के स्थान पर “उपस्थित नहीं रहेगा” शब्दों को रखा जाएगा।

(ii) उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7क) बोर्ड, विधि संघर्ष करने वाले अधिकथित बालक या अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्यों के शारीरिक परिवर्तन को सीमित करने वाले अपराधियों के मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बैठकों का आयोजन कर सकेगा।

परंतु बच्चे के मामले में किसी डॉक्टर या मनोचिकित्सक या परामर्शदाता या शारीरिक देखरेख की आवश्यकता हो तो बैठक नियम 6 के उप-नियम (1) में यथाउपबंधित परिसर में की जाएगी।”।

6. मूल नियमों के नियम 7 में, -

- (i) उप-नियम (1) में खंड (v) “जिला बाल संरक्षण इकाई” शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट” शब्दों को रखा जाएगा;
- (ii) उप-नियम (1) के खंड (vi) में “बोर्ड के परिसरों” शब्दों के पश्चात् “या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह या सुरक्षित स्थान” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उप-नियम (1) खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(vi क) सुझाव या शिकायत प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का सृजन भी किया जाएगा, जिसे बोर्ड द्वारा पहुंच किया जा सके।

(iv) उप-नियम (1) के खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(viii) बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका की प्रत्येक निरीक्षण के दौरान समीक्षा करेगा और बच्चों की बेहतरी के निर्धारण हेतु बच्चों की समस्याओं और मुद्दों को समझने के लिए बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों तथा भारसाधक व्यक्ति की अनुपस्थिति में बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के साथ एक-एक करके या समूह में बातचीत करेगा और तदनुसार इन बाल देखरेख संस्थाओं को सूचना और सिफारिशें देगा।”

7. मूल नियमों के नियम 8 में,-

(i) उप-नियम (3) के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii क) अधिनियम और नियमों के अधीन बालक के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में तुरंत बालक या माता-पिता या संरक्षक को भी सूचित करेगा ;

(iii ख) बालकों के अधिकारों को प्रत्येक पुलिस थाने और संप्रेक्षण गृहों, विशेष गृहों, सुरक्षित स्थान में प्रमुख स्थानों पर भी लगाएगा;”।

(ii) उप-नियम (6) में शब्द “और चाइल्डलाइन सेवाओं” का लोप किया जाएगा;

8. मूल नियमों के नियम 9 में, -

(i) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(2क) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट बालक से संबंधित सूचना जैसा कि इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पोर्टल पर अपलोड की गई है।”।

(ii) उप-नियम (3) में “धारा 83” के शब्द और अंक के स्थान पर “धारा 78 और धारा 83” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

9. मूल नियमों के नियम 12 में,

(i) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2 क) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (2) में प्रस्तुत संप्रेक्षण गृहों और इसी प्रकार के अन्य गृहों पर किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान पाई जाने वाली लंबितताओं, विषमताओं के कारणों का परीक्षण करेगा और बोर्ड के समक्ष मामलों की लंबितता में कमी लाने और प्राधिकरणों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरणों जैसे कि पुलिस, चिकित्सा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें भेजेगा।

(2ख) जहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा से बोर्ड के सदस्यों के कारण लंबितता के कारणों का पता चलता है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को सूचित करेगा ।

(2ग) राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को उपर्युक्त कार्यवाही की सिफारिश करेगी।”;

(ii) उप-नियम (3) में, “इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा” शब्दों के स्थान पर “उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी” शब्दों को रखा जाएगा।

10. मूल नियमों के नियम 15 में, -

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा; अर्थात्:-

“(3) अध्यक्ष और सदस्य पैंतीस वर्ष से अधिक आयु के होंगे किंतु पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी और जिनके पास बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष का अनुभव हो या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यवसायिक वृत्तिक डिग्री है।”;

(ii) उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस उप-नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सदस्य के मामले में वर्जित नहीं होगी”;

(iii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4 क) समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को फार्म 49 के अनुसार शपथपत्र जमा करना होगा जिसमें अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 4 क में अधिकथित किसी भी शर्त से आवेदक को वर्जित न किया गया हो। समुचित सरकार मानदंड के अनुसार उसका सत्यापन करेगी।

(4 ख) विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(4 ग) किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।”

स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(क) परिवार का कोई भी सदस्य जो किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ख) घनिष्ठ संबंध किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहे व्यक्तियों के मामले;

(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

(4 घ) यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार आवश्यक जांच करेगी और दो माह की अवधि के भीतर जांच को पूरा करेगी और राज्य सरकार जांच के पूरा होने के एक माह के भीतर उचित कार्यवाही करेगी।

(4 ड.) राज्य सरकार द्वारा जांच किए बिना समिति के किसी अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

(4 च) यदि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो सरकार संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को तत्काल बिना जांच के लंबित करते हुए, उचित अवधि के लिए, या जांच करने के पश्चात् और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निलंबित कर सकती है।”।

11. मूल नियमों के नियम 16 के उप-नियम (4) में, “कोई भी ऐसा व्यक्ति कमरे में उपस्थित न रहे, जिसका मामले से कोई संबंध न हो” शब्दों के स्थान पर “मामले से न जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा” शब्दों को रखा जायेगा।

12. मूल नियमों के नियम 17 में, -

(i) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(iii क) अधिनियम की धारा 109 के अधीन निगरानी के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 30 के खंड (viii) के अधीन किए गए निरीक्षण की त्रैमासिक रिपोर्ट, जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत की जाएगी;”;

(ii) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) बाल देखरेख संस्थान में प्रत्येक निरीक्षण के दौरान, बाल सुझाव और शिकायत पुस्तिका की समीक्षा करेगा और उनकी बेहतर की निर्धारण और तदनुसार बाल देखरेख संस्थाओं को सूचनाएं और सिफारिशें प्रदान करने के लिए बच्चों की समस्याओं और मामलों को समझने हेतु बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों तथा भारसाधक व्यक्ति की अनुपस्थिति में बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के साथ एक-एक करके या समूह में बातचीत भी करेगा;”;

(iii) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v क) अधिनियम की धारा 40 की उप धारा (4) के प्रयोजनों के लिए समिति, राज्य सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वापस लाए गए, मृत या भागे हुए बच्चों के संबंध में प्ररूप 16 में त्रैमासिक सूचना प्रस्तुत करेगी;”;

(iv) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(vii क) कम से कम पांच साल तक के मामलों के रिकॉर्ड रखें;”;

(v) खंड (viii) में, “सॉफ्टवेयर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाए” शब्दों के पश्चात्, शब्द “जिसका कम से कम पांच साल के मामले का रिकॉर्ड रखा जाता है।” अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vi) खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ix) यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी विधिक संरक्षक वाले बालकों को उनकी आयु पर विचार किए बिना शीघ्रातिशीघ्र अधिनियम, नियमों तथा विनियम में यथा-उपबंधित समय-सीमा के भीतर दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है;

(x) बिना संरक्षक वाले और कई वर्षों में अपने संरक्षकों के संपर्क में न रहने वाले बालकों के साथ बातचीत करेगी तथा पालक देखरेख और दत्तकग्रहण सहित परिवार आधारित देखभाल के लाभ के लिए इन बालकों को परामर्श देगी;

(xi) यथास्थिति, जिला बाल संरक्षण इकाई या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बाल देखरेख संस्था को निदेश देते हुए और दत्तकग्रहण के लिए बालक की विधिक स्थिति को घोषित करने की प्रक्रिया में बालक के प्रस्तुतिकरण के मामले में वास्तविक और वर्चुअल दोनों तरीके से सभी संबंधित के साथ बातचीत करेगी।”।

13. मूल नियमों के नियम 18 में, -

(i) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) उन असाधारण स्थितियों में, जब बालक और समिति किसी असम्भाव्य परिस्थितियों के कारण एक दूसरे तक पहुंचने में निर्बाधित हो वहां बालक को वर्चुअल तरीके से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा और समिति पहले ही अवसर में बालक के साथ आमने-सामने बातचीत करेगी।”;

(ii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(10) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इस नियम में निर्दिष्ट बालक से संबंधित सूचना जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पोर्टल पर अपलोड की गई है।”।

14. मूल नियमों के नियम 19 में, -

(i) उप-नियम (3) में “या बाल कल्याण अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) बालक को गैर-संस्थागत देखरेख में रखने के मामले में, समिति प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना विकसित करने के लिए संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश देगी और संस्थागत देखभाल के मामले में प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना विकसित करने हेतु संबंधित बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन को निर्देश देगी जिसमें पुनर्वास योजना भी शामिल है।

(4 क) प्रत्येक बालक के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना, चाहे वो संस्थागत देखरेख में हो या गैर-संस्थागत देखरेख में, को बालक के इतिहास, परिस्थितियों तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए गैर-संस्थागत देखरेख में दत्तकग्रहण शामिल नहीं होता है।”;

(iii) उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7 क) समिति मामले का निपटारा करते हुए और संस्था में बालक को रखते समय यह सुनिश्चित करेगी कि वह संस्था अधिनियम की धारा 41 के अधीन एक पंजीकृत बाल देखरेख संस्था हो या अधिनियम की धारा 51 के अधीन घोषित उचित सुविधा हो।”;

(iv) उप-नियम (8) में “या बाल कल्याण अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(8 क) जिला बाल संरक्षण इकाई पन्द्रह दिन के भीतर सामाजिक अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”;

(vi) उप-नियम (17) में “या बाल कल्याण अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

15. मूल नियमों के नियम 20 में, -

(i) उप-नियम (3) में, “इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति” शब्दों के स्थान पर “राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) समिति की कार्यप्रणाली से उत्पन्न होने वाली कोई शिकायत प्रभावित बालक द्वारा या बालक से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी जो कि समुचित आदेश पारित करके तीस दिन की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करेगा।”।

16. मूल नियमों के नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“21. बाल देखरेख संस्थानों के पंजीकरण का तरीका

(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए संस्थागत देखरेख सेवाओं का संचालन करने वाली सभी संस्थाओं, चाहे वे सरकार द्वारा संचालित हो या स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जा रही हों, को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकरण या अनुज्ञप्ति प्राप्त हो का ध्यान दिए बिना अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।

(2) ऐसी सभी संस्थाएं अपने नियमों, उप-नियमों, संज्ञम-ज्ञापन, शासकीय निकाय की सूची, पदाधिकारियों, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों का तुलन पत्र, संस्था द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई सामाजिक या जन सेवा के पिछले रिकॉर्ड के विवरण और व्यक्ति या संगठन से यह घोषणा कि उनका कोई पूर्व दोषसिद्ध का रिकॉर्ड नहीं है या वे किसी अनैतिक कार्य या बाल दुर्व्यवहार के कार्य या बाल श्रम के रोजगार में शामिल नहीं रहे हैं या उन्हें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, की प्रति सहित प्ररूप 27 में आवेदन करेंगे;

- (3) राज्य सरकार पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, प्ररूप 46 क में जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशें मंगवाने के लिए आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजेंगे।
- (4) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर जिले में आवश्यकता की तुलना में प्राप्त होने वाले अनुरोधों की जांच कर सकेगा।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट बाल देखरेख संस्था और अभिकरण या संस्था को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता, पृष्ठभूमि और पिछले रिकॉर्ड की जांच करेगा और विचार हेतु राज्य सरकार को विशिष्ट सिफारिशें करेगा।
- (6) सिफारिशें करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :-
- (i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन का पंजीकरण;
 - (ii) भौतिक अवसंरचना, जल तथा बिजली सुविधाएं, स्वच्छता और साफ-सफाई मनोरंजन सुविधाओं और पोषण योजना का ब्यौरा;
 - (iii) विगत तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित विवरण सहित संगठन की वित्तीय स्थिति और दस्तावेजों का रखरखाव;
 - (iv) संस्था या मुक्त आश्रय के संचालन के लिए शासकीय निकाय का संकल्प;
 - (v) नए आवेदकों के मामले में बच्चों के लिए सेवाएं जैसे कि चिकित्सकीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, परामर्श तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यवाही योजना;
 - (vi) संरक्षा, सुरक्षा और परिवहन और दिव्यांग बच्चों की सहायता और पहुंच की व्यवस्था;
 - (vii) संगठन द्वारा चलाए जा रहे अन्य सहायता सेवाओं का ब्यौरा;
 - (viii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के अधीन यथा-विहित ऐसे क्षेत्र पड़ोसी सीमा के भीतर किसी विद्यालय के पास की संस्था;
 - (ix) बालकों को आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने पर अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, निगम तथा अन्य समुदाय आधारित अभिकरणों के साथ सहलग्न और नेटवर्किंग का ब्यौरा;
 - (x) मौजूदा कर्मचारियों का उनकी अर्हता तथा अनुभव सहित ब्यौरा;
 - (xi) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पंजीकृत तथा उपलब्ध निधियां यदि कोई है, का ब्यौरा;
 - (xii) व्यक्ति या संगठन की ओर से यह घोषण कि उनका कोई पिछला दोषसिद्धि का रिकॉर्ड नहीं रहा है या वे किसी अनैतिक कार्य या बाल दुरुपयोग के किसी कार्य या बाल श्रम के नियोजन में शामिल नहीं रहे हैं;
 - (xiii) राज्य सरकार द्वारा यथा-विहित कोई अन्य मानदंड;
 - (xiv) सिफारिश करते समय, जिला मजिस्ट्रेट वर्तमान संस्थाओं के कब्जा स्तरों तथा अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्राधिकरणों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त संस्थाओं की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा ताकि वे अधिनियम के अधीन उपबंधों के साथ बाल देखरेख संस्थाओं के अनुपालन को सुनिश्चित कर सके;
 - (xv) इस संबंध में प्रमाण कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और नियमों का अनुपालन कर लिया गया है।
- (7) राज्य सरकार, अधिनियम और नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास सुविधाओं, रोजगार सुविधाओं और पुनर्वास के लिए संस्थान में मौजूद प्रावधानों का सत्यापन करने के पश्चात् तथा जिले की मांगों और आवेदक संस्थान के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त सिफारिश की जांच करने के पश्चात् प्ररूप 28 में अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन ऐसे संस्थान को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी।

(8) राज्य सरकार, पंजीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय, निम्नलिखित पर विचार करेगी, अर्थात:-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशें;
- (ii) इस बात की पुष्टि करेगी कि सभी पात्रता शर्तों को अधिनियम के अनुसार पूरा कर लिया गया है;
- (iii) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा यथा-विहित किसी अन्य मानदंड का पालन कर लिया गया है।

(9) राज्य सरकार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले संस्थान में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में अंतरिम पंजीकरण की अनुमति नहीं देगी और राज्य सरकार आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की समाप्ति के पूर्व यह आदेश जारी करेगा कि संस्था, अंतरिम पंजीकरण का भी हकदार नहीं है।

(10) जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के अधीन पंजीकृत जिले के सभी संस्थानों का विस्तृत वार्षिक निरीक्षण करेगा और ऐसा निरीक्षण प्ररूप 46 के अधीन यथा उपबंधित फॉर्मेट में दिया जाएगा।

(11) यदि निरीक्षण और वार्षिक समीक्षा से यह पता चलता है कि अधिनियम और नियमों के अधीन यथा अधिकथित देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और एकीकरण सेवाओं तथा संस्थान के प्रबंधन के मानकों का अनुपालन संतोषजनक रूप से नहीं हुआ है या फिर सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं तो राज्य सरकार किसी भी समय संस्था के प्रबंधन को नोटिस जारी करेगी और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात यथास्थिति विस्तृत निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर यह घोषणा करेगी कि संस्था या संगठन का पंजीकरण नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ले लिया जाएगा या रद्द हो जाएगा और उक्त तारीख से संस्था को अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहेगी।

(12) यदि कोई संस्था अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहता है या वह उक्त उपबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है या उसे अंतरिम पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है तो उक्त संस्था का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा या उसमें रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत किसी अन्य संस्था में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(13) सभी संस्थाएं पंजीकरण की अवधि के समाप्त होने से तीन माह पूर्व पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने के लिए बाध्य होंगी और संस्था के पंजीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने में उनकी असफलता के मामले में संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहेगी और इस नियम के उप-नियम (8) के उपबंध लागू होंगे।

(14) किसी संस्था के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(15) पंजीकरण के नवीकरण पर विनिश्चय नवीकरण की अपेक्षा वाले वर्ष में प्ररूप 46 क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित होगा।

(16) केंद्रीय सरकार, आवेदन की प्राप्ति और प्रक्रिया या पंजीकरण देने या उसके रद्द करने के लिए माडल आनलाइन प्रणाली विकसित करने को सुकर बनाएगी और इस बीच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद प्रणालियां जारी रहेगी।”।

17. मूल नियमों के नियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“21 क समूह पालक देखरेख के पंजीकरण का तरीका :-

- (1) प्रत्येक समूह पालक देखरेख को इन नियमों के अधीन यथाविहित तरीके से अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।
- (2) ऐसे सभी पालक परिवार जो समूह पालक देखरेख के अधीन बालकों की देखरेख करने के इच्छुक हैं, राज्य सरकार को आवेदन करेंगे। आवेदन के समय, पालक परिवार किसी भी पिछले दोषसिद्धि रिकॉर्ड या किसी अनैतिक कार्य में शामिल होने या बाल शोषण या बाल दुर्व्यहार के किसी कार्य में शामिल होने या इसे राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाले जाने के संबंध में भी प्ररूप 50 के अधीन घोषणा करेगा।

- (3) समुचित सरकार, तब पालक परिवार के घोषणा पत्र का सत्यापन करेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो पालक परिवार दांडिक कार्रवाई और तत्काल अनर्हता के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) समूह पालक देखरेख के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, आवेदन को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को समूह पालक देखरेख का निरीक्षण करने और अपनी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से सिफारिश की मांग प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निरीक्षण करेगा और प्ररूप 47 के अनुसार अपनी सिफारिश भेजेगा।
- (6) जिला मजिस्ट्रेट समूह पालक देखरेख के पंजीकरण के लिए अपनी सिफारिशें करते समय यह जांच करेगा कि समूह पालक देखरेख में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, अर्थात्: -
 - (क) पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आश्रय तथा शिक्षा प्रदान करना;
 - (ख) बच्चे के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, सहायता और उपचार प्रदान करना;
 - (ग) शोषण, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करना;
 - (घ) मनोरंजन, खेल, संगीत, नृत्य, नाटक, कला, और इसी तरह की पाठ्येतर गतिविधियों के लिए आयु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना;
 - (ङ.) बालक के हितों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना;
 - (च) व्यक्तियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन;
 - (छ) पिछले तीन वर्षों के लिए व्यक्तियों की आयकर विवरणी;
- (7) जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने और यह सत्यापित करने के पश्चात् कि बालकों की देखरेख और सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा, व्यावसायिक सुविधाओं के लिए प्रावधान मौजूद हैं, राज्य सरकार प्ररूप 48 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी।
- (8) जिला मजिस्ट्रेट संस्था के पंजीकरण के पश्चात् प्ररूप 47 में वार्षिक समीक्षा हेतु विस्तृत निरीक्षण करेंगे।
- (9) अधिनियम की धारा 44 के अधीन अनिवार्य रूप से, बाल कल्याण समिति प्ररूप 47 के अनुसार समूह पालक देखरेख का मासिक निरीक्षण करेगी।
- (10) सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निरीक्षण समितियों और बाल कल्याण समितियों की निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ साझा की जाएगी।
- (11) जहां कहीं जिला मजिस्ट्रेट या निरीक्षण समितियां या बाल कल्याण समिति समूह पोषण देखरेख को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करती हुई पाती है, वहां जिला मजिस्ट्रेट या समिति सुविधा के पंजीकरण को रद्द करने की राज्य सरकार को सिफारिश करेगी और निम्नलिखित सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए बालकों को सुविधा से तत्काल स्थानांतरित करेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, पंजीकरण कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रद्द होगा।”।

18. मूल नियमों के नियम 23 में, -

(i) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) बालकों को पोषण देखरेख में रखते समय, राज्य सरकार वरीयता क्रम में निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी, अर्थात्: -

(i) बालक को एक समान सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रखा गया है;

(ii) पहली वरीयता बालक के विस्तारित परिवार को दी जाएगी, जिसमें बालक के जैविक या दत्तक माता-पिता सम्मिलित नहीं हैं;

परंतु परिवार का कोई भी तत्काल या विस्तारित सदस्य बालक पर दुर्व्यवहार का कथित आरोपी/अपराधी न हो।

(iii) दूसरी वरीयता बालक के ज्ञात गैर-रिश्तेदार परिवार को दी जाएगी।

(iv) गैर-रिश्तेदार पोषण परिवार को तीसरी वरीयता दी जाएगी।

(v) समूह पोषण देखरेख को चौथी वरीयता दी जाएगी।”;

(ii) उप-नियम (3) में, “समिति द्वारा लिए जाएंगे” शब्दों के स्थान पर, “समिति द्वारा तीन महीने की अवधि के भीतर लिए जाएंगे” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(9क) जिला बाल संरक्षण इकाई निर्देश के दिन से तीस दिन के भीतर समिति को भावी पोषण देखरेख परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”;

(iv) उप-नियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(11) किसी भी दिए गए समय में पोषण देखरेख के अधीन रखे गए बालकों की संख्या पोषण परिवार के जैविक बालकों छोड़कर दो बच्चों (भाई-बहन के सिवाय) से अधिक नहीं होगी और समूह पोषण देखरेख के अधीन बालकों की संख्या पोषण देखरेख से जैविक बच्चों सहित आठ बच्चों से अधिक नहीं होगी।”;

(v) उप-नियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(13) जिला बाल संरक्षण इकाई, जब समूह पोषण देखरेख तय करने का चयन कर रही हो, निम्नलिखित दृष्टांत रूप मानदंडों पर विचार करेगी, अर्थात् :-

(i) समूह पोषक देखरेख सेटिंग इन नियमों के नियम 21क के अधीन पंजीकृत होगी और समूह पोषण देखरेख सेटिंग का निरीक्षण इन नियमों के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार संचालित होगा;

(ii) इन नियमों के नियम 21क के अधीन पंजीकृत समूह पोषण देखरेख सेटिंग, अधिनियम और इन नियमों के अधीन दिए गये मानदंडों और मानकों का पालन करेंगे तथा इन नियमों के अधीन अधिकथित मानदंड और मानक समूह पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के अनुसार लागू होंगे, जो पोषण देखरेख करने वाले व्यक्तियों के जैविक बालकों सहित अधिकतम आठ बालकों की संख्या होगी;

(iii) बाल संरक्षण नीति का अस्तित्व;

(iv) बालकों के लिए पर्याप्त स्थान और उचित सुख सुविधाएं;

(v) आठ बालकों से अधिक आवासन की कोई सुविधा जिसके अंतर्गत समूह पालन पोषण देखरेख में जैविक बालक भी हैं बाल देखरेख संस्था के रूप में पंजीकृत की जाएगी;

(vi) परिसरों में निवास कर रहे समूह पालन पोषण देखरेखकर्ता के सभी सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्ट जिसके अंतर्गत ह्युमन इम्युनो डेफिशिएंसी वायरस, क्षयरोग और हेपेटाइटिस बी आदि के लिए रिपोर्ट भी है, यह अवधारण करने के लिए कि वे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है, प्राप्त की जाएगी।”।

(vi) उप-नियम (14) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(14) केंद्रीय सरकार गैर-संस्थागत देखरेख के लिए मॉडल दिशानिर्देश जारी करेगी जिसमें पालन पोषण देखरेख और समूह पालन पोषण देखरेख शामिल है, जिसके आधार पर पालन पोषण देखरेख और सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।”।

(vii) उप-नियम (19) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(20) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख को पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से काली सूची में डाल दिया जाएगा और अधिनियम के अधीन बच्चे को दत्तक लेने के लिए भी पात्र नहीं होगा:

(i) यदि पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में व्यक्तियों को नैतिक नीचता वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, और इस तरह की सजा को पलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है;

(ii) यदि किसी जांच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज बाल शोषण या मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत को साबित किया गया है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक काली सूची में डाला गया पोषक परिवार या सामूहिक पोषक परिवार पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।”।

19. मूल नियमों के नियम 24 में, -

(i) उप-नियम (1) में खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा; अर्थात :-

“(iii) सामुदायिक और संगठनात्मक प्रायोजन;”;

(ii) उप-नियम (1) में खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(vi) सार्वजनिक या निजी संस्थानों, कंपनियों या निगमों के माध्यम से प्रायोजन;

स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्य हेतु प्रायोजन को परिवार या रिश्तेदार या संरक्षक को बच्चे को वापस करने के उद्देश्य के लिए परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।”;

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम को रखा जाएगा अर्थात :-

“(2) जिला मजिस्ट्रेट हितधारकों के साथ परामर्श से जिले के लिए प्रायोजकता योजना बनाएगा, सार्वजनिक और निजी योगदानों के माध्यम से संसाधनों का सृजन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि जिले में संवेदनशील बच्चों को उनकी अपेक्षा के अनुसार आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाए।”;

(iv) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(2क) जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे के प्रायोजन में रूचि रखने वाले व्यक्तियों या परिवारों या संगठनों का पैनल तैयार करेगा।”;

(v) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियमों को रखा जाएगा, अर्थात;

“(4) जिला बाल संरक्षण इकाई प्ररूप 36 में प्रायोजन के अंतर्गत बच्चे को रखने के लिए समुचित आदेश पारित करने हेतु बोर्ड या समिति या बच्चों के न्यायालय के पैनल को भेजेगी।

(5) जिला बाल संरक्षण इकाई, व्यक्तिगत प्रायोजन के मामले में प्राथमिक रूप से माता द्वारा बालक के नाम से परिचालित किया जाने वाला खाता खोलेगा और धन को जिला बाल संरक्षण इकाई से बच्चे के बैंक खाते में सीधे ही हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(6) प्रायोजन की अवधि बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार होनी चाहिए जिसमें अठारह वर्ष तक की आयु की अवधि शामिल हो सकेगी और यह बच्चे के पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम तक भी विस्तारित हो सकेगी।”।

(vi) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(7) संस्थानों, संगठनों, कंपनियों या निगमों या तो सार्वजनिक या निजी के माध्यम से प्रायोजन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार होगी।”

20. मूल नियमों के नियम 25 में, -

(i) उप-नियम (1) में “राज्य सरकार तैयार करेगी” शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार तैयार करेगी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,

“(2क) जिला मजिस्ट्रेट उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों, शिक्षा के लिए ऋण या बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बच्चों के लिए छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रवृत्तियों को सुगम बना सकता है और सरकारी स्कीमों या निजी व्यवसायियों के साथ अभिसरण को इस उद्देश्य के लिए खोजा जा सकता है।

(2ख) जिला मजिस्ट्रेट इस शर्त के अधीन कि यह कारबार या उद्योग या अभिकरण बच्चों के अनुरूप हो और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के अधीन अधिदेशित अनुसार बाल संरक्षण नीति के अनुकूल हो स्थानीय कारबार और उद्योग के सहयोग से कैम्पस प्लेसमेंट और शिक्षुता समनुदेशन को सुगम बना सकता है।

(2ग) जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने कि बच्चों का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो के लिए पुलिस और अन्य हितधारकों की मदद से इन व्यवस्थाओं पर निगरानी रख सकेगा।”

21. मूल नियमों के नियम 27 में, -

(i) उप-नियम (8) में, “बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी” शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय और विशेष किशोर पुलिस इकाई को भेजी जाएगी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (9) में, “बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय और विशेष किशोर पुलिस इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी” शब्दों को रखा जाएगा;”

(iii) उप-नियम (10) में, “(viii) सामूहिक पालन पोषण देखरेख” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

22. मूल नियम के नियम 28 में, -

(i) उप-नियम (5) में, “बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी” शब्दों के लिए “जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई को भेजी जाएगी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (6) में, “विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजी जाएगी” शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजी जाएगी” शब्द रखे जाएंगे।

23. मूल नियम के नियम 33 के उप-नियम (8) में खंड (IV) के उप खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ज) बाल देखरेख संस्था में किसी बालक का जन्मदिन।”

24. मूल नियम के नियम 34 में, -

(i) उप-नियम (3) में, खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(v क) निकटतम सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की सहायता से प्रत्येक बच्चे की आवधिक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच की जाएगी;”

(ii) उप-नियम (3) में, खंड (xii) में “को अर्हता प्राप्त कार्मिकों द्वारा चलाए जा रहे उपयुक्त केंद्रों” शब्दों के पश्चात् “या मंत्रालय या विभाग की किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत चलाए जा रहे केंद्रों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-नियम (6) में, “जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से राज्य सरकार” शब्दों के स्थान पर, “मुख्य या जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(6क) राज्य सरकार से जिले में पर्याप्त सुविधाएं न होने की स्थिति में संपर्क कर सकेगी और संबंधित राज्य सरकार सभी ऐसे मामलों में आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।”

25. मूल नियम के नियम 35 में, -

(i) उप-नियम (2) में “अनुकूल बनाने में भाग लेंगे” शब्दों के स्थान पर “ऐसे अनुकूल बनाने में अनिवार्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उपबंध करेंगे” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्वास्थ्य मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत राज्य या जिला स्तर पर संबंधित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जाएगा।”

26. मूल नियम के नियम 37 में, -

(i) उप-नियम (4) में, “तिमाही आधार पर” शब्दों के पश्चात् “जिला मजिस्ट्रेट को” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) जिला मजिस्ट्रेट बालकों के कौशल और रोजगार प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के विद्यमान कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित कर सकेगा।

(6) बाल देखरेख संस्थान या गैर-संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के बालक को कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण का विकल्प दिया जा सकता है।”

27. मूल नियम के नियम 39 में, उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6क) जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रबंधन समितियों की सिफारिशें तथा जिले में सभी बाल देखरेख संस्थाओं से सुझाव पेटी से मासिक आधार पर बालकों से प्राप्त होने वाले सुझावों, इस पर की गई कार्यवाही का संकलन करेगी तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

28. मूल नियम के नियम 41 में, -

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) राज्य सरकार राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति और जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे।”;

(ii) उप-नियम (6) में, “इसे उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी” शब्दों के स्थान पर, “इसे उपयुक्त कार्यवाही के लिए जिला मजिस्ट्रेट और राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6क) राज्य निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट को दौरे के दो सप्ताह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।”;

(iv) उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक माह के भीतर उपर्युक्त कार्यवाही की जाएगी और इसकी अनुपालन रिपोर्ट को दो माह की अवधि में राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।”;

(v) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(8) जिला निरीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (i) अपर जिला मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष;
- (ii) बोर्ड या समिति का सदस्य;
- (iii) जिला बाल संरक्षण अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में;
- (iv) जिले के मुख्य अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा मनोनीत एक चिकित्सा अधिकारी;

- (v) बाल अधिकारों, देखरेख, संरक्षण और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी का एक सदस्य जो किसी बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन या संगठन का भाग न हो या किसी बाल देखरेख संस्था के संगठन में उसका कोई हित न हो
- (vi) एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिसे बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो; तथा
- (vii) समाज से प्रतिष्ठित कोई अन्य व्यक्ति जिसका हितों का टकराव न हो, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझा जाए।”

(vi) उप-नियम (11) में, “जिला बाल संरक्षण इकाई” शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट” शब्द रखे जाएंगे;

(vii) उप-नियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(13) जिला मजिस्ट्रेट जिला निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे।”

(viii) उप-नियम (13) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(14) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को, जिला में कार्य कर रही बाल देखरेख संस्थाओं और उनके सुधार के लिए किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट वर्ष में एक बार प्रस्तुत करेगा।”

29. मूल नियम के नियम 43 में,-

(i) उप-नियम (1) में, “बाल देखरेख समिति दत्तक विनियमों में उपलब्ध प्ररूपों में” शब्दों के पश्चात् “मासिक आधार पर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उप-नियम (1) में दी जाने वाली जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को प्ररूप 16 क में उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति द्वारा प्ररूप 16 क में प्रस्तुत रिपोर्ट के पुनरावलोकन के पश्चात्, दत्तक के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालकों को दत्तक लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।”

30. मूल नियम के नियम 44 के उप नियम (1) में, -

(i) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) प्रत्येक बालक जिसे देश में दत्तकग्रहण या अंतर-देश में दत्तकग्रहण के लिए परिवार नहीं मिलता है और उसे दत्तकग्रहण के लिए कठिन श्रेणी के तहत रखा जाता है, जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी या समिति द्वारा सिफारिश पर पालक देखरेख में रखा जाने का पात्र होगा।”;

(ii) खंड (iii) और (iv) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (v) में,-

(क) “न्यूनतम पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “न्यूनतम दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में पंजीकरण होने के बाद” शब्दों के स्थान पर “प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकरण के बाद” शब्द रखे जाएंगे।

31. मूल नियम के नियम 45 में,-

(i) “न्यायालय से पूर्व प्रक्रिया”, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व प्रक्रिया” पार्श्व शीर्ष को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (1), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत) से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, दत्तक विनियम में यथाउपबंधित प्रक्रिया होगी।”;

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) जिला मजिस्ट्रेट, दत्तक के आदेश हेतु आवेदन के उद्देश्य के लिए, अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।”;

(iv) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) न्यायालय के समक्ष लंबित दत्तक-ग्रहण मामलों से संबंधित सभी मामले इन नियमों के लागू होने की तिथि से जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित माने जाएंगे।”]

32. मूल नियम के नियम 46 में, -

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत), जैसा भी मामला हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबंधित है, आवेदन दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर दत्तक के आदेश के लिए एक आवेदन का निपटान करेगा।”;

(ii) उप-नियम (2) में, “कोई सूचना अथवा न्यायालय आदेश को” के स्थान पर, “जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कोई सूचना या दत्तक ग्रहण आदेश” शब्द रखे जाएंगे।

33. मूल नियम के नियम 49 के उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (vii) में, “राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों” शब्दों के पश्चात्, “जिला मजिस्ट्रेट” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) खंड (viii) में, “राज्य सरकारों तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों” शब्दों के स्थान पर, “राज्य सरकारें, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों और जिला मजिस्ट्रेट” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ix) में, उप-खंड (ख) में, “तथा बाल देखभाल संस्थान” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iv) खंड (xi) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(xi) दत्तक के उद्देश्य के लिए बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित एक व्यापक केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल बनाए रखें;”।

34. मूल नियम के नियम 50 में, -

(i) उप-नियम (4) में, उप-खंड (ii) में, “बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली” शब्दों के स्थान पर, “दत्तक के उद्देश्य से बच्चों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल”, शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (8) में, “राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से” शब्दों के स्थान पर, “विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (15) में, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्रति बैठक रु. 1,000/- बैठक शुल्क,” के स्थान पर “प्रति बैठक दो हजार रुपए से कम न हो बैठक शुल्क” रखे जाएंगे।

35. मूल नियम के नियम 51 के उप-नियम (2) में, “संचालन समिति के कार्य का संव्यवहार अत्यावश्यकता के मामले में परिषद द्वारा” शब्दों के पश्चात् “या वेब के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

36. मूल नियम के नियम 54 -

(i) उप-नियम (1) में, “चाइल्डलाइन सेवाओं” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“(5क) राज्य सरकार समिति या बोर्ड की सिफारिशों पर, जैसा भी मामला हो, उचित कार्रवाई करेगी।

(5ख) जिला बाल संरक्षण इकाई राज्य सरकार को सूचित करते हुए यथाशीघ्र बच्चों का स्थानान्तरण सुनिश्चित करेगी।”]

37. मूल नियम के नियम 55 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की सुसंगत धाराएं या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, अधिनियम की धारा 75 के अधीन किए गए अपराधों के लिए लागू होंगी।”।

38. मूल नियमों के नियम 55 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“55 क – अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध के मामले की प्रक्रिया -

- (1) जब भी किसी बच्चे को नियोजित करने या भीख माँगने के उद्देश्य से उपयोग किया पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा तत्काल अन्वेषण किया जाएगा और जहाँ अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध किया गया हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत की जाएगी।
- (2) यदि माता-पिता ने अपने बच्चों को भीख माँगने में लगाया है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने से पहले अधिनियम की धारा 76 के अधीन अन्वेषण किया जाएगा।
- (3) यदि भीख माँगने में लगा हुआ बच्चा दुर्व्यापार का शिकार पाया जाता है, जो एक संज्ञेय अपराध है तो अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) और धारा 370 भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबंध भी लागू होंगे।
- (4) यदि भीख माँगने वाला बच्चा बाल श्रम का शिकार पाया जाता है जो संज्ञेय अपराध है, तो इस मामले में बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) अधिनियम के उपबंध भी लागू होंगे।
- (5) यदि भीख माँगने में लिप्त बच्चे का भी भीख माँगने के उद्देश्य से अपहरण किया गया पाया जाता है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 359 से 369 के अधीन एक संज्ञेय अपराध है, इस मामले में भी लागू होगा।”।

39. मूल नियम के नियम 57 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“57 क- अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत अपराध के मामले में प्रक्रिया :-

- (1) यदि कोई बच्चा बाल श्रम के रूप में रोजगार में लाया गया पाया जाता है तो इन मामलों में पुलिस द्वारा तुरन्त अन्वेषण किया जाएगा और यदि अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो इस मामले में तुरन्त ही प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर की जाएगी।
- (2) यदि कोई बालक बाल श्रम का पीड़ित पाया जाता है तो बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61), जो कि एक संज्ञेय अपराध है, के उपबंध भी लागू होंगे।
- (3) यदि बाल श्रम के रूप में संलग्न कोई बच्चा मानव दुर्व्यापार का पीड़ित पाया जाता है तो इस मामले में अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 370 जो कि संज्ञेय अपराध है, के उपबंध भी लागू होंगे।”।

40. मूल नियम के नियम 59 में :-

(i) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5 क) समिति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इन बच्चों और इनके पुनर्वास के संबंध में की गई कार्यकारी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिला मजिस्ट्रेट सात दिन के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चों को स्थानांतरित करने तथा संस्थान को बंद करने में संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा तथा राज्य सरकार को अभिकरण के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश करेगा।”;

(ii) उप-नियम (6) में,

(क) “समिति राज्य सरकार से अनुशंसा करेगी” शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से अनुशंसा करेगा” शब्द रखा जाएगा;

(ख) “भी वापस लिया जाएगा” शब्दों के पश्चात्, “और राज्य सरकार पन्द्रह दिन के भीतर समुचित कार्यवाही करेगी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7) बेचे गए और मानव दुर्व्यापार किए गए बच्चे के मामले में, अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का 104) तथा भारतीय दंड संहिता 1960 (1860 का 45) की धारा 370 के उपबंध भी लागू होंगे।”

41. मूल नियम के नियम 60 के उप-नियम (9) में “राज्य सरकार” शब्दों के स्थान पर “जिला मजिस्ट्रेट” शब्द रखे जाएंगे।

42. मूल नियम के नियम 61 में, उप-नियम (3) के खंड (xxxii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(xxxiii) प्रतिदिन बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका की जाँच करें और तत्काल शिकायतों के बारे में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति या बोर्ड को सूचित करें।

(xxxiv) बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका में प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखें।”

43. मूल नियम के नियम 68 के उप-नियम (2) के खंड (v) में “राज्य सरकार” शब्दों के पश्चात्, “या जिला मजिस्ट्रेट” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

44. मूल नियम 69 में उप-शीर्ष ट, के अधीन उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और बाल देखरेख संस्था बच्चों को प्रोत्साहित और उन्हें शिक्षा, खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल कर सकती है।”

45. मूल नियम के नियम 73 के उप-नियम (3) के खण्ड (xxi) में “सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, समिति का आदेश, योजनाओं से जुड़ाव” प्रारम्भ में शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

46. मूल नियम के नियम 75 में, उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (ii) में, “बोर्ड या समिति” शब्दों के पश्चात्, “और जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा भी मामला हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (iii) में, “बोर्ड या समिति” शब्दों के पश्चात् “और जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा भी मामला हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (iv) में, “पुलिस” शब्द के पश्चात् “और जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा भी मामला हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

47. मूल नियम के नियम 76 में, उप-नियम (2) के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ii क) यौन शोषण का मामला रजिस्टर होने की स्थिति में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 19 के अधीन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा”;

48. मूल नियम के नियम 77 के उप-नियम (1) में तालिका में क्रमांक 6 के सम्मुख कालम (2) में “बच्चों की सुझाव पुस्तिका” प्रविष्टि को “बच्चों का सुझाव या शिकायत पुस्तिका” प्रविष्टि से अंतःस्थापित किया जाएगा।

49. मूल नियम के नियम 79 में,-

(i) उप-नियम (8) में, “बालिका” शब्द का लोप किया जाएगा, और “जहां किसी बालक” शब्दों के बाद, “जो अठारह वर्ष से कम आयु का है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(9) जहां अठारह वर्ष से अधिक उम्र की बालिका को बाल देखरेख संस्थान से रिहा कर दिया गया है और उसके पास रहने लिए कोई जगह नहीं है, उसे तब तक कामकाजी महिला छात्रावास या ऐसी अन्य सरकारी सुविधाओं में आवास प्रदान किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा रहने के लिए कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है।”

50. मूल नियम के नियम 81 में, -

(i) पार्श्व शीर्ष में, “बालक का स्थानांतरण” शब्दों के स्थान पर, “बालक का स्थानांतरण या पुनः वापसी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (5) के स्थान लिए निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) यदि बालक किसी अन्य देश का नागरिक है तो बालक को बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड या समिति जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगी और जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के समुचित विभाग के माध्यम से और यथास्थिति गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से शीघ्रातिशीघ्र बच्चे की वापसी की प्रक्रिया को शुरू करेगा।”;

(iii) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5क) जिला मजिस्ट्रेट पुनः वापसी किए जाने वाले बालकों की एक सूची तैयार करेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इसे निगरानी प्राधिकरण (यथास्थिति राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को भेजेगा।

(5ख) निगरानी प्राधिकरण बालक की पुनःवापसी करवाने के लिए संबंधित सरकार या निजी अभिकरणों के साथ मामले को उठाएगा।

(5ग) इसके पश्चात् निगरानी प्राधिकरण, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को पुनःवापसी किए जाने वाले बच्चों की प्रास्थिति रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा।”।

51. मूल नियम के नियम 82 के स्थान पर, निम्नलिखित नियमों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“82क - विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए पुनःवापसी और अनुवर्तन :-

- (1) बोर्ड या बाल न्यायालय, बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक की सुनवाई करने के पश्चात् और माता-पिता या संरक्षक का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बालक को छोड़ने के लिए प्ररूप 44 में आदेश दे सकेगा।
- (2) बालक की पुनःवापसी के लिए आदेश देते समय, बोर्ड या बाल न्यायालय, उपर्युक्त मामलों में बोर्ड या बाल न्यायालय के निर्देश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारी या नामनिर्दिष्ट अधिकारी, परीवीक्षा अधिकारी की रिपोर्टों और बोर्ड या बाल न्यायालय के समक्ष लाए गए किसी संबंधित दस्तावेज यह रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा।
- (3) यदि कोई बालक अपने परिवार के पास वापस जाने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है तो बोर्ड या बाल न्यायालय इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ बातचीत करेगा और इसे रिकार्ड करेगा तथा बालक को उसके परिवार के पास वापस जाने के लिए ना तो बाध्य किया जाएगा और ना ही मनाया जाएगा।
- (4) बालक को उसके परिवार के पास तब भी वापस नहीं भेजा जाएगा जब बालक के माता-पिता या संरक्षक उस बालक को वापस स्वीकार करने का इन्कार कर देते हैं और इस प्रकार के सभी मामलों में, बोर्ड या बाल न्यायालय पुनर्वास के लिए वैकल्पित साधन प्रदान करेगा।
- (5) इसके अतिरिक्त, बालक को उसके परिवार के पास वापस नहीं भेजा जाएगा। यदि परीवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई के नामनिर्दिष्ट अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि बालक को उसके परिवार के पास वापस भेजा जाना बालक के हित में नहीं होगा।
- (6) पुनःवापसी के आदेश में परीवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना भी शामिल होगी।
- (7) बोर्ड या बाल न्यायालय, बालक की पुनःवापसी का निदेश देते समय, जहां आवश्यक हो, प्ररूप 45 में एस्कॉर्ट के लिए आदेश जारी कर सकता है।

- (8) पुलिस के अतिरिक्त, बोर्ड बालक को उसके परिवार से पुनः मिलाने के लिए जिला बाल सुरक्षा इकाई से सहयोग मांग सकता है।
- (9) बालिकाओं के मामले में, बालिका के साथ महिला सहायक भी अनिवार्य रूप से जाएगी।
- (10) महिला सहायक के लिए आदेश की प्रति सहित पुनःवापसी के आदेश की प्रति को बोर्ड पर बाल न्यायालय द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी जो यात्रा तथा अन्य आकस्मिक व्यय सहित बालक की पुनः वापसी के लिए निधियां प्रदान करेगी।
- (11) बाल कल्याण अधिकारी या मामले पर काम करने वाला कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा व्यक्तिगत देखभाल योजना के भाग के रूप में एक अनुवर्तन योजना तैयार की जाएगी।
- (12) इस अनुवर्तन रिपोर्ट में पुनःवापसी के बाद बालक की प्रास्थिति और बालक की संवेदनशीलता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख किया जाएगा।

82ख - देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए पुनर्वापसी और अनुवर्तन :-

- (1) समिति बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक की सुनवाई करने और माता-पिता या संरक्षक का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बच्चे को छोड़ने के लिए प्ररूप 44 में आदेश दे सकेगी।
- (2) बालक की पुनःवापसी के लिए आदेश देते समय, समिति उपर्युक्त मामलों में समिति के निदेश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामले पर काम करने वाला कर्मचारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन का नामनिर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट और समिति के समक्ष लाए जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज या रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी।
- (3) यदि कोई बालक अपने परिवार के पास वापस जाने में अपनी अनिच्छुकता व्यक्त करता है तो समिति इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ बातचीत करेगी और इस बातचीत को रिकार्ड करेगी और बालक को उसके परिवार के पास वापस जाने के लिए ना तो विवश किया जाएगा और ना ही मनाया जाएगा।
- (4) यदि कोई बालक परिवार में वापस जाने से इनकार करता है या परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण बालक को वापस लेने से इनकार करता है तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 45 के अधीन बच्चे के सर्वोत्तम हित में परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अधिनियम की धारा 105 के अधीन किशोर न्याय निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि या कोई अन्य योजना सहित प्रायोजन के सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को प्रदान करने की सभी संभावनाओं का पता लगाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, परिवार की वित्तीय क्षमता का पता किसी भी आय दस्तावेज जैसे पिछले एक वर्ष के बैंक विवरण या पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न या परिवार के संपत्ति पंजीकरण या आय प्रमाण पत्र या जो भी उपलब्ध हो के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।

- (5) बालक को परिवार के पास वापस प्रत्यावर्तित भी नहीं किया जाएगा, जहां माता-पिता या संरक्षक बालक को वापस स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं और समिति, ऐसे सभी मामलों में पुनर्वास के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान कर सकेगी।
- (6) बालक को परिवार के पास वापस प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा, जहां यथास्थिति, बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन या जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी या बालक देखरेख संस्था का प्रबंधन द्वारा तैयार की गई अनुसंधान रिपोर्ट यह स्थापित कर देती है कि परिवार को प्रत्यावर्तन बालक के हित में नहीं होगा।
- (7) जिला बालक संरक्षण इकाई पात्र बालक के लिए प्रत्यावर्तन और उसके कार्यान्वयन के लिए योजना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिला मजिस्ट्रेट, बालक के प्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उसमें हस्तक्षेप करेगा।

- (8) प्रत्यावर्तन आदेश में बालक कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार व्यष्टि देखरेख योजना सम्मिलित होगी।
- (9) समिति, जहां आवश्यक हो, बालक के प्रत्यावर्तन का निदेश देते समय, प्ररूप 45 में अनुरक्षक के लिए एक आदेश पारित कर सकेगी।
- (10) समिति, प्रत्यावर्तन के लिए बालक को परिवार में वापस करते समय पुलिस के अलावा जिला बालक संरक्षण इकाई का सहयोग ले सकेगी।
- (11) बालिका की दशा में उसके साथ आवश्यक रूप से महिला अनुरक्षक होगी।
- (12) अनुरक्षक के लिए आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावर्तन आदेश की प्रति, जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अग्रेषित की जाएगी, जो यात्रा और आनुषंगिक व्ययों के साथ बालक के प्रत्यावर्तन के लिए निधियां प्रदान करेगी।
- (13) यदि किसी बालक को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया तो बालक को उसके संरक्षक या रिश्तेदारों, यदि वे समिति द्वारा स्वस्थ पाए जाते हैं तो, के पास वापस भेजे जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
- (14) जिला मजिस्ट्रेट, सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजिक स्कीमों के अधीन लाभ प्रदान करने के लिए सभी संभावनाओं की खोज करेगा, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 45 के अधीन प्रायोजन और अधिनियम की धारा 105 के अधीन किशोर न्याय निधि भी है।
- (15) बालक कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा व्यष्टि देखरेख योजना के भाग के रूप में अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी।
- (16) अनुवर्ती रिपोर्ट में प्रत्यावर्तन पश्चात् बालक की स्थिति और बालक की और भेद्यता को कम करने के क्रम में आवश्यक उपाय का कथन होगा।”

52. मूल नियम के नियम 83 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7) जिला मजिस्ट्रेट, इस नियम के अधीन उल्लिखित किन्हीं क्रियाकलापों के संबंध में जिले में बालकों के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य किशोर न्याय निधि से निधियां मांगने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।”

53. मूल नियम के नियम 84 के उप-नियम (1) में,-

(i) आरंभिक भाग में, “राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी” शब्दों के पश्चात्, “केवल राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मिलकर बनेगी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) खंड (iv) में “विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों से प्राप्त” शब्दों के स्थान पर “विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों से प्राप्त” शब्द रखे जाएंगे।

54. मूल नियम के नियम 84 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“84 क. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण :-

- (1) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 67 और दत्तकग्रहण के विनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य दत्तकग्रहण और संबंधित मामलों से व्यवहार करने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना करेगी।
- (2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के शासी निकाय की अध्यक्षता राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव द्वारा की जाएगी।
- (3) राज्य सरकार के विभाग का दत्तकग्रहण से व्यवहार करने वाला निदेशक, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का सदस्य सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।”।

55. मूल नियमों के नियम 85 में,-

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

“जिला मजिस्ट्रेट और जिला बाल संरक्षण इकाई”;

(ii) उप-नियम (1) में,-

(क) आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

“जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:”;

(ख) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ii क) बोर्ड या समिति के निदेशानुसार प्रत्येक बालक के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और व्यष्टि देखरेख योजना बनाना।”;

(ग) खंड (xxiii) में, “जिला बाल संरक्षण इकाई” शब्दों के पश्चात् “और जिला मजिस्ट्रेट” अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्: -

(घ) खंड (xxvii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(xxviii) अधिनियम के अधीन सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के समनुदेशन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल तैयार करना;

(xxix) यह सुनिश्चित करना कि बालकों के अधिकारों को विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और ऐसे अन्य स्थानों जहां अक्सर बालक आते-जाते रहते हैं, प्रदर्शित किए जाते हों।”।

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिले में नोडल अधिकारी होगा, और इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को पदाभिहित कर सकेगा।”;

(iv) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) जिला मजिस्ट्रेट, जिले में बालकों से संबंधित मुद्दों पर विमर्श के लिए पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित सुसंगत पणधारियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा।”।

56. मूल नियम के नियम 88 में,-

(i) उप-नियम (6) में, “यथास्थिति, या समिति” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) नियम (14) से (16) का लोप किया जाएगा।

57. मूल नियमों के नियम 89 के उप-नियम (4) में “राज्य सरकार” शब्दों के पश्चात् “या जिला प्रशासन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।**58. मूल नियमों के नियम 91 के उप-नियम (1) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-**

“(i क) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरणों सहित बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण और प्राधिकारियों द्वारा संचालित किए गए निरीक्षणों के अभिलेख का रखरखाव”।

59. मूल नियमों के नियम 92 में,-

(i) खंड (xi) के उपनियम (4) में, “चाइल्डलाइन सेवाओं” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (7) में, “तैयार” शब्द के स्थान पर, “जारी” शब्द रखा जाएगा।

60. मूल नियमों में, प्ररूप 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 7

[नियम 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x) और 69 झ(3)]

व्यष्टि देखरेख योजना

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम

व्यष्टि देखरेख योजना तैयार करने की तारीख

20..... का मामला/प्रोफाइल संख्या

एफआईआर संख्या

धारा के अधीन (अपराध का प्रकार) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में लागू

पुलिस स्टेशन

बोर्ड या समिति का पता

भर्ती संख्या (यदि बालक किसी संस्था में है)

भर्ती की तारीख (यदि बालक किसी संस्था में है)

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो, भरें)

(i) अल्पकालिक (छह मास तक)

(ii) मध्यकालिक (छह मास से एक वर्ष तक)

(iii) दीर्घकालिक अवधि (एक वर्ष से अधिक)

उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए, जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखा जाता है

1. **वैयक्तिक ब्यौरे** (संस्था में बालक की भर्ती पर बालक/माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

क. बालक का नाम

ख. आयु/जन्म की तारीख.....

ग. लिंग: पुरुष/स्त्री.....

घ. पिता का नाम

ड. माता का नाम

च. राष्ट्रीयता

छ. धर्म

ज. जाति

झ. बोली जाने वाली भाषा.....

2. शिक्षा का स्तर

3. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो

4. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हों

5. बालक के माल-असबाब के ब्यौरे, यदि कोई हो
6. बालक के माता-पिता की संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो -
7. बालक के माता-पिता के बैंक खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो -
8. बालक की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो -
- 9 बालक के माता-पिता की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो-
10. बालक के माता-पिता की नौकरी प्रतिकर, पेंशन के ब्यौरे, यदि कोई हो-
11. बालक के जमा निक्षेपों, बचत, वित्तीय नीति, म्यूचुअल फंड के ब्यौरे, यदि कोई हो-
12. माता-पिता के ऋण, बंधक, अन्य वित्तीय देयताओं, के ब्यौरे, यदि कोई हो, -
13. विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो-
14. क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- क. हां ख. नहीं
15. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के ब्यौरे -
16. क्या विधिक वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- क. हां ख. नहीं
17. विधिक वारिस प्रमाण पत्र के ब्यौरे -
18. क्या बालक अनाथ/अभित्यक्त/अभ्यर्पित है?
19. मामला पूर्ववृत्त, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित चिंता क्षेत्रों और मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें, यदि कोई हों- (उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए है जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत में रखा जाता है)

क्र.सं.	प्रवर्ग	चिंता का क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1	देखरेख और संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग आवश्यकताएं		
4	शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं		
5	फुर्सत, सृजनात्मक और खेल		
6	आसक्ति और अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और गलत बर्ताव से स्वयं देखरेख और संरक्षण के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण		
8	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव, जैसे दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक उपेक्षा, विद्यालय में भयभीत होना आदि जिसमें बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो, (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

20. क्या बालक के कोई भाई-बहन हैं? हां/नहीं
21. क्या बालक और उसके भाई/बहन को एक साथ रखा जाता है? क. हां ख. नहीं
22. क्या बालक और उसके भाई या बहन एकल माता-पिता/संरक्षक द्वारा अभ्यर्पित किए जाते हैं? क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं होता
- 23 भाई या बहन/भाइयों या बहनों का मामला/प्रोफाइल संख्या –
24. दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले या आवधिक रूप से बीमार बालक की दशा में (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, दोनों के लिए ही सुसंगत हो सकेगा)
- (i) क्या बालक, जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। हां/नहीं, यदि हां। कृपया दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्यादर्शित करें।
- (ii) क्या ऐसे बालक को चिकित्सा उपस्कर, जैसे हीयरिंग ऐड, बैसाखी आदि प्रदान किए गए हैं। हां/नहीं। यदि हां कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
- (iii) क्या बालक को अपनी दिव्यांगता के लिए प्रतिकर/अनुतोष प्रदान किया गया है। हां/नहीं। यदि हां कृपया विनिर्दिष्ट करें
- (iv) बालक की शैक्षिक अपेक्षाएं.....
- (v) बालक की कोई अन्य विशेष आवश्यकताएं.....
- (vi) कोई अन्य सिफारिश.....
25. यदि बालक सड़क पर घूमने वाले हों/उनका दुर्व्यापार किया गया हो/वे ड्रग्स पेडलिंग में सम्मिलित हों/बाल श्रमिक हों (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक दोनों के लिए सुसंगत हो सकेगा)।
- (i) क्या बालक सड़क पर घूमने वाला बालक है : हां/नहीं।
- (ii) क्या बालक बाल दुर्व्यापार का पीड़ित है : हां/नहीं।
- (iii) क्या बालक ड्रग्स पेडलिंग में सम्मिलित था : हां/नहीं।
- (iv) क्या बालक बाल श्रम से पीड़ित है : हां/नहीं।
- (v) क्या बालक, जो बाल श्रम से पीड़ित था, को बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि या किसी अन्य स्कीम के अधीन प्रतिकर प्रदान किया गया है, कृपया विनिर्दिष्ट करें
- (vi) क्या बालक, जो दुर्व्यापार/ड्रग्स पेडलिंग/बाल श्रम से पीड़ित है या सड़कों पर घूमने वाला है, को परामर्श दिया गया है? हां/नहीं
- (vii) क्या बालक को प्रतिकर प्रदान किया गया है? हां/नहीं, यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
26. यदि बालक लैंगिक दुर्व्यवहार सहित किसी दुर्व्यवहार से पीड़ित है : (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सुसंगत हो सकेगा)
- (i) क्या बालक को परामर्श दिया गया है?.....
- (ii) क्या ऐसे अपराधी/कर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
- (iii) क्या बालक, जो लैंगिक हमले का पीड़ित है, को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन प्रतिकर स्कीम के अनुसार प्रतिकर प्रदान किया गया है.....
- (iv) बालक को दिया गया कोई अन्य प्रतिकर या अनुतोष?.....
- (v) कोई अन्य संप्रेक्षण.....

संस्थागत देखरेख में रखे गए बालक के लिए

27. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले तीन मास के लिए प्रति 14 दिन पर तैयार की जाने वाली और उसके पश्चात प्रत्येक मास में एक बार तैयार की जाने वाली)

[टिप्पण : प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न-भिन्न शीट का उपयोग करें]

1. परीवीक्षा अधिकारी/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/बाल कल्याण अधिकारी का नाम.....
2. रिपोर्ट की अवधि.....
3. दाखिला संख्या.....
4. बोर्ड या समिति.....
5. प्रोफाइल संख्या.....
6. बच्चे का नाम.....
7. मौखिक परीक्षा का स्थान.....दिनांक.....
8. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बच्चे का सामान्य आचरण और प्रगति

9. इस फार्म के भाग(क) के चिन्ह 19 में वर्णित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति

क्र.सं.	श्रेणी	प्रस्तावित हस्तक्षेप	बच्चे की प्रगति
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा		
2.	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3.	आवश्यक भावनात्मक और मनोरंजन सहायता।		
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं		
5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल		
6.	लगाव और अन्य वैयक्तिक संबंध		
7.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु स्व-देखभाल और जीवन कौशल		
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9.	कोई अन्य महत्वपूर्ण अनुभव जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं जैसेकि दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, माता-पिता द्वारा उपेक्षा, स्कूल में तंग किया जाना, आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही :-
11. बंधपत्र की शर्तों का परिवर्तन
12. बच्चे के निवास स्थान का परिवर्तन
13. अन्य मामले, यदि कोई है.....
14. को पूरे किए गए पर्यवेक्षण की अवधि
15. टिप्पणियां(यदि कोई है) सहित पर्यवेक्षण का परिणाम.....
16. माता-पिता या संरक्षक या किसी स्वस्थ व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बच्चे को पर्यवेक्षण पूरा होने के बाद रहना है, का नाम और पता
- रिपोर्ट की तारीख.....
- परीवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

28. पूर्व जारी की गई रिपोर्ट (जारी किए जाने से 15 दिन पूर्व तैयार की जानी है):

1. स्थानांतरण के स्थान तथा स्थानांतरण/जारी किए जाने के स्थान पर उत्तरदायी संबंधित प्राधिकरण का विवरण: ...
2. विभिन्न संस्थानों/परिवार में बच्चे को रखे जाने का विवरण:
3. प्राप्त किया गया प्रशिक्षण और हासिल किया गया कौशल:
4. बच्चे की अंतिम प्रगति रिपोर्ट(संलग्न की जानी है, भाग(ख) देखें)
5. बच्चे की पुनर्वास और वापसी योजना (बच्चे की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जानी है)

क्र.सं.	श्रेणी	बच्चे की पुनर्वास और वापसी की योजना
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा	
2.	स्वास्थ्य और पोषण	
3.	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक	
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण	
5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल	
6.	लगाव और अन्य वैयक्तिक संबंध	
7.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु स्व-देखभाल और जीवन कौशल प्रशिक्षण	
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल	
9.	कोई अन्य	

6. निर्मुक्ति/स्थानांतरण/पुनःवापसी की तारीख.....
7. अनुरक्षक की मांग, यदि अपेक्षित हो तो.....
8. अनुरक्षक की पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि.....

9. सम्भाव्य प्लेसमेंट/प्रायोजकता सहित सिफारिश की गई पुनर्वास योजना...
10. पश्चातवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए परीवीक्षा अधिकारी/गैर-सरकारी संगठन का विवरण.....
11. पश्चातवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए चिन्हित गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन(प्रति संलग्न करें)
12. प्रायोजकता अभिकरण/व्यक्तिगत प्रायोजन, यदि कोई है तो उसका विवरण.....
13. प्रायोजक अभिकरण तथा व्यक्तिगत प्रायोजन के बीच समझौता ज्ञापन (प्रति संलग्न).....
14. जारी किए जाने से पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट.....
15. कोई अन्य सूचना.....

29. बच्चे की पश्चातवर्ती निर्मुक्ति/प्रतायावर्तन रिपोर्ट :

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद/हस्तांतरित
2. बच्चे की कमाई और सामान : बच्चे या उसके माता पिता/संरक्षक को सौंपी गई – हां/नहीं
3. बच्चे को छोड़े जाने के बाद अनुवर्तन हेतु चिन्हित परीवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर-सरकारी संगठन की प्रथम वार्ता रिपोर्ट:
4. पुनर्वास और वापसी योजना के संदर्भ में की गई प्रगति
5. बच्चे के प्रति परिवार का व्यवहार/रवैया.....
6. बच्चे का सामाजिक स्थान, विशेष रूप में पड़ोसियों/समुदाय का रवैया.....
7. बच्चा अपेक्षित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है.....
8. क्या बच्चे को स्कूल या रोजगार में दाखिल कराया गया है? स्कूल/संस्थान/किसी अन्य एजेंसी की तारीख और नाम बताएं? हां/नहीं
9. क्रमशः दो माह और छह माह के पश्चात बच्चे के साथ दूसरी और तीसरी बातचीत रिपोर्ट:
10. सामाजिक मुख्यधारा के लिए प्रयास और इसके बारे में बच्चे की राय/विचार...
11. पहचान पत्र और मुआवजा.....

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति(जहां लागू हो निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
विद्यालय प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड			
दिव्यांगता प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मुआवजा प्राप्त			

[निर्देश: कृपया भौतिक दस्तावेज से जांच लें।]

30. दत्तकग्रहण

(i) क्या बच्चे को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है?

क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं

(यदि यह लागू नहीं होता है तो इसके बाद के प्रश्न भी लागू नहीं होंगे)

(ii) क्या बच्चे को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बाल देखरेख संस्थान में रख दिया गया है? (क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण (ख) बाल देखरेख संस्थान

(iii) क्या यथास्थिति, बाल कल्याण अधिकारी/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है? क. हां ख. नहीं

(iv) क्या समिति के समक्ष माता पिता/संरक्षक द्वारा समर्पण डीड का निष्पादन किया जा रहा है?

क. हां ख. लागू नहीं

(v) क्या जिला बाल संरक्षण एकक और बाल देखभाल संस्थान या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा यह घोषणा प्रस्तुत की गई है कि बच्चे के लिए पुनःवापसी के सभी प्रयास किए जा चुके हैं?—

क. हां ख. नहीं

(vi) क्या जैविक माता-पिता या कानूनी संरक्षक के रूप में बच्चे का दावा करने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक और बाल देखरेख संस्थान या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से किसी ने भी सम्पर्क नहीं किया है —

क. हां ख. नहीं

(vii) बच्चे को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप में स्वतंत्र घोषित किए जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत सभी समय-सीमा का पालन किया गया है —

क. हां ख. नहीं

गैर-संस्थागत देखभाल(दत्तकग्रहण के सिवाय) में रखे गए बच्चों के लिए संरक्षक का नाम (यदि लागू हो तो)

1. संरक्षक का नाम (यदि लागू हो तो).....
2. माता-पिता/संरक्षक की राष्ट्रियता.....
3. माता-पिता/संरक्षक का धर्म.....
4. बच्चे की राष्ट्रियता-
5. बच्चे का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैनकार्ड का विवरण
6. बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पान कार्ड का विवरण
7. जाति.....
8. बोली जाने वाली भाषा.....
9. शिक्षा का स्तर.....
10. क्या बच्चे को सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मुआवजा/राहत प्रदान की गई है.....
11. बच्चे को कहां रखा जा रहा है? —
(क) संरक्षक (ख) फोस्टर केयर (ग) प्रायोजकता (ख) एकल माता-पिता
12. क्या बच्चे को एकल माता-पिता/संरक्षक द्वारा समर्पित किया जा रहा है?
क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं

13. यदि हां, तो क्या समर्पण डीड बना ली गई है? क. हां ख. नहीं
14. शिक्षा - (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो
- (i) क्या बच्चे को स्कूल या विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित किया गया है?
- (ii) यदि बच्चे को नामांकित किया गया है तो,.....
- (क) विद्यालय का नाम
- (ख) सरकारी/निजी.....
- (ग) कक्षा.....
- (iii) उक्त स्कूल के शिक्षा कोर्ड के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
- (iv) यदि बच्चे को विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित किया गया है तो,
- (क) वह केंद्र रिहायशी या गैर-रिहायशी
- (ख) नामांकन की अवधि.....
- (v) क्या बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड(ग) के अंतर्गत विद्यालय में नामांकित किया गया है? हां/नहीं/लागू नहीं
- (vi) क्या बाल कल्याण समिति ने उस विद्यालय, जिसमें बच्चा पढ रहा था, में शिक्षा को जारी रखने की सिफारिश की है? हां/नहीं
- (vii) सिफारिश के आधार पर क्या बच्चा जिस विद्यालय में पढ रहा था, उसी विद्यालय में, शिक्षा को जारी रखे हुए है? हां/नहीं
- (viii) क्या बाल कल्याण समिति ने बच्चे के लिए विद्यालय के स्थानांतरण की सिफारिश की है? हां/नहीं
- (क) यदि हां, तो बाल कल्याण समिति द्वारा विद्यालय के स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए क्या कारण बताए गए हैं?
- (ix) क्या बच्चे को नए विद्यालय में दाखिल/स्थानांतरित कर दिया गया है? हां/नहीं
- (x) शिक्षा कोड के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली सहित नए विद्यालय का विवरण
- (xi) पता और संपर्क विवरण
- (xii) वह कक्षा जिसमें दाखिला/स्थानांतरण लिया गया है.....
- (xiii) वह कक्षा जिसमें बच्चे को पिछले विद्यालय में ट्रांसफर किया गया है.....
- (xiv) बाल कल्याण समिति की सिफारिशों के आधार पर, बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) की उपधारा(1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत लाभ प्रदान कर रहा है? हां/नहीं
- (xv) क्या बच्चे को उपयुक्त सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है? हां/नहीं
- (xvi) क्या बच्चा छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहा है? हां/नहीं
- (क) यदि हां, तो छात्रवृत्ति का नाम बताएं
- (ख) छात्रवृत्ति की राशि.....
- (xvii) बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए की गई कोई टिप्पणी और सिफारिश
- 15. प्रायोजकता**
- (i) क्या बाल कल्याण समिति द्वारा प्रायोजकता के लिए बच्चे की सिफारिश की गई है?
- क. हां ख. नहीं (यदि नहीं, तो इसके पश्चातवर्ती प्रश्न भी लागू होंगे)
- (ii) क्या बच्चे की प्रायोजकता को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है :

क. हां ख. नहीं

(iii) प्रायोजकता की प्रकृति : i. सरकारी ii. निजी

(iv) प्रायोजकता का प्रकार :

(क) व्यक्तिगत से व्यक्तिगत प्रायोजकता

(ख) समूह प्रायोजकता

(ग) सामुदायिक या संगठनात्मक प्रायोजकता

(घ) प्रायोजकता के माध्यम से परिवारों को सहायता

(ङ) बाल गृह और विशेष गृह को सहायता

(च) निम्नलिखित के द्वारा प्रायोजकता

(i) संस्था

(ii) कंपनी

(iii) निकाय, पब्लिक या प्राइवेट है।

(छ) कोई अन्य

(v) क्या बालक ने प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन धन प्राप्त करना आरंभ कर दिया है :

क. हां

ख. नहीं

(vi) प्रायोजन की सिफारिश अवधि :

(vii) कोई अन्य जानकारी :

16. बालक की पुनःवापसी :

(i) क्या बालक को निम्नलिखित को वापस किया जा रहा है:-

एकल माता-पिता/जैविक माता-पिता/संरक्षक/संबंधी

(ii) उस व्यक्ति का नाम जिसे बालक को वापस किया जा रहा है.....

(iii) उस व्यक्ति का पता और संपर्क ब्यौरे, जिसे बालक वापस किया जा रहा है.....

(iv) यदि बालक संरक्षक/संबंधी को वापस किया जा रहा है, तो :-

(v) संरक्षक/संबंधी के साथ बालक का संबंध

(vi) क्या संरक्षक/संबंधी के पास अपने स्वयं के बालक हैं? क. हां ख. नहीं

(vii) यदि हां, तो संरक्षक/संबंधियों के बालकों के ब्यौरे.....

(viii) संरक्षक/संबंधी की सामाजिक/वित्तीय स्थिति -

(ix) क्या बालक, उसी राज्य, जहां वह पाया गया था, में रहेगा?

हां/नहीं

(x) क्या बालक को पुनःवापसी हेतु किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है? हां/नहीं, यदि हां, तो:

(क) उस राज्य का नाम जहां पर बालक को पुनःवापस किया जा रहा है-

(ख) बालक को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण के लिए एस्कर्ट की आवश्यकता है:

यदि हां, एस्कार्ट का पहचान दस्तावेज जैसे कि चालान अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड आदि.....

(ग) क्या उस राज्य, जहां बालक को स्थानांतरित किया जा रहा है, के संबंधित जिले का जिला बाल संरक्षण एकक/बाल कल्याण समिति को स्थानांतरण आदेशों के बारे में सूचित कर दिया गया है? हां/नहीं

(घ) क्या बालक के दस्तावेजों/सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट/व्यक्तिगत देखभाल योजना/बाल कल्याण समिति के आदेशों को राज्य संबंधित बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित किर दिया गया है? हां/नहीं

(ङ) उस बाल कल्याण समिति के ब्यौरे जिसको मामला अंतरित किया गया है.....

(xi) बाल कल्याण समिति ने पुनःवापसी के पश्चात बालक के अनुवर्तन की सिफारिश की है: हां/नहीं

(xii) बालक के बैंक खाते की प्रास्थिति.....

(xiii) क्या बालक के सामान को बालक/माता-पिता/संरक्षक को सौंप दिया गया है : हां/नहीं

(xiv) पहचान पत्र और प्रतिकर:

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जहां लागू हो वहां निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
गरीबी रेखा के नीचे कार्ड			
विकलांगता प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मिला प्रतिकर			

बालक की पुनःवापसी

(i) क्या बालक को पुनःवापस किए जाने की आवश्यकता है? हां/नहीं

(ii) यदि हां, तो क्या यह पुनःवापसी निम्नलिखित के लिए है –

अन्तःजिला

अन्तःराज्य

अन्तःदेशीय

(iii) क्या बालक की पुनःवापसी में संबंधित सूचना के पश्चात में निम्नलिखित को सूचित कर दिया गया है :-

- जिला मजिस्ट्रेट
 राज्य सरकार
 केंद्र सरकार

(iv) क्या बालक की पुनःवापसी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है? हां/नहीं ब्यौरे.....

(v) क्या पुनःवापसी किए जाने वाले बालक के ब्यौरे के बारे में यथास्थिति, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सूचित कर दिया गया है?

(vi) कोई अन्य सिफरिश.....

परीवीक्षा अधिकारी/

बाल कल्याण अधिकारी/जिला बाल कल्याण एकक के हस्ताक्षर

मुहर और सील, यदि उपलब्ध हो तो”

61. मूल नियमों के प्ररूप 16 के लिए निम्नलिखित प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 16

[नियम 17(1)(v), नियम 17(1)(vk) और 20(2)]

बाल कल्याण समिति द्वारा तिमाही रिपोर्ट

जिला

.....से.....तक अवधि के लिए तिमाही रिपोर्ट

बाल कल्याण समिति के ब्यौरे :

क्र.सं.	ब्यौरे	नियुक्ति की तारीख	प्रशिक्षण जिसमें भाग लिया गया
1.	अध्यक्ष		
2.	सदस्य 1		
3.	सदस्य 2		
4.	सदस्य 3		
5.	सदस्य 4		

बाल कल्याण समिति के पास लंबित मामलों के ब्यौरे :

क्र.सं.	तिमाही के आरम्भ में मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या	लंबित रहने के कारण

अंतिम आदेश							
तिमाही के दौरान पारित अंतिम आदेशों की कुल संख्या							
माता-पिता/संरक्षक/स्वस्थ व्यक्ति/स्वस्थ संस्था के पास छोड़ा	अन्य बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित	बाल देखरेख संस्थान में रहने का आदेश दिया गया	विदेश में वापस किया गया	दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप में स्वतंत्र घोषित	पालन- पोषण संबंधी देखरेख/ प्रायोजकता/पश्र्वयवर्ती देखभाल के लिए आदेश दिया गया	एफआईआर फाइल करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को सिफारिश की गई	बालक को प्रतिकर देने के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई, यदि पात्र हो

बाल कल्याण समिति द्वारा वापस किए गए बालकों से संबंधित मामले का ब्यौरा:

क्र.सं.	वापस किए गए बालकों की संख्या			माता-पिता को वापस किए गए बालकों की संख्या	स्वस्थ व्यक्ति को पुनःवापस किए गए बालकों की संख्या		पुनःवापस किए गए और अनुवर्तन के लिए सिफारिश किए गए बालकों की संख्या
	समान जिला	भिन्न जिला	भिन्न राज्य		संरक्षक	रिश्तेदार	

बाल देखरेख संस्थाओं में बालक की मृत्यु के मामलों के ब्यौरै :

क्र.सं.	मृत बालक का नाम	मृत्यु का कारण	उस बाल देखरेख संस्था का नाम जिसमें बालक को रखा गया था।	बाल देखरेख संस्था में रहने की अवधि

भागे हुए बालकों के मामलों के ब्यौरै :

क्र.सं.	भागे हुए बालक का नाम	उस बाल देखरेख संस्था का नाम जिसमें बालक को रखा गया था	एफआईआर संख्या	बालक की पृष्ठभूमि

अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा गृहों का दौरा

दौरे की तारीख :

दौरा किए गए गृह का नाम और पता :.....

समिति की टिप्पणियां/सुझाव.....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मुहर”

62. मूल नियमों के प्ररूप 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 16 क

[नियम 43(2)] और (3)]

बाल कल्याण समिति द्वारा मासिक रिपोर्ट

जिला:

.....से.....तक अवधि के दौरान मासिक रिपोर्ट

दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र मामले से संबंधित ब्यौरे

बाल कल्याण समिति के समक्ष लंबित मामलों का ब्यौरा										
अनाथ		परित्यक्त				समर्पित		कुल		
0-2 वर्ष तक के बालक	2 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम के बालक	0-2 वर्ष तक के बालक	2 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम के बालक	बालक	0-18 वर्ष					
2 मास से लंबित	4 मास से लंबित	2 मास से लंबित	4 मास से लंबित	2 मास से लंबित						
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मुहर”

63. मूल नियमों के प्ररूप 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 22

[नियम 19(8)]

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

1. क्रम संख्या

2. बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत.....

3. मामला संख्या.....

4. जिला बाल संरक्षण एकक/सामाजिक कार्यकर्ता/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/गृह का भारसाधक व्यक्ति/गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

5. संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले बालक के ब्यौरे

- (i) नाम.....
- (ii) आयु..... तिथि/मास/वर्ष
- (iii) लिंग.....
- (iv) जाति : (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)
- सामान्य
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अन्य पिछड़ा वर्ग
- अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....
- ज्ञात नहीं.....
- (v) धर्म.....
- (vi) पिता का नाम.....
- (vii) माता का नाम
- (viii) संरक्षक का नाम.....
- (ix) स्थायी पता.....
- (x) पते की पहचान.....
- (xi) पिछले निवास का पता
- (xii) पिता/माता/पारिवारिक सदस्य/संरक्षक की सम्पर्क सूचना.....
- (xiii) क्या बालक को व्याख्याता/अनुवादक की आवश्यकता है? हां/नहीं
- (xiv) क्या बालक - अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्षित/अन्य है?
- (xv) पूर्व संस्थानिक/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई है
- (xvi) पारिवारिक ब्यौरा : (हां/नहीं), यदि हां, तो.....

क्र.सं.	नाम और संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति	मानसिक अस्वस्थता का इतिहास	नशे की लत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(xvii) कुटुम्ब के सदस्यों के बीच संबंध :

पिता और माता	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
पिता और बालक	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
माता और बालक	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
पिता और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
माँ और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और संबंधी	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं

6. समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के पूर्व बालक किसके साथ रह रहा था। (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

- अभिभावक – माता/पिता/दोनों
- सहोदर भाई-बहन/सगे-संबंधी
- अभिभावक- संबंधी
- मित्र
- गलियों में
- रात्रि आश्रय स्थल
- अनाथ/छात्रावास/समान गृह
- बाल देखरेख संस्था :
- बाल गृह
- आश्रय गृह
- विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी
- उपयुक्त सुविधा
- अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें).....

7. अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में -

- (i) बालक कहां मिला ?
- (ii) बालक के जैविक माता-पिता/संबंधियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कृपया विनिर्दिष्ट करें
- (iii) यदि बालक के जैविक आधार ज्ञात हों, तो बालक के माता-पिता दोनों की मृत्यु के कारण

8. क्या बालक को वापस घर भेजने की आवश्यकता है: हाँ/नहीं। यदि हाँ तो :

- अंतर जिला – घर वापसी
- अंतर राज्य – घर वापसी
- अंतर देशीय – घर वापसी

9. क्या बालक प्रायोजन के लाभ के लिए पात्र है: हाँ/नहीं

10. क्या बालक किसी स्कीम या हकदारी के लिए पात्र है। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)
.....

11. क्या बालक को किसी माता-पिता की मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिकर मिला है: हाँ/नहीं; कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
12. क्या बालक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के अधीन लाभ मिलना चाहिए: हाँ/नहीं
13. बालक के लिए अनुशंसित वित्तीय सहयोग :
- (i) क्या बालक को माता-पिता के पास उनकी आकस्मिक मृत्यु से पहले कोई संपत्ति/एफडी/नकद/बीमा/बैंक खाते थे: हाँ/नहीं; उसके ब्यौरे
- (ii) क्या बालक के माता-पिता के पास कोई ऋण, बंधक, वित्तीय देनदारियां हैं? क. हां ख. नहीं. उसके ब्यौरे.....
- (iii) क्या उस बंधक के खिलाफ बालक के माता-पिता के पास कोई संपार्श्विक है? क. हां ख. नहीं। उसके ब्यौरे
- (iv) क्या बालक के माता-पिता का कोई कुटुम्ब कारबार है? क. हां ख. नहीं। उसके ब्यौरे.....
- (v) क्या बालक मृत माता-पिता से संपत्ति (स्व-अर्जित/पैतृक) में कोई अधिकार/हिस्सा प्राप्त किया है: हाँ/नहीं; उसके ब्यौरे
14. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :
- (i) क्या बालक ने शिक्षा प्राप्त की है: हाँ/नहीं
- (ii) यदि हाँ, तो किस कक्षा तक की शिक्षा विनिर्दिष्ट करें.....
- (iii) यदि बालक विद्यालय में नामांकित है, तो विद्यालय का नाम
- (iv) क्या बालक का विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली पर पंजीकृत है, यदि हाँ, शिक्षा संहिता के लिए राज्य एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
- (v) विद्यालय का प्रकार- सरकारी/प्राइवेट।
- (vi) क्या बालक को विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकित किया गया है। हाँ नहीं। यदि हाँ, तो विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बालक के नामांकन की अवधि विनिर्दिष्ट करें.....
- (vii) क्या विशेष प्रशिक्षण केंद्र आवासीय/गैर-आवासीय था
- (viii) विद्यालय छोड़ने का कारण (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)
- पिछली कक्षा में विफल
- विद्यालयी गतिविधियों में कम रूचि
- अध्यापकों का असामान्य व्यवहार
- साथी-समूह का प्रभाव
- कुटुम्ब के लिए कमाना और सहायता करना
- अभिभावकों की अचानक मृत्यु
- विद्यालय में लड़ाई
- सख्त विद्यालय वातावरण
- विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थिति
- निकट में उचित स्तर का विद्यालय नहीं है
- विद्यालय में प्रताड़ना

- विद्यालय में अवमानना
- शारीरिक दंड
- निर्देश का माध्यम
- अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

(ix) बालक के प्रति सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो)

(x) बालक के प्रति शिक्षकों और सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो)

(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण (यदि कोई हो)

15. महत्व के अन्य कारक यदि कोई हो

16. बालक की आदतें : (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

- टीवी/फिल्म देखना
- आंतरिक/आउटडोर खेल खेलना
- पुस्तकें पढ़ना
- ड्राइंग/चित्रकारी/कलाकारी/गाना
- धार्मिक गतिविधियां
- भिक्षा वृत्ति
- जुआ खेलना
- शराब का सेवन करना
- धूम्रपान करना
- नशीली दवाओं का उपयोग यदि कोई हो तो विनिर्दिष्ट करें.....
- अन्य कोई हो तो, कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

17. पाठ्येतर रुचियां

18. उत्कृष्ट विशेषताएं और व्यक्तित्व लक्षण

19. अधिकांश मित्र हैं (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

- शिक्षित
- समान आयु वर्ग के
- उम्र में बड़े
- उम्र में छोटे
- पुरुष
- महिला
- व्यसन/ लत
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक

20. यदि बालक वयस्कों का मित्र है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

21. दोस्तों के प्रति बालक का रवैया.....

22. बालक के प्रति मित्रों का रवैया.....

23. पड़ोस के बारे में पर्यवेक्षण (बालक पर आस-पड़ोस के प्रभाव का पर्यवेक्षण करने के लिए).....।

24. क्या बालक को कोई लत है- हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें.....

25. यदि बालक दिव्यांगता या विशेष आवश्यकता से ग्रस्त है या अंतिम रूप से बीमार है (यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें):

क. बालक की स्वास्थ्य प्रास्थिति

- (i) श्वसन संबंधी विकार - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (ii) श्रवण दोष - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (iii) नेत्र रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (iv) दंत रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (v) हृदय रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (vi) चर्म रोग-मौजूद/अज्ञात/अनुपस्थित
- (vii) यौन संचारित रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (viii) स्नायविक विकार- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (ix) मानसिक दिव्यांगता- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (x) शारीरिक दिव्यांगता - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (xi) मूत्र मार्ग में संक्रमण-उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- (xii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

ख. क्या बालक दिव्यांग है - हाँ या नहीं, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें-

- (क) श्रवण दोष
- (ख) भाषण दोष
- (ग) शारीरिक अक्षमता
- (घ) मानसिक दिव्यांगता
- (ङ.) लोकोमोटिव दिव्यांगता
- (च) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

ग. क्या बालक के पास विधि मान्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र है। (यदि हां, तो ब्यौरे दें)

घ. बालक की मानसिक स्थिति: (वर्तमान और अतीत)

ङ. बालक की शारीरिक स्थिति: (वर्तमान और अतीत).....

च. क्या बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है- हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें:

छ. वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम में पहले से ही सम्मिलित विशेष शिक्षा: हां/नहीं/लागू नहीं

ज. क्या बालक को किसी चिकित्सीय उपस्कर की आवश्यकता है या वह उपयोग कर रहा है। (यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

झ. पूर्व संस्थानिक/मामला पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत देखभाल योजना यदि कोई हो तो -----

ञ. क्या बालक को दिव्यांगता योजनाओं के अधीन कोई पेंशन मिल रही है। हां/नहीं (यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें)

ट. कोई अन्य टीका-टिप्पणी/पर्यवेक्षण

26. यदि बालक बेसहारा बालकों/दुर्व्यापार वाले/नशीले पदार्थों/बाल श्रम की तस्करी में सम्मिलित बालकों से संबंधित है:

क. क्या बालक बेसहारा स्थिति में बालकों के अंतर्गत किसी भी श्रेणी का है: हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें:

(i) बिना सहारे के बालक अकेले सड़कों पर रहते हैं

(ii) बालक दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में अपने कुटुम्ब के साथ घर वापस आ जाते हैं जो पास की झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।

(iii) अपने कुटुम्ब के साथ सड़कों पर रहने वाले बालक :

ख. समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बालक किसके साथ रह रहा था :

(i) माता-पिता - माता/पिता/दोनों

(ii) भाई-बहन/रक्त संबंधी

(iii) अभिभावक-संबंधी

(iv) मित्र

(v) गली में

(vi) रात्रि आश्रय स्थल

(vii) अनाथालय/छात्रावास/इसी तरह के समान गृह

(viii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

ग. यदि बालक का घर से भागने का इतिहास/प्रवृत्ति है, हां/नहीं। यदि हाँ:

(i) घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का रवैया और बालक की प्रतिक्रिया क्या है.....

(ii) परिवार छोड़ने के कारण:

(क) माता-पिता/अभिभावक/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार

(ख) रोजगार की तलाश में

(ग) सहकर्मी समूह प्रभाव

(घ) माता-पिता की अक्षमता

(ङ.) माता-पिता का आपराधिक रिकॉर्ड

(च) माता-पिता का अलगाव

(छ) माता-पिता की मृत्यु

(ज) गरीबी

(झ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

घ. बालक कहाँ पाया गया था, कृपया विनिर्दिष्ट करें

ड. क्या बालक को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया है: हां/नहीं

च. क्या बालक कूड़ा बीनने में शामिल रहा है: हाँ/नहीं

छ. क्या बालक किसी गिरोह या वयस्कों या वयस्कों के समूह द्वारा उपयोग किया जाता है या नशीली दवाओं की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया है: हाँ/नहीं

ज. क्या बालक को किसी उद्देश्य के लिए खरीदा या बेचा या दलाली या दुर्व्यापार किया गया है: हाँ/नहीं, यदि हाँ:

झ. क्या माता-पिता की जानकारी में बालक का दुर्व्यापार किया गया था: हां/नहीं

ज. क्या बालक को माता-पिता/रिश्तेदारों द्वारा बेचा गया था: हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो क्या माता-पिता/रिश्तेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है: हाँ/नहीं

ट. क्या बालक को श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया था: हाँ/नहीं, यदि हाँ:

(i) उद्योग जिसमें बालक कार्यरत था

(ii) क्या बालक को काम पर शोषण का सामना करना पड़ा है: हाँ/नहीं

(क) भुगतान के बिना काम से निकाला गया

(ख) काम की लंबी अवधि के साथ कम या कम मजदूरी

(ग) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

(iii) आय उपयोग का विवरण.....

(iv) बालक के सामने कोई व्यावसायिक खतरा: हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें.....

(v) क्या नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है: हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो मामले का विवरण विनिर्दिष्ट करें.....

(vi) बालक को दिया गया मुआवजा :

(क) अंतरिम

(ख) अंतिम

(ग) बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष

(ठ) पिछली संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो

(ड) क्या बालक को अस्थायी आश्रय प्रदान किया गया है: हाँ/नहीं

(ढ) क्या बालक के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है, निर्दिष्ट करें

(ण) कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन

27. यदि बालक ने यौन शोषण सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है, या किसी अपराध का शिकार हुआ है:

क. क्या बालक किसी अपराध का शिकार हुआ है: हाँ/नहीं

ख. बालक द्वारा सामना किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार:

(क) मौखिक दुर्व्यवहार- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ख) शारीरिक शोषण- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

(ग) यौन शोषण द्वारा-

सगे-संबंधी से रिश्तेदार

गोद लेने द्वारा रिश्तेदार

विवाह द्वारा रिश्तेदार

संरक्षकता द्वारा रिश्तेदार

पालक देखभाल में व्यक्ति

एक ही या साझा घर में रहने वाला व्यक्ति

किसी बालक को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था के स्वामित्व, या प्रबंधन, या कर्मचारियों में कोई भी व्यक्ति

विश्वास या अधिकार की स्थिति में कोई भी व्यक्ति

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

(घ) अन्य- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

ग. बालक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार:

- (i) भोजन से इनकार- माता-पिता/भाई-बहन नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....
- (ii) बेरहमी से पीटा गया- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iii) चोट पहुँचाना- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....
- (iv) निरोध- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....
- (v) अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

घ. यौन शोषण के मामले में :

- (i) अपराधी के साथ संबंध
- (ii) अपराधी का लिंग
- (iii) अपराधी की आयु
- (iv) बालक अपराधी के संपर्क में कैसे आया
- (v) उसी स्थान का कोई अन्य बालक जिसे अपराधी द्वारा दुर्व्यवहार/प्रताड़ित/उठाया/भेजा गया हो....
- (vi) क्या कोई अन्य व्यक्ति/लोग अपराध में शामिल थे
- (vii) क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बालक को किसी मुआवजे की सिफारिश की गई है: हां/नहीं।

यदि अन्य कोई हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें

ड. पुलिस द्वारा दर्ज मामला/एफआईआर: हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें

च. क्या बालक साइबर धमकी का शिकार हुआ है: हां/नहीं। अगर हाँ:

- (i) घर पर इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी
- (ii) स्कूल में इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी
- (iii) घर से स्कूल की कक्षाओं में भाग लेने के दौरान साइबर-धमकी

छ. क्या बालक को परामर्श दिया गया है: हां/नहीं, यदि हां, तो विवरण प्रदान करें

ज. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन.....

झ. पूर्व संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो

28. यदि बालक बाल विवाह का शिकार है या विवाहित है:

- क. पति या पत्नी का नाम
- ख. पति या पत्नी की आयु
- ग. विवाह की तिथि (दिन/मास/वर्ष).....
- घ. विवाह का स्थान.....
- ड. बालक का विवाह कराने के कारण.....
- च. बालक के विवाह कराने में शामिल लोग- i. माता-पिता ii. रिश्तेदार iii. अन्य।

- छ. यदि अन्य हैं, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
- ज. क्या पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है: हां/नहीं।
यदि हां, तो ब्यौरा दें.....
- झ. यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो उसका ब्यौरा
- ञ. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन.....

29. क्या बालक को प्रत्यावासित करने की आवश्यकता है: हाँ/नहीं। अगर हाँ:

- (i) अंतर-जिला प्रत्यावासन
(ii) अंतरराज्यीय प्रत्यावासन
(iii) अंतर-देशीय प्रत्यावासन

जांच का अवलोकन

30. भावनात्मक कारक
31. शारीरिक स्थिति
32. सामाजिक और आर्थिक कारक।
33. समस्याओं के विचारोत्तेजक कारण
34. मामले का विश्लेषण, अपराध के कारणों/योगदान कारकों सहित...
35. बालक की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के कारण.....
36. विशेषज्ञों की राय ली गई
37. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मूल्यांकन.....
38. बालक के जीवित माता-पिता/रिश्तेदारों/अभिभावक को बहाल करने के लिए जोखिम विश्लेषण
39. पिछला संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो...
40. जिला बाल संरक्षण इकाई/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता की मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और बच्चे के पुनः एकीकरण के संबंध में सिफारिश और सुझाई गई योजना.....

हस्ताक्षर

(अधिकृत व्यक्ति के)

64. मूल नियमों के प्ररूप 27 में, क्रम संख्या (1) में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii क) दर्पण आईडी नंबर”।

65. मूल नियमों के प्ररूप 39 में, शीर्षक में, “सामूहिक पालन पोषण देखरेख सहित” शब्दों का लोप किया जाएगा।

66. मूल नियमों के प्ररूप 46 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 46

[नियम 21(10), 41(3) और 41(9)]

बालक देखभाल संस्थानों का निरीक्षण

(उपयुक्त अनुसार भरें)

दौर की तारीख और समय :

बाल गृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम :

1.
2.
3.

संस्था का नाम और पता :

सुविधा का प्रकार : _____ (बाल गृह/संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थान/मुक्त आश्रय/विशेषीकृत दत्तकग्रहण संस्थाएं/उपयुक्त सुविधा)

यदि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त/का सहयोग प्राप्त हो तो उस विभाग का नाम

यदि सरकार द्वारा संचालित:.....

प्रभारी व्यक्ति का नाम :

संपर्क संख्या

ई-मेल आईडी :

संकेतक	स्थिति (हां/नहीं)	टिप्पणियां (अनुपालन/ आंशिक अनुपालन के मामले)	अधिनियम/ विनियम
विधिक स्थिति			
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860/ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण			धारा 41/नियम 21: बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882/ कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण संख्या			
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण			
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण संख्या			
विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010, रजिस्ट्रीकरण (यदि कोई हो)			

कार्य			
मंजूर की गई क्षमता (संख्या में)			
संस्थानों में रखे गए बच्चों की कुल संख्या			नियम 18 और 19: समिति के समक्ष प्रस्तुत और जांच
बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के बिना गृहों में रह रहे बच्चों की संख्या			
क्या रह रहे बालकों की आयु 0-5 वर्ष के आयु समूह में है? (विनिर्दिष्ट करें)			
क्या रह रहे बालकों की आयु 18 वर्ष से अधिक है? (विनिर्दिष्ट करें)			
चालू मास में नए प्रवेशों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
ऐसे बालकों की संख्या जो वहां से चले गए/विमुक्त हुए? (विनिर्दिष्ट करें)			
मास के दौरान बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संदर्भित बालकों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
मास के दौरान बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए गए बच्चों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
पिछले मास के अंत में बालकों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
विशेष जरूरतमंद बालकों की संख्या, यदि हां तो (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल बालकों की संख्या संस्था की क्षमता से कम है या अनुरूप है			धारा 41: बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण
4 मास से अधिक समय से रह रहे बालकों की संख्या			प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा का स्थान
प्रबंधन समिति			नियम 39: प्रबंधन समिति
एक साल में आयोजित की गई बैठकों का औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
स्थापित की गई बाल समिति			नियम 40: बाल समितियां
एक साल में आयोजित की गई बैठकों का औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
स्थापित की गई दत्तकग्रहण समिति			धारा 65: विशेष दत्तकग्रहण एजेंसी
एक साल में आयोजित की गई बैठकों की औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			

अल्प अवधि के लिए बालकों के मनः सामाजिक पुनर्वास के अतिरिक्त गतिविधि मुक्त आश्रय/आश्रय गृह कोई गतिविधि			मुक्त आश्रय
बालकों के संबंध में जानकारी केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती है।			
भौतिक अवसंरचना			
भवन (किराया या स्वामित्व पर)			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
नाम, बाल देखभाल संस्था के प्रकार, संपर्क को दर्शाने वाला नामपट्ट विवरण			
शिक्षा (कक्षा)			
शयन गृह/शयनशाला			
रसोईघर			
परामर्श			
टेलिविज़न के साथ मनोरंजन			
रोगी कक्ष			
पुस्तकालय			
आगंतुकों के लिए कक्ष			
व्यावसायिक प्रशिक्षण			
भोजन कक्ष			
भण्डार गृह			
अभिलेखालय			
कार्यालय कक्ष			
कर्मचारी निवास			
स्नान गृह			
प्रसाधन			
इंटरनेटयुक्त कम्प्यूटर			
चहारदीवारी/घेराबंदी			
10 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अलग से रहने का स्थान			
संस्थागत सुविधा			
सुरक्षित भंडार किए गए रिकार्ड			नियम 26: बाल देखभाल संस्थाओं का
तात्कालिक नम्बर सहित आवश्यक विवरण			
ड्यूटी चार्ट			
मेनू चार्ट			
उपस्थिति प्रास्थिति			
साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची			

कैंपस से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा			प्रबंधन और मानीटरी
स्टॉफ और प्रबंधन से बच्चों के लिए अलग सुविधाएं			
सुविधाएं और सहयोग (उपकरण, कर्मचारी, पढ़ाने और सीखने के उपकरण) विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए			
दृश्य आवश्यकताएं			
बौद्धिक आवश्यकताएं			
श्रवण संबंधित आवश्यकताएं			
अस्थायी भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य सामान जिन्हें बच्चे स्वयं खींच सकें, से मुक्त कमरे और शयनगृह			
छत की दीवारों, फर्श की कवरींग, वस्त्रों, परदे, खिड़की के पर्दे, जुड़नार और उपस्करों की अच्छी स्थिति			
बालकों के शयनगृहों/शौचालयों में विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में कर्मचारी/आगंतुकों के पहुंच के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश			विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण
दीवारों और कम्पाउंड आकर्षक चित्रों/कार्टूनों/चित्रों आदि से रंगा हुआ			
बाहरी गेट के नज़दीक एक पालना रखा गया है या नहीं			
शिशु, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को अलग किया जाता है या नहीं			
शिशु और छोटे बच्चों के क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंध			
सुरक्षित क्षेत्र में शिशु और छोटे बच्चों की स्वतंत्र गतविधि			नियम 67: सुरक्षा उपाय
शौचालय और स्नानगृह में निजता बनी है या नहीं			
आधारभूत तात्कालिक मेडिकल देखभाल उपस्कर उपलब्ध हैं या नहीं			
विशेष तात्कालिक मेडिकल देखभाल उपस्कर उपलब्ध हैं या नहीं			
बाल अनुकूल स्नानगृह/बालकों के लिए विशेष रूप से स्नान गृह क्षेत्र (1:10) में उपलब्ध हैं या नहीं (विनिर्दिष्ट संख्या)			नियम 31: स्वच्छता और सफाई
विशेषरूप से बच्चों के लिए बाल अनुकूल शौचालय (1:7) उपलब्ध हैं या नहीं (विनिर्दिष्ट संख्या)			
सुरक्षित और संरक्षित पेयजल भंडारण उपलब्ध हैं या नहीं			

सभी बच्चों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है या नहीं			
उचित नाली और कूड़ा-करकट निपटान सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			
स्टाफ			
एक भारसाधक व्यक्ति			नियम 26: बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंधन और मानीटरी
दो परामर्शदाता			
तीन बाल कल्याण अधिकारी/अस्थायी अधिकारी/मामला कार्यकर्ता			
चार गृह माता/गृह पिता			
एक मेडिकल अधिकारी (फिजिशियन)			
एक पैरामैडिकल स्टाफ			
एक स्टोर कीपर सह लेखाकार			
एक (अंशकालिक) आर्ट और क्राफ्ट सह संगीत अध्यापक			
एक (अंशकालिक) शारीरिक प्रशिक्षण संचालक- सह-योगा प्रशिक्षक			
एक चालक			
दो रसोईया			
दो सहायक			
दो हाउस कीपिंग			
सुरक्षा गारद			
अन्य कोई			
क्या भर्ती के रिकार्ड सहित प्रत्येक स्टाफ की व्यक्तिगत फाइलें उपलब्ध हैं			
संदर्भ जांच			
कार्य प्रोफाइल			
प्रदर्शन का मूल्यांकन			
बालिका इकाई के लिए महिला अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी उपलब्ध			
कर्मचारियों का प्रशिक्षण			
कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण अर्थात्: सामाजिक कार्यकर्ता			नियम 89: बच्चों के साथ रहने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण
बाल कल्याण अधिकारी			
मामला कार्यकर्ता			
पुनर्वास सह नियोजन अधिकारी			
देखभाल करने वाले			
गृह पिता और गृह माता			
सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी			

बाल देखभाल संस्थान के कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं			
पुनर्वास-सह-नियोजन अधिकारी			नियम 65: पुनर्वास-सह-नियोजन अधिकारी
परिसर में रहने वाले अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी			नियम 61: बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य
बाल देखरेख सुविधाएं			
पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं या नहीं			नियम 38: आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधाएं
खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित बाहरी स्थान उपलब्ध है और बच्चों के लिए सुलभ है या नहीं			
विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण (एमसीई) के साथ बेबी केयर यूनिट की उपलब्धता है या नहीं			
शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित खिलौनों की उपलब्धता है या नहीं			
व्यक्तिगत बिस्तर उपलब्ध हैं और बच्चों को दिए जाते हैं या नहीं			नियम 29: भौतिक अवसरंचना
रहने और गतिविधियों के लिए आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को अलग किया गया है या नहीं			
रहने और गतिविधियों के लिए लिंग के अनुसार बच्चों को अलग किया गया या नहीं			
बच्चों को चोट के जोखिम को कम करने के लिए या जितनी जल्दी हो सके इसके लिए स्टाफ पर्यवेक्षक के अधीन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं या नहीं			नियम 34/35: चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य
भावनात्मक संकट में बालकों की सक्रिय निगरानी (डर, आघात या बीमारी के कारण) है या नहीं			
रोकथाम और दुरुपयोग से सुरक्षा			
बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया			नियम 76: बच्चे के साथ दुर्व्यवहार और शोषण
कर्मचारी और प्रबंधन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है			
दुरुपयोग की रोकथाम सहित कार्यात्मक और सुलभ शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र स्थित है, जैसे			

सुझाव बॉक्स			
चाइल्ड हैल्पलाइन			
सीसीटीवी कैमरे			
बाल समितियां			
नियमित स्टाफ-चिल्ड्रन इंटरफेस			
बच्चों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास			
सुझाव या शिकायत पुस्तिका में मिली कोई शिकायत			
दैनिक दिनचर्या			
गतिविधि की दैनिक दिनचर्या का पालन किया जाता है			नियम 32: दैनिक दिनचर्या
बच्चों की समिति के साथ परामर्श से या आवश्यकता के अनुसार दैनिक दिनचर्या तैयार की जाती है			
संस्था में प्रमुख स्थानों पर दैनिक दिनचर्या सार्वजनिक डिस्प्ले पर है			
पोषण			
कर्मचारी, विकास के परिवर्तनीय चरणों में बालक की पोषण संबंधी आवश्यकता से अवगत है			नियम 33: पोषण और आहार पैमाना
बच्चों के परामर्श से भोजन का प्लान किया जाता है			
भोजन निर्धारित मानदंडों/आहार पैमाने के अनुसार प्रदान किया जाता है			
बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है			
त्यौहारों/अवसरों के दौरान विशेष भोजन करवाया जाता है			
डॉक्टर की सलाह के अनुसार बीमार/विशिष्ट स्वास्थ्य वाले बालकों को विशेष आहार प्रदान किया जाता है			
गृह को दानदाताओं से प्रायोजित पका हुआ/बिना पका भोजन, दोपहर का भोजन, रात का खाना आदि प्राप्त होता है			
पका हुआ भोजन यदि प्रायोजित है तो परोसने से पहले देखभालकर्ता द्वारा इसकी जांच की जाती है			
आया/देखभाल करने वालों की देखरेख अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाती है जब वे बच्चों को खाना खिला रही होती हैं			

वस्त्र, बिस्तर की स्वास्थ्यकर			
सभी बालकों को मानदंड के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसमी और उम्र के अनुकूल कपड़े, वस्तुएं और प्रसाधन प्रदान किए जाते हैं।			नियम 30: वस्त्र, बिस्तर, प्रसाधन सामग्री और अन्य वस्तुएं
सभी बच्चों को मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसम के अनुसार उपयुक्त चटाई और सोने की सामग्री प्रदान की जाती है			
आवश्यकतानुसार सोने की सामग्री को नियमित रूप से साफ/स्वच्छ किया जाता है या पुनः उपयोग करने से पहले			नियम 31: स्वच्छता और स्वास्थ्यकर
संक्रमण और बीमारी की रोकथाम के लिए कमरों को नियमित रूप से धूप देकर कीटाणुरहित किया जाता है और सामग्री प्रदान की जाती है			
प्रत्येक बालक को अपना सामान रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान आवंटित किया गया है			
पुराने सामान जैसे कपड़े, चादरें, चटाई, बिस्तर आदि दान करने पर उपयोग करने से पहले साफ/कीटाणुरहित कर दिए जाते हैं।			
क्या बच्चों के लिए घर में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: पंखे			
कूलर			
एयरकंडीशनर			
सर्दियों के लिए हीटर			
स्वास्थ्य देखभाल			
प्रवेश पर प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है			नियम 34/35: चिकित्सा देखभाल/मानसिक स्वास्थ्य
हर बालक के नियमित स्वास्थ्य जांच होती है			
प्रत्येक बालक के पास स्वास्थ्य कार्ड है और रिकार्डों/फाइलों का रखरखाव और अद्यतन किया जाता है			
रात में घर में नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है			
स्टाफ/नर्स द्वारा बालक को दवाएं दी जाती हैं			
प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है			
6 साल तक के बच्चों का अनिवार्य टीकाकरण किया जाता है			

शिक्षा			
शैक्षिक निर्धारण आयोजित किया जाता है और प्रत्येक बालक की आवश्यकता को पूरा किया जाता है			नियम 36/69: बालकों की शिक्षा/ संस्थागत प्रबंधन
सभी बालकों को उम्र के अनुकूल औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है			
खेलने के तरीके से सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर पर्याप्त जोर दिया जाता है।			
आयु उपयुक्त, व्यवहार्य और बाजार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है			नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण
बच्चों को प्रदान किए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण का चयन करने के लिए उनसे चर्चा की जाती है।			
आयु उपयुक्त जीवन कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है			
मनोरंजन			
बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं			
कर्मचारी बालकों के साथ ऐसी मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होते हैं			
सहयोग/भागीदारी, लचीलापन, आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवीन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है			
प्रवेश और रिपोर्टिंग			
नियमित समय के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष सभी प्रवेश के लिए बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है			धारा 31/ नियम 18: समिति के समक्ष प्रस्तुत
गृहों में सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के आर्डर की अनुपालना में घर में रखा जाता है।			
निर्धारित समय-सीमा के अंदर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सभी प्रवेश लिए गए बालकों को प्रस्तुत किया जाता है।			धारा 10/नियम 9: बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत
किशोर न्याय बोर्ड के आर्डर की अनुपालना में सभी बच्चों की अवलोकन गृहों, विशेष गृहों/सुरक्षा स्थानों पर रखा जाता है।			
बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के			

माध्यम से प्रत्येक बालक की बहाली			
जैसा कि निदेशित है निर्धारित समय के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रत्येक बालक की पूर्ववृत्त जमा करवायी जाती है।			नियम 19 / 69: पूछताछ/ बालकों का संस्थागत प्रबंधन
गृह ने बालक के जैविक माता-पिता/अभिभावक का पता लगाने के प्रयास किए हैं।			
गृह द्वारा जैविक परिवारों का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है।			
व्यक्तिगत मामला अभिलेख			
प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाती है।			
यदि हां, प्रत्येक बच्चे के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना कार्यान्वित की जाती है।			
एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता या अनुभवी व्यक्ति ने प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) तैयार की है।			
आईसीपी बालक के प्रवेश के 30 दिनों के अंदर गृहों में बालकों के लिए तैयार की जाती है।			
अभिलेखों का रखरखाव			
गृह मास्टर प्रवेश रजिस्टर रखते हैं।			नियम 77: रजिस्ट्रों का प्रबंधन
गृह बालकों को ट्रैक करने के लिए मास्टर प्रवेश रजिस्टर को नवीनीकृत करता है।			
गृह, गोद लेने के उद्देश्य से केंद्रीकृत डेटाबेस और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित पोर्टल में मास्टर प्रवेश रजिस्टर को अद्यतन करता है।			
वर्तमान में उपस्थित बालकों की संख्या उपस्थिति रजिस्टर से मेल खाती है			
बालकों के बारे में मासिक डेटा राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी/जिला बाल संरक्षण इकाई, जैसा भी मामला हो, को भेजा जाता है			नियम 22: मुक्त आश्रय
बहाली का दस्तावेजी प्रमाण- इसके संबंध में पहचान प्रमाण के साथ माता-पिता/अभिभावक का पत्र उपलब्ध है			
क्या गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त बच्चों का विवरण संस्था द्वारा रखा जाता है।			
बाल देखरेख संस्थान बालक की सभी प्रासंगिक जानकारी रखता है अर्थात् -			
व्यक्तिगत देखभाल योजना के साथ व्यक्तिगत मामला फाइल			

मामला पूर्ववृत्त			
जांच रिपोर्ट			
बाल कल्याण समिति के आदेश			
चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (एमईआर)			
बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)			
गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)			
जन्म प्रमाणपत्र			
न्यायालय के आदेश			
तिमाही प्रगति रिपोर्ट			
स्वास्थ्य रिपोर्ट			
प्रत्येक बालक का परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट, सामाजिक पूर्ववृत्त/मामला पूर्ववृत्त व्यक्तिगत फाइल में उपलब्ध है			नियम 77: रजिस्ट्रों का रखरखाव
बालक के साथ बातचीत की प्रारंभिक रिपोर्ट अभिलेख में है			
रजिस्टर			
मास्टर नामांकन और छोड़ने का रजिस्टर			
पर्यवेक्षण रजिस्टर			
प्रत्येक बालक का मामला फाइल			
चिकित्सीय फाइल और चिकित्सीय रिपोर्ट			
बालकों और कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर			
आदेश पुस्तिका			
जांच रिपोर्ट की फाइल			
बालकों के सुझाव की पुस्तिका/फाइल			
वाउचर, रोकड़ पुस्तिका, लेजर, जर्नल/रोजनामचा और वार्षिक खाते			
अनुदान उपयोग रजिस्टर			
स्टॉक रजिस्टर			
प्रबंध समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख			
शिकायत समिति			
कर्मचारी- बाल संवाद			
कर्मचारियों की बैठकें			
पोषण/ आहार रजिस्टर			
बजट विवरण रजिस्टर			
आंगतुक पुस्तिका			
कर्मचारियों की क्रियाकलापों का रजिस्टर			
व्यक्तिगत सामानों का रजिस्टर			

बालकों की क्रियाकलापों का रजिस्टर			
यदि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण है			
बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिकरण में एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/ अनुभवी कार्मिक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त करने की घोषणा के बाद प्रत्येक बालक की औपचारिक बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिकरण में एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/ अनुभवी कार्मिक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त करने की घोषणा के बाद प्रत्येक बालक की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
बाल अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
बाल चिकित्सीय जांच रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
दत्तक ग्रहण के लिए बालकों और भावी दत्तक ग्राही माता-पिता से संबंधित रिपोर्ट को केन्द्रीकृत डाटाबेस और पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाता है			
दत्तक ग्रहण से संबंधित			
जैसे ही बालक दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त हो जाते हैं, अभिकरण अविलंब बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट अपलोड करती है			विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण
प्रत्येक बालक के रेफरल और मिलान का निर्णय दत्तक ग्रहण समिति द्वारा लिया जाता है			
अभिकरण प्रत्येक गोद लेने योग्य बालक का दत्तक परिवार और नए परिवेश के साथ आत्मसात करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती है			
अभिकरण ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को दर्शाने वाले पत्रक/पैम्फलेट/साहित्य/कोई अन्य प्रचार सामग्री विकसित की है			
दत्तक ग्रहण रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और दत्तक ग्रहण के लिए रखे गए प्रत्येक			

बालक की पूर्ण दत्तक ग्रहण फाइल उपलब्ध है			
दत्तक ग्रहण के लिए रखे गए बालकों के नियमित अनुसरण			
अभिकरण देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों के संबंध में उनके गोद लिए जाने के बाद की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करती है/रखती है।			
गोद लेने के बाद के सभी अभिलेख इस तरह रखी गई है कि अभिलेख तक सभी लोगों की पहुंच न हो			
अभिकरण ने बालक की सभी जानकारी और दस्तावेज के साथ-साथ उसके सामान को भी सुरक्षित संरक्षण में रखा है			
जानकारी को कैसे संरक्षित किया जाए और अगर बच्चा अपना मूल वंश खोजने के लिए आता है तो उसका प्रसार कैसे किया जाए, इसके लिए एक योजना बनाई गई है			
देश में गोद लिए गए बालकों के मामले में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है			
अंतर देशीय रूप से गोद लिए गए बालकों के मामले में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है			
अभिकरण रजिस्ट्रीकृत सभी संभावित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट अविलंब और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करती है			
अभिकरण किसी बालक को दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और सौंपने और रेफरल की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दत्तक पूर्व-पालक देखरेख में रखती है।			
अभिकरण को मानदंडों के अनुसार दत्तक ग्रहण शुल्क प्राप्त होता है			
अभिकरण बालक के अध्यर्पण से पहले जैविक माता-पिता से उचित जानकारी प्राप्त करती है			
बाल कल्याण समिति की उपस्थिति में ही अभिकरण अध्यर्पण विलेख (सरेंडर डीड) निष्पादित करवाती है			
अभिकरण बालक के माता-पिता को अध्यर्पण के निहितार्थ जिसमें विदेशियों द्वारा बालक को गोद लेने की संभावना और उसके साथ आगे कोई संपर्क नहीं होना शामिल है के बारे में व्याख्या कर बताती है			
अभिकरण माता-पिता को सूचित करती है कि			

अध्यर्पण की तारीख से उन्हें साठ दिनों की पुनर्विचार करने की अवधि मिलेगी, जिस अवधि के दौरान वे बालक को वापस ले सकते हैं			
अभिकरण अविवाहित मां और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखती है			
यदि माता-पिता द्वारा दावा किया जाता है, तो पुनर्विचार की अवधि समाप्त होने के बाद अभिकरण बालक को जैविक माता-पिता को पुनर्स्थापित करती है			
अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता और बालकों को उनकी आवश्यकता पड़ने पर परामर्श प्रदान करती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार होने से पहले अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता को परामर्श प्रदान करती है			
अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए दत्तक माता-पिता संघों, दत्तक परिवारों और पुराने दत्तक ग्रहण करने वालों से संपर्क करने की सलाह देती है/प्रोत्साहित करती है।			
अभिकरण दत्तक माता-पिता को सलाह देती है कि वे बड़े बालक का नाम न बदलें ताकि बालक को उसकी पहचान बनाए रखने में मदद मिल सके।			
वित्तीय पारदर्शिता			
वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन की एक साथ या अलग से उपलब्ध सूचना का विवरण			
वित्तपोषण का स्रोत - सरकारी सहायता/अनुदान			
राष्ट्रीय दानकर्ता			
अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता (एफ सी आर ए)			
कारपोरेट दानकर्ता			
स्वयं का स्रोत			
अन्य			
इसके द्वारा अनुरक्षित परियोजना वार बैंक खाते (खातों) की संख्या, उद्देश्य, प्राप्त राशि सहित उपलब्ध एफसीआरए खाते का विवरण			खाते एवं लेखा परीक्षण
गृह वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संगठन के लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति, राज्य सरकार को			

प्रस्तुत करता है				
अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक खातों का ऑडिट किया जाता है				
लेखा और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियां, गृह ने सक्षम प्राधिकारी को पिछले 2 वर्षों के रिटर्न प्रदान किए हैं।				
मानदंड और लिए गए समय के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं				
अभिकरण ने पिछले दो वर्षों के दौरान देश में और दूसरे-देशों के लिए अलग-अलग प्राप्त बालक के गोद लेने के शुल्क के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की है।			विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	
अभिकरण को निर्धारित मानदंडों के अलावा गोद लेने का शुल्क प्राप्त होता है				
अभिकरण गोद लेने के शुल्क को प्राप्त करने और उपयोग करने सहित वित्तीय अभिलेख रखती है				
गृह, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संगठन के लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति प्रस्तुत करता है				
दत्तक ग्रहण अभिकरण निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार दत्तक ग्रहण शुल्क के रूप में उपलब्ध धन का उपयोग करती है				
अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सालाना खातों का ऑडिट किया जाता है				
निरीक्षण				
निरीक्षण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है				नियम 41: निरीक्षण
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया				
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है				
बाल कल्याण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			धारा 30: समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व	
बाल कल्याण समिति द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक दिया गया				
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है				
उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			जेजे समिति और डब्ल्यूसीडी द्वारा संचालित निरीक्षण	
उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा				

निरीक्षण पर फीडबैक दिया गया			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			
महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			नियम 91: राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान की गई			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक दिया गया			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
पूर्व में गृह का सोशल ऑडिट हो चुका है और रिपोर्ट सकारात्मक आई है			
गृह के पास निरीक्षण सिफारिशों की एक प्रति और उस पर कार्रवाई का अभिलेख है			नियम 41: निरीक्षण
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई सुधार हुआ है			
कार्यक्रम संबंधी संपर्क			
बालकों के लिए चिकित्सा देखरेख और मानसिक स्वास्थ्य सेवा			नियम 34: चिकित्सा देखरेख
शिक्षा			नियम 36: शिक्षा
व्यावसायिक प्रशिक्षण			नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण
जीवन कौशल, कला और नृत्य और नाटक चिकित्सा और व्यावसायिक उपाय और अन्य मुद्दों पर आधारित कार्यशालाएं			नियम 38: मनोरंजन की सुविधाएं
खेल सहित मनोरंजक गतिविधियाँ			
रुचि की कक्षाएं			
भाषण / फिजियोथेरेपी सहित स्वास्थ्य			नियम 35: मानसिक स्वास्थ्य
विधिक सहायता सेवा			नियम 39: प्रबंध समिति

नशामुक्ति सेवाएं			नियम 27: समुचित सुविधाएं
जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित/विशेष श्रेणी के प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों सहित			
गृह ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास के लिए अन्य बाल देखरेख संस्थानों के साथ संबंध स्थापित किए हैं			
बालकों की बहाली और पुनर्वास और जिनके साथ उनके संबंध स्थापित किए गए - बाल कल्याण समिति			
किशोर न्याय बोर्ड			
चाइल्ड हेल्पलाइन			
जिला बाल संरक्षण इकाई			
जिला प्रायोजन और पालन-पोषण अनुमोदन समिति			
दत्तकग्रहण के उद्देश्य से दत्तकग्रहण योग्य बालकों का विवरण बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित केन्द्रीकृत डाटबेस और पोर्टल पर अपलोड किया गया है			धारा 65: विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी
विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसी परिसर में स्थित है			
जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित/विशेष श्रेणी के प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों सहित			
कोई अन्य संस्थान भी उसी परिसर में स्थित है			

उल्लंघन

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमों का उल्लंघन

2. (क) लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन।

(ख) यदि हाँ, तो क्या लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 का पालन किया गया था?

3. कोई अन्य उल्लंघन/अवलोकन/टिप्पणियां / कोई नहीं।

बच्चों के साथ संवाद

निरीक्षण के दौरान, बालकों के साथ अनौपचारिक बातचीत उचित आयु वर्ग के बालकों के एक समूह के साथ खुले मैत्रीपूर्ण वातावरण में आयोजित की जा सकती है ताकि संस्थान में उनकी सुरक्षा, संरक्षा और अपराध से सुरक्षा के बारे में पता लगाया जा सके। बातचीत शिक्षा, कौशल, खेल, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर केंद्रित हो सकती है। बालकों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1. संवाद का संचालन करने के लिए सामान्य सिद्धांत

संवाद संचालन करने में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाना है: -

- (i) गोपनीयता
- (ii) पारदर्शिता

(iii) सहभागिता

प्रश्नों को सरल और सामान्य रखें। दिखाएँ कि आप वास्तव में बालक/बालकों में रुचि रखते हैं।

2. संबंध निर्माण और सामान्य बातचीत - विषय के बारे में एक सामान्य, खुले अंत वाले प्रश्न के साथ चर्चा शुरू करें जैसे कि उस घर के बारे में विचार पूछना जिसमें बच्चे रह रहे हैं। निरीक्षण करने वाली टीम/अधिकारी बालकों से गृह के सकारात्मकता और नकारात्मकता के बारे में पूछ सकते हैं।
3. सामान्य मुद्दों पर चर्चा- निरीक्षण दल/अधिकारियों को बालकों से उनका विश्वास और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए साधारण प्रश्न पूछने चाहिए। साधारण प्रश्न प्रशासन और कर्मचारियों के साथ मुद्दों, घर में रहने के दौरान बालकों के सामने आने वाले मुद्दों, गृह के कर्मचारी कितने मददगार हैं, शिकायत की रिपोर्ट करने के उपाय और घर में बाल संरक्षण नीति के बारे में जानकारी पर केंद्रित हो सकते हैं।
4. संवाद पर अवलोकन-

5. यदि बाल शोषण का कोई मामला पाया जाता है/संदिग्ध होता है, तो उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

प्रेक्षण/टिप्पणियां:

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:"

67. मूल नियमों के प्ररूप 46 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप 46 क

[नियम 21(3) और नियम 21(15)]

बाल देखभाल संस्थान के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए निरीक्षण प्ररूप

राज्य :

जिला :

संस्थान का नाम:

शैक्षणिक सुविधाएं:

सुविधा का प्रकार : _____ (बाल गृह/प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थल/खुला आश्रय/विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी/उपयुक्त प्रसुविधा)

संस्थान का नाम और पता :

अधिनियम/नियम	सूचकांक	स्थिति (हां या नहीं)	टिपपणियां (अनुपालन न होने या आंशिक रूप से अनुपालन के मामले में)
I. विधिक स्थिति			
बाल देखरेख संस्थान का पंजीकरण	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/भारतीय न्यास अधिनियम 1882/कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण		
	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/भारतीय न्यास अधिनियम 1882/कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल संगठन की पंजीकरण संख्या		
	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010, पंजीकरण (यदि कोई हो)		
II. भौतिक अवसंरचना			
नियम 29: भौतिक अवसंरचना	नाम, सीसीआई का प्रकार, संपर्क विवरण दर्शाते हुए प्रदर्शित साइनबोर्ड		
	चहारदीवारी/बाड़ लगाना		
	कक्षा		
	शयनशाला		
	रसोईघर		
	परामर्श		
	मनोरंजन		
	रोगी कक्ष		
	पुस्तकालय		
	आगंतुकों का कमरा		
	व्यावसायिक प्रशिक्षण		
	भोजन कक्ष		
	भंडार		
	रिकॉर्ड रूम		
	कार्यालय कक्ष		
कर्मचारियों के लिए निवास			
स्नानघर			
शौचालय			
	छत की दीवारों, फर्श की बिछायतें, वस्त्र विन्यास, पर्दे (खिड़की के), फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण की अच्छी स्थिति		
	विशेष रूप से बालकों के लिए उपलब्ध बालकों के		

नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	अनुकूल स्नानघर/स्नान क्षेत्र (1:10)		
	विशेष रूप से बालकों के लिए उपलब्ध बालकों के अनुकूल शौचालय (1:7)		
	सुरक्षित और शुद्ध पेयजल का भंडारण उपलब्ध है		
	सभी बालकों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है		
	उचित जल निकासी और कचरा निपटान की सुविधा उपलब्ध है		
	विशेष रूप से बालकों के शयनशाला/शौचालय में कर्मचारियों/आगंतुकों की पहुंच के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत		
III. प्रबंधन/कर्मचारियों की तैनाती का तरीका			
नियम 26: बाल देखरेख संस्था का प्रबंधन और मानीटरी	1 प्रभारी व्यक्ति		
	2 परामर्शदाता		
	3 बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता		
	4 गृह माता/गृह पिता		
	1 चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)		
	1 अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारी		
	1 स्टोर कीपर - सह लेखाकार		
	1 कला और शिल्प सह संगीत शिक्षक (अंशकालिक)		
	1 (पीटी) अनुशिक्षक सह योग प्रशिक्षक (अंशकालिक)		
	1 चालक		
	2 रसोइया		
	2 सहायक		
	2 हाउस कीपिंग		
	सुरक्षा गारद		
	अन्य कोई		
	बालिका इकाई हेतु महिला अधीक्षक/प्रबंधक/ प्रभारी उपलब्ध		
नियम 89: बालकों से व्यवहार कर रहे कर्मियों का प्रशिक्षण	कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण - बाल अधिकार संरक्षण		
	देखभाल करने वाला		
	पुनर्वास		
	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015		
	मिशन वात्सल्य		
नियम 76: बालकों का	देखरेख करने वालों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण		

दुरुपयोग एवं शोषण	बालकों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण		
नियम 65: पुनर्वास -सह स्थापन अधिकारी	पुनर्वास -सह स्थापन अधिकारी		
नियम 61: किसी बाल देखरेख संस्था के भारसाधक व्यक्ति के कर्तव्य	अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी परिसर में रहें		
IV. कार्यक्षमता			
नियम 29: भौतिक अवसंरचना	इंटरनेट सुलभ कंप्यूटर		
	सुरक्षित रूप से संग्रहीत रिकॉर्ड		
	आवश्यक विवरण सहित- आपातकालीन नंबर		
	ड्यूटी चार्ट		
	मेनू चार्ट		
	उपस्थिति स्थिति		
	साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची		
	परिसर के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा		
	कर्मचारियों और प्रबंधन से बालकों के लिए अलग सुविधाएं		
	विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सुविधाएं और सहायता (उपकरण, कर्मचारी, शिक्षण और शिक्षण सामग्री/सहायक सामग्री)		
	दृश्य आवश्यकताएं		
	बौद्धिक आवश्यकताएं		
	श्रवण आवश्यकताएं		
अन्य			
कमरे और शयनशाला में अस्थिर भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य वस्तु नहीं हैं जिन्हें बालक अपने ऊपर खींच सकते हैं			
नियम 67: सुरक्षा उपाय	शौचालय और स्नान गृह क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखी जाती है		
	आधारभूत आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के उपकरण उपलब्ध		
	विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखरेख उपकरण उपलब्ध		
V. दुर्व्यवहार से निवारण और संरक्षण			
नियम 76: बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण	बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया		
	दुर्व्यवहार का निवारण सहित कार्यशील और सुलभ शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है, जैसे- सुझाव पेटिका		

	चाइल्ड हेल्पलाइन		
	सीसीटीवी कैमरे		
	बाल समितियां		
	नियमित स्टाफ-चिल्ड्रन इंटरफेस		
VI. दैनिक दिनचर्या और सुविधाएं			
नियम 32: दिनचर्या	बाल समिति के परामर्श से और/या बालकों की सहभागिता या आवश्यकता के अनुसार दिनचर्या तैयार की जाती है		
	संस्था में प्रमुख स्थानों पर दिनचर्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है		
नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं	पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं		
	खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित खुला स्थान उपलब्ध है और बालकों के लिए सुलभ है		
VII. पोषण और मनोरंजन			
नियम 33: पोषण और आहार मानक	कर्मचारी विकास के विभिन्न चरणों में बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकता से अवगत है		
नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं	बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं		
	बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं		
	सहयोग/भागीदारी, लचीलापन, आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवाचार कार्यक्रमलाप का उपयोग किया जाता है		
VIII. कपड़े, बिस्तर की स्वच्छता			
नियम 30: कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन और अन्य सामग्री	मानकों के अनुसार स्वच्छ, मौसमी और आयु के अनुकूल कपड़े, वस्तुएं और प्रसाधन उपलब्ध हैं		
	मानकों के अनुसार स्वच्छ, मौसमी उपयुक्त चटाई और सोने की सामग्री उपलब्ध है		
नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	सोने की सामग्री को नियमित रूप से या आवश्यकतानुसार पुनः उपयोग करने से पहले साफ / क्रीमी रहित किया जाता है		
	संक्रमण और रोग के निवारण के लिए प्रत्येक बालक को नियमित रूप से धूम्रिकरण (धूप में रखी गई सोने आदि की सामग्री), कीटाणुरहित और सामग्री प्रदान की जाती है		
	प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत सामान रखने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध है		
	क्या बालकों के लिए गृह में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:		
	पंखे		
	कूलर		
	एयर कंडीशनर		

	सर्दियों के लिए हीटर		
IX. स्वास्थ्य देखरेख			
नियम 34/35: चिकित्सा देखरेख/ मानसिक स्वास्थ्य	रात में गृह में नर्स/अर्द्ध-चिकित्सीय स्टाफ उपलब्ध है		
	प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित है		
X. शिक्षा			
नियम 36/69: शिक्षा	आयु अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त शिक्षा विकल्प उपलब्ध है		
नियम 37: व्यासायिक प्रशिक्षण	आयु उपयुक्त, साध्य और बाजारोन्मुखी का विकल्प उपलब्ध है		
XI. रिकार्डों का रखरखाव			
नियम 77: रजिस्ट्रों का रखरखाव	मास्टर प्रवेश और निर्वहन रजिस्टर		
	पर्यवेक्षण रजिस्टर		
	चिकित्सा फाइल और चिकित्सा रिपोर्ट		
	बालकों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर		
	आदेश पुस्तिका		
	जांच रिपोर्ट फ़ाइल		
	बालकों की सुझाव पुस्तिका/फाइल		
	वाउचर, रोकड़ पुस्तिका, बहि, रोजनामचा और वार्षिक लेखा		
	अनुदान उपयोग रजिस्टर		
	स्टॉक रजिस्टर		
	पोषण/आहार रजिस्टर		
	बजट विवरण रजिस्टर		
	आगतुक पुस्तिका		
	कर्मचारी संचालन रजिस्टर		
	व्यक्तिगत सामानों से संबंधित रजिस्टर		
बाल संचालन रजिस्टर			
XII. वित्तीय पारदर्शिता			
	वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन की संपूर्ण/अलग से उपलब्ध सूचना के बारे में सूचना का विवरण		
	वित्तपोषण के स्रोत - सरकारी सहायता / अनुदान		
	राष्ट्रीय दाता		
	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय दाता		
	कॉर्पोरेट दाता		
	स्वयं के स्रोत		

	अन्य		
नियम 53: अधिकरण का लेखा-जोखा और लेखा परीक्षा	इसके द्वारा अनुरक्षित परियोजना वार बैंक लेखा (लेखाओं) की संख्या, उद्देश्य, प्राप्त रकम सहित उपलब्ध एफसीआरए लेखा का विवरण		

झ. पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश -

1. उल्लंघन या विसंगतियां या मानकों के अनुसार नहीं, का विवरण -
2. जिले में पहले से ही बाल देखभाल संस्थानों की _____ संख्या है (_____ बाल गृह की, _____ संप्रेक्षण गृह की, _____ आश्रय गृह की, _____ विशेष गृह की, _____ विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की) और _____ किशोर न्याय बोर्डों की, _____ बाल कल्याण समितियों की, _____ जिला निरीक्षण समितियों की संख्या है और वर्तमान में अतिरिक्त बाल देखरेख संस्था की आवश्यकता/आवश्यकता नहीं है (जो लागू हो चिन्ह लगाएं)।
3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त बाल देखरेख संस्था का पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण विचार करने की सिफारिश की जाती है।

या

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण पर विचार करने की सिफारिश नहीं की जाती। (जो भी लागू हो)

हस्ताक्षर और मुहर

(नाम)

जिला मजिस्ट्रेट

जिला _____

राज्य _____

दिनांक _____

68. मूल नियमों के प्ररूप 46 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् -

“प्ररूप 47

[नियम 21क(5), (8) और 9]]

समूह पालन पोषण देखरेख के लिए निरीक्षण प्ररूप

(जो लागू हो भरें)

निरीक्षण करने की तारीख और समय :

गृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम :

1.

2.

3.

समूह पालन पोषण देखरेख का नाम और पता :

पालन पोषण करने वाले माता-पिता के नाम :

संपर्क संख्या

ई-मेल आईडी :

संकेतक	स्थिति (हां या नहीं)	टिप्पणियां (अनुपालन न करने या आंशिक रूप से अनुपालन करने की दशा में)	
विधिक स्थिति			
समूह पालन पोषण देखभाल की सुविधा का पूर्ववर्ती पंजीकरण			नियम 21 क : बाल देखरेख संस्था का पंजीकरण
पूर्ववर्ती पंजीकरण की अवधि			
क्या समूह पालन पोषण देखरेख का पंजीकरण किसी भी समय रद्द किया गया है		यदि हां, तो कारण विनिर्दिष्ट करें	
प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक पुलिस सत्यापन किया गया है या नहीं			
बालकों की स्थिति			
स्वीकृति क्षमता (संख्या में)			
संस्था में रखे गए बालकों की कुल संख्या			
जैविक बालकों की संख्या			
बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालकों की संख्या			
बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालकों की संख्या			
पालन पोषण देखरेख में रखे गए भाई-बहनों की संख्या			
क्या वहां 0-5 वर्ष की आयु के बालक रह रहे हैं? (संख्या विनिर्दिष्ट करें)			
चालू मास में नए नियोजन की संख्या			
पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालक जो चालू मास में पालन पोषण देखरेख से बाहर चले गए जिसके अंतर्गत शामिल हैं :			
परिवार में पुनःस्थापित बालकों की संख्या			
सीसीआई में चले गए बालकों की संख्या			
दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों की संख्या			
पालन पोषण देखरेख में रखे गए विशेष आवश्यकता वाले बालकों की संख्या			
भौतिक अवसंरचना			
भवन (किराये या स्वयं का)			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
बालकों की स्वीकृत क्षमता के लिए कमरों की संख्या पर्याप्त है			
रसोईघर, उपलब्ध है या नहीं			

टेलीविजन सहित मनोरंजन			
बालकों की स्वीकृत क्षमता के लिए स्नानघरों की संख्या पर्याप्त है			
व्यक्तिगत बिस्तर उपलब्ध हैं और बालकों को प्रदान किए जाते हैं			
बालकों को रहने के लिए आयु वर्ग के अनुसार अलग किया गया			
बालकों को रहने के लिए लिंग के अनुसार अलग किया गया			
अवसंरचनात्मक सुरक्षा			
क्या कमरे अस्थिर भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य वस्तुओं से मुक्त है जो बालकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं			नियम 26: बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंध और मानीटरी करना
क्या छत की दीवारें, फर्श की विछायतें, वस्त्र विन्यास, पर्दे (खिड़की के), फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण अच्छी स्थिति में है			
शौचालय और स्नान क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखी जाती है या नहीं			नियम 67: सुरक्षा उपाय
आधारभूत आपातकालीन चिकित्सा देखरेख उपकरण उपलब्ध है या नहीं			
विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखरेख उपकरण उपलब्ध है या नहीं			
बाल देखरेख सुविधाएं			
पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं या नहीं			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित खुला स्थान उपलब्ध है और बालकों के लिए सुलभ है या नहीं			
दुर्व्यवहार का निवारण और संरक्षण			
क्या बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू है या नहीं			नियम 23: पालन पोषण देखरेख
क्या बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया रोक कर, बांधकर या किसी अन्य रूप में बालकों की गतिविधियों को प्रतिषेध करना/निबंधित करना व्यवहार्य है या नहीं			
भोजन, आराम या शौचालय जाने से रोका गया है या नहीं			
बाल शोषण, उपेक्षा, क्रूरता आदि के किसी भी पूर्ववर्ती मामले को पालन पोषण परिवार के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है या नहीं (ब्यौरा दें)			

पोषण			
पालन पोषण परिवार विकास के विभिन्न चरणों में बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकता से जागरुक है या नहीं			नियम 33: पोषण और आहार मानक
बालकों के परामर्श से भोजन की योजना बनाई जाती है या नहीं			
कपड़े, बिस्तर की स्वच्छता			
क्या सभी बालकों को मानकों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसमी और आयु के अनुकूल कपड़े, सामान और टायलेट्रीज उपलब्ध कराए जाते हैं या नहीं			नियम 30: कपड़े, बिस्तर, टायलेट्रीज और अन्य वस्तुएं
क्या सोने की सामग्री को नियमित रूप से या आवश्यकतानुसार पुनः उपयोग करने से पहले साफ/स्वच्छ किया जाता है या नहीं			नियम 31: स्वच्छता और स्वास्थ्य
क्या कमरों की नियमित रूप से सफाई की जाती है या नहीं			
क्या प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत सामान रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान आवंटित किया गया है या नहीं			
स्वास्थ्य देखरेख			
पालन पोषण परिवार को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है या नहीं			
पालन पोषण परिवार आधारभूत दवाओं से जागरुक है जो बालकों को बीमारी, आपात स्थिति के मामले में प्रशासित करने की आवश्यकता होगी या नहीं			
शिक्षा			
क्या सभी बालकों को आयु के अनुकूल औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है या नहीं			
क्या सभी बालकों का स्कूल में प्रवेश होता है या नहीं			
क्या सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं या नहीं			
क्या पालन पोषण परिवार बालकों को उनकी शिक्षा जैसे गृह कार्य, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन में मदद करने में सक्षम हैं या नहीं			
मनोरंजन			
क्या बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			नियम 38: मनोरंजन सुविधा

क्या बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			
रिकार्डों का रखरखाव			
समूह पालन पोषण देखरेख बालक की सभी सुसंगत जानकारी रखता है अर्थात् -			
व्यक्तिगत केस फाइल			
सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट			
व्यक्तिगत देखरेख योजना			
व्यक्ति वृत्त/केस हिस्ट्री			
सीडब्ल्यूसी आदेश			
बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)			
गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)			
जन्म प्रमाणपत्र			
तिमाही प्रगति रिपोर्ट			
स्वास्थ्य रिपोर्ट			
वित्तीय पारदर्शिता			
पालन पोषण परिवार की आय के स्रोतों के बारे में जानकारी उपलब्ध है			
पालन पोषण परिवार के पास पालन पोषण बालकों की स्वीकृत क्षमता के लिए पर्याप्त आय है			
वित्त पोषण के अन्य स्रोत (सरकारी/निजी)			
पूर्ववर्ती तीन वर्षों का प्रत्येक व्यक्ति का आयकर रिटर्न रिकार्ड			
निरीक्षण			
निरीक्षण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			नियम 44: निरीक्षण
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			
फीडबैक/प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा हर मास गृह का निरीक्षण किया जा रहा है			
गृह का निरीक्षण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया है			धारा 109/नियम 91: राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मानीटरी
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			

फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई सुधार हुआ है			

I. उल्लंघन

(क) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन।

यदि हाँ, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 का पालन किया गया था?

(ख) कोई अन्य उल्लंघन/अवलोकन/टिप्पणियां:

II. पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि उक्त समूह पालक देखरेख पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है और यदि नहीं तो - पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

हस्ताक्षर और मुहर

(नाम)

जिला मजिस्ट्रेट

जिला _____

राज्य _____

दिनांक _____

प्ररूप 48

[नियम 21(क)(7)]

समूह पालन पोषण देखरेख का पंजीकरण का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् और (दिनांक) को आयोजित सुविधा के निरीक्षण के आधार पर इस सुविधा को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के अधीन.....से..... वर्षों की अवधि के लिए समूह पालन पोषण देखरेख के रूप में मान्यता दी जाती है।

समूह पालन पोषण देखरेख किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 और समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा।

इस दिन दिनांकित20

(हस्ताक्षर)

नाम और पद

प्ररूप 49

[नियम 15(4क)]

समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथपत्र

मैं.....बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं यह सत्यापित करता हूँ कि अधिनियम की धारा 27(4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूँ।

- (1) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।
 - (2) मुझे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामले में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
 - (3) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से/सेवा से नहीं हटाया गया है।
 - (4) मैं कभी भी बाल अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यों के उल्लंघन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ, या
 - (5) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।
2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य विशिष्टियां

प्ररूप 50

[नियम 21 क(2)]

समूह पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करने वाले पालन पोषण परिवार/व्यक्तियों द्वारा घोषणा

मैं/हमसमूह पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करते हुए यह प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि :

- (i) मेरा/हमारा कोई पिछला दोषसिद्धि रिकार्ड नहीं रहा है।
 - (ii) मैं/हम किसी भी अनैतिक कार्य या बाल शोषण या बाल श्रम के किसी भी कार्य में शामिल नहीं रहे हैं।
 - (iii) मुझे/हमें केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो मैं दांडिक कार्रवाई और तत्काल अयोग्यता के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

(व्यक्तियों/पालन पोषण परिवार के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य विशिष्टियां

[फा. सं. सीडब्ल्यू-II/1/2016-सीडब्ल्यू-II-भाग(1)]

तृप्ति गुरहा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 898(अ), तारीख 21 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2022

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (1) of rule 2,—

(i) clause (iv) shall be omitted;

(ii) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:—

“(vi a) “conflict of interest” means “a situation in which a person has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties and where such person shall be ineligible to be associated with any statutory structure defined under the Act.”

(iii) in clause (ix),—

(a) for sub-clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(f) rescue, restoration and follow up”;

(b) for sub-clause (g), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(g) social mainstreaming and rehabilitation”;

(iv) for clause (xii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(xii) Person-in-charge or Superintendent” means a person appointed for the control and management of the Child Care Institution”;

(v) in clause (xiv), for the words “designated in every”, the words “designated for every” shall be substituted;

(vi) in clause (xviii),—

(a) for the words “a graduate with minimum seven years of experience in child education and development”, the words “a graduate with minimum three years of experience in matters relating to child education and development” shall be substituted;

(b) for the words “under the Act or these rules”, the words “under the Act or the rules made thereunder” shall be substituted;

(c) in Explanation, for the words “this definition, it is clarified that”, the words “this clause, it is hereby clarified” shall be substituted.

3. In the principal rules, in sub-rule (3) of rule 4, after the words “shall not be less than thirty five years of age”, the words “and shall not be more than sixty-five years of age on the date of notification” shall be inserted.

4. In the principal rules, in rule 5,—

(i) in sub-rule (2), the words “which shall not be continuous” shall be omitted.

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(5) If any complaint is made against a member of the Board, the State Government shall hold necessary inquiry except in respect of judicial officers; complaints against judicial officers shall be forwarded to the Registrar of the High Court for action.

(6) The State Government shall complete the inquiry within a period of two months and take appropriate action within one month.

(7) If a criminal case is registered against the member concerned, if necessary the State Government may suspend the member immediately pending inquiry, for such term as appropriate; or after holding an inquiry and giving an opportunity of being heard in the matter.”

5. In the principal rules, in rule 6,—

(i) in sub-rule (2), for the words “un-connected with the case remains”, the words “not connected with the case shall not remain”, shall be substituted.

(ii) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7A) The Board may conduct its sittings through video conferencing, in case there are constraints limiting physical movement of the child alleged to be in conflict with law, or the Board Members including the Chairperson.

Provided if the child’s case requires the presence of a doctor or psychiatrist or counsellor or physical attention, the sitting shall be conducted in the premises as provided in sub-rule(1) of rule 6.”.

6. In the principal rules, in rule 7,—

(i) in clause (v) of sub-rule (1), for the words “to the District Child Protection Unit”, the words “to the District Magistrate” shall be substituted;

(ii) for clause (vi) of sub-rule (1), the following clauses shall be substituted, namely: -

“(vi) maintain a suggestion box or grievance redressal box in the premises of the Board or in the Observation Home or Special Home or Place of Safety at a prominent place to encourage inputs from children and adults alike which shall be operated by the nominee of the Principal Magistrate.

(vi a) an online grievance redressal system shall also be created by the State Government for receipt of suggestion or grievance which may be accessed by the Board;”;

(iii) for clause (viii) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:—

“(viii) review the Children's Suggestion or Complaint Book during every visit in the Child Care Institution and also carry out random one to one and group interaction with children in the Child Care Institutions in absence of the Child Care Institution staff and Person-in-Charge to understand concerns and issues of children, to determine their well-being and provide inputs and recommendations accordingly to such Child Care Institutions.”.

7. In the principal rules, in rule 8,—

(i) after clause (iii) of sub-rule (3), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(iii a) also inform the child and the parent or guardian immediately regarding the rights and privileges of the child under the Act and rules;

(iii b) rights of the child shall also be displayed in every police station and at prominent places in the Observation Homes, Special Homes, Place of Safety;”.

(ii) in sub-rule (6), the words “and Childline Services” shall be omitted;

8. In the principal rules, in rule 9,—

(i) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2A) The Board shall ensure that the information regarding the child referred to in sub-rule (2) is uploaded on a portal, as may be specified by the Central Government in this behalf.”.

(ii) in sub-rule (3), for the word and figure “section 83”, the word and figure “section 78 and section 83” shall be substituted.

9. In the principal rules, in rule 12,—

(i) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(2A) The District Magistrate shall on the basis of the quarterly report submitted in sub-rule (2) examine the reasons for pendency, discrepancies observed during visits to the Observation Homes and the like and shall make its recommendations to the authorities like Police, Medical, District Legal Services Authority or any other concerned authority, for reduction of pendency of cases before the Board and to take appropriate action against the authorities as deemed fit.

(2B) Where the review by the District Magistrate discloses the reasons for pendency due to the members of the Board, then the District Magistrate shall inform the State Child Protection Society.

(2C) The State Child Protection Society shall on the basis of the report submitted by the District Magistrate recommend for appropriate action to the State Government.”;

(ii) in sub-rule (3), for the words “the Selection Committee constituted under rule 87 of these rules”, the words “the Registrar of the High Court and a copy shall also be forwarded to the District Magistrate.” shall be substituted.

10. In the principal rules, in rule 15,—

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(3) The Chairperson and the members shall be above the age of thirty-five years and not more than sixty five years and shall have a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children and has been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for seven years or is a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children.”;

(ii) in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted namely:—

“Provided that nothing contained in this sub-rule shall be a bar in case of a member being appointed as Chairperson”;

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(4A) The person applying for the post of the Chairperson or member of the Committee shall submit an affidavit, as per Form 49, certifying that the applicant is not barred by any of the conditions laid down in sub-section 4A of section 27 of the Act. The appropriate Government shall then verify the same as per norm.

(4B) A person associated with an organisation receiving foreign contribution shall not be eligible to be a Chairperson or member of the Committee.

(4C) Any person working in the implementation of the Act in any Non-Government Organisation or any organisation, performing such functions which may cause conflict of interest in discharge of their duties as the Chairperson or member of the Committee shall not be eligible for appointment as the Chairperson and member of the Committee.

Explanation: For the removal of doubt, it is hereby clarified that, this may include but is not limited to any of the following situations within the territorial jurisdiction of the Committee:

(a) any family member is a member of any non-governmental organisation;

(b) close relation is a member of any non-governmental organisation ;

(c) cases of non-governmental organisations or persons working in a district for rescue and rehabilitation;

(d) a person representing a person who runs a Child Care Institution or member of the Board or Trust of any non-governmental organisation.

(4D) If any complaint is made against a Chairperson or member of the Committee, the State Government shall hold an inquiry and if necessary, suspend the person immediately pending inquiry. The inquiry shall be completed within a period of two months and the State Government may take appropriate action within one month of completion of the inquiry.

(4E) No Chairperson or member of the Committee shall be removed without holding an inquiry by the State Government and until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4F) If a criminal case is registered against the Chairperson or member concerned, if necessary the Government may suspend the concerned Chairperson or member, immediately pending inquiry, for such term as appropriate, or after holding an inquiry and giving an opportunity of being heard in the matter.”.

11. In the principal rules, in sub-rule (4) of rule 16, for the words “un-connected with the case remains”, the words “not connected with the case shall not remain”, shall be substituted.**12. In rule 17 of the principal rules,—**

(i) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iii a) Quarterly reports of inspection conducted under clause (viii) of section 30 of the Act shall be submitted, as and when required, for the purpose of monitoring under section 109 of the Act;”;

(ii) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iv) review the Children's Suggestion or Complaint Book during every visit in the Child Care Institution and also carry out random one to one and group interaction with children in the Child Care Institutions in absence of Child Care Institution staff and Person-in-Charge to understand concerns and issues of children to determine their well-being and provide inputs and recommendations accordingly to the Child Care Institutions;”;

(iii) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

“(v a) for the purposes of sub-section (4) of section 40 of the Act, the Committee shall submit a quarterly information in Form 16 regarding restored, dead and runaway children to the State Government and the District Magistrate;”;

(iv) after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(vii a) maintain case records of at least five years.”;

(v) in clause (viii), after the words “a software may be developed by the State Government”, the words “such that the case records of at least five years are maintained.” shall be inserted;

(vi) after clause (viii), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(ix) ensure that children without having a legal guardian irrespective of their age are expeditiously declared legally free for adoption within the timeline as provided in the Act, rules and regulations;

(x) interact with older children living in the Child Care Institutions having no guardians and also with such children living in the Child Care Institutions who are not in contact with their guardians for several years and counsel such children about the benefit of family based care including foster care and adoption;

(xi) interact with all concerned both in physical and virtual modes in case of production of the child before the Committee, while giving instructions to the District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency or Child Care Institution, as the case may be, and in the process of declaring a child legally free for adoption.”.

13. In the principal rules, in rule 18,—

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1A) In extraordinary situations, when the movement of the Child or the Committee is restricted due to unforeseen circumstances, the child may be presented before the Committee through virtual mode and the Committee shall physically interact with the Child at the first opportunity.”;

(ii) after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(10) The Committee shall ensure that the information regarding the child referred to in this rule is uploaded on a portal, as may be specified by the Central Government in this behalf.”.

14. In the principal rules, in rule 19,—

(i) in sub-rule (3), after the words “or Child Welfare Officer”, the words “or designated officer by the District Child Protection Unit” shall be inserted.

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

“(4) In case of placement of the child in non-institutional care, the Committee shall direct the District Child Protection Unit concerned to develop an individual care plan in Form 7 and in case of institutional care, shall direct the management of the Child Care Institution concerned to develop an individual care plan in Form 7, which includes a rehabilitation plan.

(4A) The individual care plan prepared for every child whether in the institutional care or non-institutional care shall be developed based on the case history, circumstances and individual needs of the child.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, the expression non-institutional care does not include adoption.”;

(iii) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7A) The Committee, while disposing the case and placing the child in an institution shall ensure that the institution is a registered Child Care Institution under section 41 of the Act or a fit facility declared under section 51 of the Act.”;

(iv) in sub-rule (8), after the words “or Child Welfare Officer”, the words “or designated officer by the District Child Protection Unit” shall be inserted;

(v) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(8A) The District Child Protection Unit after completing the social investigation within fifteen days shall submit the report to the Child Welfare Committee.”;

(vi) in sub-rule (17), after the words “or Child Welfare Officer of the institution”, the words “or designated officer by the District Child Protection Unit” shall be inserted.

15. In the principal rules, in rule 20,—

(i) in sub-rule (3), for the words “the Selection Committee constituted under rule 87 of these rules”, the words “the State Child Protection Society” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(4) Any grievance arising out of the functioning of the Committee may be filed by the affected child or anyone connected with the child before the District Magistrate, who shall dispose the same within a period of thirty days by passing appropriate orders.”.

16. In the principal rules, for the rule 21, the following rule shall be substituted, namely:—

“21. Manner of Registration of Child Care Institutions

(1) All institutions running institutional care services for children in need of care and protection or children in conflict with law, whether run by the Government or voluntary organisation, shall be registered under sub-section (1) of section 41 of the Act, irrespective of being registered or licensed under any other Act for the time being in force.

(2) All such institutions shall make an application in Form 27 together with a copy each of rules, bye-laws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, list of trustees, balance sheet of preceding three years, statement of past record of social or public service provided by the institution to the State Government, Darpan Identification from National Institution for Transforming India Aayog and a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour or that it has not been black listed by the State Government or District Administration;

(3) The State Government shall, after receipt of the application for registration, send the application to the District Magistrate within fifteen days of receipt of the application to call for recommendations of the District Magistrate in Form 46A.

(4) The District Magistrate may examine the requests vis-a-vis need in the district within thirty days from the date of receipt of application from the State Government.

(5) The District Magistrate shall verify credibility, background and previous record of the Child Care Institution and the agency or individual promoting the institution and make specific recommendations to the State Government for consideration.

(6) The following shall be considered by the District Magistrate while making recommendations, namely:—

- (i) registration of the organisation under any law for the time being in force;
- (ii) details of physical infrastructure, water and electricity facilities, sanitation and hygiene, recreation facilities and nutrition plan;
- (iii) financial position of the organisation and maintenance of documents along with audited statement of accounts for the previous three years;
- (iv) resolution of the Governing Body to run the institution or an open shelter;
- (v) plan of action for providing services for children such as medical, vocational, educational, counselling, and the like, in case of new applicants and details of such services provided in case of existing institutions ;
- (vi) arrangements of safety, security, transportation and support and access for differently-abled children;
- (vii) details of other support services run by the organisation;
- (viii) the institution is near a school within such area or limits of neighbourhood, as may be prescribed under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);
- (ix) details of linkages and networking with other governmental, non-governmental, corporate and other community based agencies on providing need-based services to the children;
- (x) details of existing staff with their qualification and experience;
- (xi) details of registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and funds available, if any;
- (xii) a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour;
- (xiii) any other criteria as prescribed by the State Government.

- (xiv) while making the recommendation, the District Magistrate shall assess the actual requirement of additional institutions, keeping in mind the occupancy levels of the existing institutions and the capacity of authorities under section 54 of the Act so that they can ensure compliance of the Child Care Institutions with provisions of the Act; and
- (xv) certify to the effect that the relevant provisions of the Act and rules have been complied with.
- (7) The State Government shall after verifying that provisions exist in the institution for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities and rehabilitation as per the Act and the rules, and taking into account the requirements of the district and recommendation from the District Magistrate about the applicant institution, may issue a registration certification to such institution under sub-section (1) of section 41 of the Act in Form 28.
- (8) The State Government, while taking a decision on the application for registration, shall consider the following namely:—
- (i) recommendations of the District Magistrate;
- (ii) confirm that all the eligibility conditions as per the Act are met with;
- (iii) any other criteria as prescribed by the Centre or the State Government has also been followed.
- (9) The State Government, shall not grant provisional registration where adequate facilities do not exist in the institution applying for registration and the State Government shall issue an order before the expiry of one month from the date of receipt of the application that the institution is not entitled for even provisional registration.
- (10) The District Magistrate shall conduct a detailed annual inspection of all the institutions in the district which have been registered under the Act and such inspection shall be carried out in the format as provided under Form 46.
- (11) If the inspection or the annual review reveals that there is unsatisfactory compliance with the standards of care, protection, rehabilitation and reintegration services and management of the institution as laid down under the Act and the rules or the facilities are inadequate, the State Government shall, at any time, serve notice on the management of the institution and after giving an opportunity of being heard, declare within a period of sixty days from the date of the detailed inspection or annual review as the case may be, that the registration of the institution or organisation, shall stand withdrawn or cancelled from a date specified in the notice and from the said date, the institution shall cease to be an institution registered under sub-section (1) of section 41 of the Act.
- (12) When an institution ceases to be an institution registered under the Act or has failed to apply for registration within the time frame laid down in the said provision or has not been granted provisional registration, the said institution shall be managed by the State Government or the children placed therein shall be transferred by the order of the Board or the Committee, to some other institution, registered under sub-section (1) of section 41 of the Act.
- (13) All institutions shall be bound to seek renewal of registration three months prior to the expiry of the period of registration and in case of their failure to seek renewal of registration before the expiry of the period of registration of the institution, the institution shall cease to be an institution registered under sub-section (1) of section 41 of the Act and provisions of sub-rule (8) of this rule shall apply.
- (14) An application for renewal of registration of an institution shall be disposed of within sixty days from the date of receipt of application.
- (15) The decision on renewal of registration shall be based on the annual inspection done by the District Magistrate under Form 46A in the year in which renewal is sought.
- (16) The Central Government shall facilitate developing a model online system for receipt and processing of applications and grant or cancellation of registration, and in the interim the systems existing in the States and Union territories shall continue.”.

17. In the principal rules, after rule 21, the following rule shall be inserted namely:—

“21A Manner of registration of Group Foster Care.—

- (1) Every Group Foster Care shall be registered under the Act in a manner as prescribed under these rules.
- (2) All such Foster Families willing to undertake children under Group Foster Care shall make an application to the State Government. At the time of application, the Foster Family shall also make declaration under Form 50

regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour or that it has not been black listed by the State Government.

(3) The appropriate Government shall then verify the declaration form of the Foster Family and if found otherwise by the State Government, the Foster Family shall be liable for punitive action and immediate disqualification.

(4) Within a month of receipt of application for registration of Group Foster Care, the application shall be referred to the concerned District Magistrate by the State Government, for conducting inspection of the Group Foster Care and sending its recommendations.

(5) The District Magistrate shall conduct inspection and send its recommendation as per Form 47 within thirty days from the date of receipt of call of recommendation from the State Government.

(6) The District Magistrate while making its recommendations for registration of Group Foster Care shall examine that the Group Foster Care has the following facilities, namely:—

- (a) provide adequate food, clothing and shelter and education;
- (b) provide care, support and treatment for child's overall physical, emotional and mental health;
- (c) ensure protection from exploitation, maltreatment, harm, neglect and abuse;
- (d) provide age appropriate facilities for recreation, extra-curricular activities such as sports, music, dance, drama, art, and the like;
- (e) provide vocational training according to the interests of the child;
- (f) mandatory police verification of the individuals;
- (g) income tax returns of the individuals for the past three years;

(7) After considering the recommendations of the District Magistrate and verifying that provisions exist in the facility for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities, the State Government may issue a registration certificate in Form 48.

(8) The District Magistrate shall conduct a detailed inspection to review annually after registration of the institution as per Form 47.

(9) As mandated under section 44 of the Act, the Child Welfare Committee shall conduct monthly inspection of Group Foster Care as per Form 47.

(10) The inspection reports of the District Magistrate, the Inspection Committees, and the Child Welfare Committees shall be shared with the District Child Protection Unit within a period of fifteen days of inspection for taking corrective action.

(11) Wherever the District Magistrate or the Inspection Committees or the Child Welfare Committee finds the Group Foster Care to be in violation of the provisions of the Act and these rules, the District Magistrate or the Committee shall recommend cancellation of registration of the facility to the State Government and forthwith shift the children from the facility by following due process.

Explanation: For the purpose of this rule, cancellation of registration shall be for a term not less than five years.”.

18. In the principal rules, in rule 23,—

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1A) while placing the child in foster care, the State Government shall ensure the following in order of preference, namely: -

- (i) child is placed in a similar social cultural milieu;
- (ii) first preference shall be given to the extended family of the child, which does not include child's biological or adoptive parents;
Provided that any of the immediate or extended family members are not the alleged accused/perpetrators of abuse on the child.
- (iii) second Preference shall be given to an unrelated family known to the child.
- (iv) third Preference shall be given to an unrelated foster family.
- (v) fourth Preference shall be given to Group Foster Care.”;

(ii) in sub-rule (3), after the words “shall be taken by the Committee”, the words “within a period of three months.” shall be inserted;

(iii) after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(9A) The District Child Protection Unit shall submit the Home Study Report of the Prospective Foster Care Family to the Committee within thirty days from the day of reference.”;

(iv) for sub-rule (11), the following sub rule shall be substituted, namely:—

“(11) The number of children placed under foster care shall not exceed two children at any given point of time (with the exception of siblings) excluding biological children of the foster family and the number of children under group foster care shall not exceed eight children including biological children of the foster caregiver at any given point of time.”;

(v) for sub-rule (13), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(13) The District Child Protection Unit, while selecting Group foster care setting shall consider the following illustrative criteria, namely:-

- (i) the Group Foster Care setting shall be registered under rule 21A of these rules and the inspections of the Group Foster Care setting shall be conducted as per provisions laid under these rules;
- (ii) the Group Foster Care setting having registration under rule 21A of these rules shall follow the norms and standards as given under the Act and these rules and the norms and standards as laid down under these Rules shall be applicable as per children placed in Group Foster Care, which is a maximum number of eight children including biological children of the foster caregiver;
- (iii) existence of child protection policy;
- (iv) sufficient space and proper amenities for children;
- (v) any facility housing more than eight children including biological children in Group foster care shall be registered as a Child Care Institution; and
- (vi) medical reports of all the members of the Group Foster Caregivers residing in the premises shall be obtained including reports for Human Immunodeficiency Virus, Tuberculosis and Hepatitis B and the like to determine that they are medically fit.”.

(vi) for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(14) The Central Government shall issue Model Guidelines for non-institutional care including Foster Care and Group foster care, based on which the process for selection of Foster Care and Group foster care setting shall be notified by the State Government.”.

(vii) after sub-rule (19), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(20) The foster family or group foster care shall be black listed from the foster care programme and shall also not be eligible to adopt a child under the Act:

- (i) if the foster family or persons in group foster care are convicted of an offence involving moral turpitude, and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence;
- (ii) if a complaint, of child abuse or violation of human rights or child rights, registered against the foster family or persons in group foster care has been proven by the State Government, based on an inquiry.

Explanation: For the purpose of this rule, a blacklisted foster family or group foster family shall not be eligible to apply for foster care.”.

19. In the principal rules, in rule 24,—

(i) in sub-rule (1), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iii) community or organisation sponsorship;”;

(ii) in sub-rule (1), after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

“(vi) sponsorship through institutions, companies or corporations either public or private;

Explanation: For the purposes of this clause, sponsorship shall be prioritised for providing support to families for the purpose of restoration of the child to the family or relative or guardian.”;

(iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The District Magistrate shall draw up a sponsorship plan for the district in consultation with the stakeholders, generate resources by way of public and private contributions and ensure that the vulnerable children in the district are supported either partially or fully, as per their requirement.”;

(iv) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2A) The District Child Protection Unit shall prepare a panel of persons or families or organisations interested in sponsoring a child.”;

(v) after sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(4) The District Child Protection Unit shall forward the panel to the Board or the Committee or the Children’s Court, for passing appropriate order for placement of the child under sponsorship in Form 36.

(5) The District Child Protection Unit, in case of individual sponsorship, shall open an account in the name of the child to be operated preferably by the mother and the money shall be transferred directly from the bank account of the District Child Protection Unit to the bank account of the child.

(6) The duration of sponsorship should be as per the Individual Care Plan of the child, which may cover a period up to the age of eighteen years and may also be extended to the aftercare program of the child.”.

(vi) after sub- rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7) The procedure for sponsorship through institutions, organisations, companies or corporations either public or private shall be as specified by the State Government.”

20. In the principal rules, in rule 25,—

(i) in sub-rule (1), for the words “The State Government shall”, the words “The State Government through the District Magistrate shall” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted namely:—

“(2A) The District Magistrate may facilitate scholarships for higher education; loan for education or starting small business for children leaving the Child Care Institutions and convergence with the Government schemes or private entrepreneurs may be explored for the purpose.

(2B) The District Magistrate may facilitate campus placements and apprenticeship assignments in collaboration with the local businesses and industry, subject to the condition that such business or industry or agency is found suitable for engaging with the children and prescribes to the Child Protection Policy as mandated under the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020.

(2C) The District Magistrate may maintain oversight on such arrangements with the help of the Police and other stakeholders to ensure that the interest of children are not compromised in any manner.”.

21. In the principal rules, in rule 27,—

(i) in sub-rule (8), for the words “shall be sent to the Children’s Court, Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit”, the words “shall be sent to the District Magistrate, the District Child Protection Unit, the Children’s Court and the Special Juvenile Police Unit” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (9), for the words “the Children’s Court, Special Juvenile Police Unit, the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society.” the words “the District Magistrate, the District Child Protection Unit, the Children’s Court, the Special Juvenile Police Unit and the State Child Protection Society” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (10), the words “(viii) group foster care” shall be omitted.

22. In the principal rules, in rule 28,—

(i) in sub-rule (5), for the words “shall be sent to the Children’s Court, Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit”, the words “shall be sent to the District Magistrate, the District Child Protection Unit, the Children’s Court and Special Juvenile Police Unit” shall be substituted.;

(ii) in sub-rule (6), for the words “be sent to the Special Juvenile Police Unit, the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society.” the words “be sent to the District Magistrate, District Child Protection Unit, Special Juvenile Police Unit and the State Child Protection Society” shall be substituted.

23. In the principal rules, in sub-rule (8) of rule 33, after sub-clause (g) of clause (iv), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(h) Birthday of any of the children in the Child Care Institution.”.

24. In the principal rules, in rule 34, —

(i) in sub-rule (3), after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

“(v a) periodic medical health screening of each child to be conducted with the help of the nearest Government healthcare facilities; ”;

(ii) in sub-rule (3), in clause (xii), after the words “to an appropriate centre administered by qualified persons”, the words “or running under any Government Scheme of the Ministry or Department” shall be inserted;

(iii) in sub-rule (6), for the words “The State Government through the District Child Protection Unit of the District”, the words “The District Magistrate through the Chief or District Medical Officer” shall be substituted;

(iv) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6A) The State Government may be approached in the event of inadequate facilities in the District and the concerned State Government shall make necessary arrangements in all such cases.”.

25. In the principal rules, in rule 35,—

(i) in sub-rule (2), for the words “shall participate in facilitating”, the words “shall be provided necessary training or capacity building so as to facilitate” shall be substituted;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“The facilities available under the concerned mental health programme at State or District Level under the Ministry or Department of Health shall be utilized for providing facilities for mental health to the children.”.

26. In the principal rules, in rule 37,—

(i) in sub-rule (4), after the words “shall be submitted to”, the words “the District Magistrate,” shall be inserted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(5) The District Magistrate may ensure convergence with existing Central or State Government programmes for skilling and vocational training of the children.

(6) Every child aged fourteen and above living in a Child Care Institution or under non-institutional care may be given the option of skill development and vocational training.”.

27. In the principal rules, in rule 39, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6A) The District Child Protection Unit shall compile the recommendations of the Management Committees and suggestions of the children received from the Suggestion Box from all Child Care Institutions in the Districts on a monthly basis, action taken on the same and submit a detailed report to the District Magistrate.”.

28. In the principal rules, in rule 41,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The State Government shall constitute the State level inspection committee and the District Magistrate shall constitute district level inspection committees.”;

(ii) in sub-rule (6), for the words “shall forward the same to the State Child Protection Society or the District Child Protection Unit”, the words “shall forward the same to the District Magistrate and the State Child Protection Society” shall be substituted;

(iii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6A) The Inspection report of the State Inspection Committee shall be forwarded to the District Magistrate within a period of two weeks of the visit.”;

(iv) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7A) Appropriate action shall be taken within a month by the District Magistrate and a compliance report for the same shall be submitted to the State Child Protection Society, in two months period.”;

(v) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(8) The District Inspection Committee shall comprise of the following members, namely:—

- (i) Additional District Magistrate- Chairperson;
- (ii) Member of the Board or the Committee;
- (iii) District Child Protection Officer as the Member Secretary;
- (iv) one Medical Officer nominated by the Chief or District Medical Officer of the district;
- (v) one member of the civil society working in the area of child rights, care, protection and welfare, who is not a part of the management or organisation or has any pecuniary interest in such organisation of any Child Care Institution
- (vi) one mental health expert who has experience of working with children; and
- (vii) any other person of repute from society not having conflict of interest, deemed appropriate by the District Magistrate.”

- (vi) in sub-rule (11), for the words “to the District Child Protection Unit”, the words “to the District Magistrate” shall be substituted;
- (vii) for sub-rule (13), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(13) The District Magistrate shall take necessary action on the report of the District Inspection Committee and ensure corrective measures are taken in a time bound manner.”
- (viii) after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(14) The District Magistrate shall submit a report on the Child Care Institutions functioning in the District and measures taken for their improvement once every year to the State Government.”
- 29.** In the principal rules, in rule 43,—
- (i) in sub-rule (1), after the words “and cases pending for decision to the Authority online”, the words “on a monthly basis” shall be inserted;
- (ii) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
“(2) The information to be provided in sub-rule (1) shall also be provided to the District Magistrate in Form 16A.
(3) The District Magistrate after review of the report submitted by the Child Welfare Committee in Form 16A shall take necessary measures to expedite the process of adoption of children declared legally free for adoption.”
- 30.** In the principal rules, in rule 44, in sub-rule (1),—
- (i) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—
“(ii) Every child who does not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption and is placed under the hard to place category, shall be eligible to be placed in foster care, by the Committee on the recommendation of the District Child Protection Unit or the Specialised Adoption Agency.”;
- (ii) clauses (iii) and (iv) shall be omitted;
- (iii) in clause (v),—
- (a) for the words “a minimum of five years”, the words “a minimum of two years” shall be substituted;
- (b) for the words “after registering in Child Adoption Resource Information and Guidance System”, the words “after registering in the portal of the Authority” shall be substituted.
- 31.** In the principal rules, in rule 45,—
- (i) for the marginal heading, “Procedure before the Court”, the marginal heading, “Procedure before the District Magistrate” shall be substituted;
- (ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(1) The procedure for obtaining an Adoption Order from the District Magistrate or the Additional District Magistrate (authorized by the District Magistrate), as the case may be, shall be such as provided in Adoption Regulations.”;
- (iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(2) The District Magistrate, for the purpose of an application for adoption order, shall follow the procedure as laid down in the Act and the Adoption Regulations.”;
- (iv) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(3) All the cases pertaining to adoption matters pending before the Court shall stand transferred to the District Magistrate from the date of commencement of these rules.”.
- 32.** In the principal rules, in rule 46,—
- (i) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(1) The District Magistrate or the Additional District Magistrate (authorised by the District Magistrate), as the case may be, shall dispose of an application for making an adoption order within a period of two months from the date of filing of the application, as provided under sub-section (2) of section 61 of the Act.”;
- (ii) in sub-rule (2), for the words “No information or Court order”, the words “No information or Adoption order issued by the District Magistrate” shall be substituted.
- 33.** In the principal rules, in rule 49, in sub-rule (1),—

- (i) in clause (vii), after the words “guidance to State Adoption Resource Agencies,”, the words “the District Magistrate,” shall be inserted.
- (ii) in clause (viii), for the words “State Governments and the State Adoption Resource Agencies,”, the words “State Governments, the State Adoption Resource Agencies and the District Magistrate,” shall be substituted.
- (iii) in clause (ix), in sub-clause (b), the words “and child care institutions” shall be omitted.
- (iv) for clause (xi) the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“(xi) maintain a comprehensive centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption;”.

34. In the principal rules, in rule 50,—

- (i) in sub-rule (4), in clause (ii), for the words “the Child Adoption Resource Information and Guidance System”, the words “the centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption;” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (8), for the words “from the National Legal Services Authority.”, the words “from the Department of Legal Affairs and the Legislative Department, Ministry of Law and Justice.” shall be substituted;
- (iii) in sub-rule (15), for the words, letters and figures, “sitting fee of Rs.1,000/- per sitting,” the words “sitting fee of not less than Rupees Two Thousand per sitting,” shall be substituted.

35. In the principal rules, in sub-rule (2) of rule 51, after the words “may also be convened”, the words “by video conference, through web or” shall be inserted.

36. In the principal rules, in rule 54,—

- (i) in sub-rule (1), the words “childline services” shall be omitted;
- (ii) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
“(5A) The State Government shall take appropriate action on the recommendations of the Committee or the Board, as the case may be.
(5B) The District Child Protection Unit shall ensure transfer of children at the earliest, under intimation to the State Government.”.

37. In the principal rules, after sub-rule (3) of rule 55, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(4) Relevant sections of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or any other law for the time being in force shall be applicable for offences under section 75 of the Act.”.

38. In the principal rules, after rule 55, the following rule shall be inserted, namely: —

“55A – Procedure in case of offence under section 76 of the Act—

- (1) Whenever a child is found to be employed or used for the purposes of begging, an immediate investigation shall be undertaken by the Police in such cases and where an offence is made out under section 76 of the Act, a First Information Report shall be registered forthwith.
- (2) In case where the parents have engaged their children in begging, then an investigation shall be undertaken under section 76 of the Act prior to filing of First Information Report.
- (3) In case the child engaged in begging is found to be a victim of trafficking then provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) and section 370 Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), which are cognizable offences, shall also be applicable.
- (4) In case the child engaged in child begging is found to be a victim of child labour then provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), which are cognizable offences, shall also be applicable.
- (5) In case the child engaged in begging, is also found to be kidnapped for the purposes of begging then offences under sections 359 to 369 of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), which is a cognizable offence shall also be applicable.”.

39. In the principal rules, after rule 57, the following rule shall be inserted, namely:—

“57A – Procedure in case of offence under section 79 of the Act—

- (1) Whenever a child is found to be employed as a child labour, an immediate investigation shall be undertaken by the Police in such cases and where an offence is made out under section 79 of the Act, a First Information Report shall be registered forthwith.

(2) In case the child is found to be a victim of child labour then provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), which are cognizable offences, shall also be applicable.

(3) In case the child engaged as child labour is found to be a victim of trafficking then provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) and section 370 of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), which are cognizable offences, shall also be applicable.”.

40. In the principal rules, in rule 59,—

(i) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(5A) The Committee shall submit a report regarding such children and action taken regarding their rehabilitation to the District Magistrate. The District Magistrate shall ensure action regarding shifting of children to a safe place and closure of the Institution within seven days and recommend cancellation of registration of the agency to the State Government.”;

(ii) in sub-rule (6),—

(a) for the words “The Committee shall recommend” the words “The District Magistrate shall recommend” shall be substituted;

(b) after the words “shall also be withdrawn.”, the words “and the State Government shall take appropriate action within fifteen days.” shall be inserted;

(iii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7) In case the child that is sold and is also trafficked, then the provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) and section 370 of the Indian Penal Code, 1960 (45 of 1860) shall also be applicable.”.

41. In the principal rules, in sub-rule (9) of rule 60, for the words “the State Government”, the words “the District Magistrate” shall be substituted.

42. In the principal rules, in rule 61, after clause (xxxii) of sub-rule (3), the following clauses shall be inserted, namely,—

“(xxxiii) check the Children’s Suggestion or Complaint Book daily and inform the District Child Protection Unit and the Committee or the Board promptly about urgent complaints.

(xxxiv) maintain a record of complaints received in the Children’s Suggestion or Complaint Book and actions taken thereto”.

43. In the principal rules, in sub-rule (2) of rule 68, in clause (v), after the words “the State Government”, the words “or the District Magistrate” shall be inserted.

44. In the principal rules, in rule 69, under sub-heading K, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) The children shall be educated about their rights and the Child Care Institution may encourage the children and indulge them in education, sports and other extra-curricular activities.”.

45. In the principal rules, in rule 73, in clause (xxi) of sub-rule (3), the words “social investigation report, order of the Committee, linkage with schemes” shall be inserted in the beginning.

46. In the principal rules, in rule 75, in sub-rule (1)—

(i) in clause (ii), after the words “Board or Committee”, the words “and the District Magistrate, National or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be” shall be inserted;

(ii) in clause (iii), after the words “Board or Committee”, the words “and the District Magistrate, the National or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be” shall be inserted;

(iii) in clause (iv), after the words “report the matter to the police”, the words “and the District Magistrate, National or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be” shall be inserted;

47. In the principal rules, in rule 76, after clause (ii) of sub-rule (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(iia) in the event a case of sexual abuse is reported, procedure under section 19 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), shall be followed”;

48. In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 77, in the Table, against the serial number 6, in column (2), for the entry, “Children’s Suggestion Book”, the entry “Children’s Suggestion or Complaint Book” shall be substituted.

49. In the principal rules, in rule 79,—

- (i) in sub- rule (8), the word “girl” shall be omitted, and after the words “Where a child”, the words, “under eighteen years of age” shall be inserted.
- (ii) after sub- rule (8), the following sub- rule shall be inserted, namely:—
- “(9) Where a girl, above eighteen years of age, is released from the Child Care Institution and has no place to go, she shall be provided with accomodation in the Working Women Hostels, or other such government facilities, till the time some other suitable arrangement is made by her.”

50. In the principal rules, in rule 81,—

- (i) in the marginal heading, for the words “Transfer of Child”, the words “Transfer or Repatriation of Child” shall be substituted;
- (ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- “(5) Where the child is a national of another country, on the production of the child before the Board or the Committee, the Board or the Committee shall inform the District Magistrate who shall initiate the process for repatriation of the child immediately through the appropriate Department of the State Government and in consultation with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs, as the case may be.”;
- (iii) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
- “(5A) The District Magistrate shall prepare a list of children to be repatriated and furnish the same to the Monitoring Authority (National Commission for Protection of Child Rights or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be) as per the protocols.
- (5B) The Monitoring Authority shall follow up with the concerned Government or Private Agencies for getting the child repatriated.
- (5C) The Monitoring Authority shall then submit a status report of the children who are to be repatriated to the Central Government and the State Government, as the case may be on a quarterly basis.”.

51. In the principal rules, for rule 82, the following rules shall be substituted, namely:—

“82A. Restoration and Follow-up for children in conflict with law—

- (1) The Board or the Children’s Court may make an order in Form 44 for the release of the child placed in a Child Care Institution after hearing the child and his parents or guardian, and after satisfying itself as to the identity of the persons claiming to be the parents or the guardian.
- (2) While passing an order for restoration of the child, the Board or the Children’s Court shall take into account the reports of the Probation Officer Worker or the designated officer of the District Child Protection Unit or non-governmental organisation, including report of a home visit prepared on the direction of the Board or the Children’s Court in appropriate cases, and any other relevant document or report brought before the Board or the Children’s Court.
- (3) When a child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or the Children’s Court shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family.
- (4) The child would also not be restored back to the family where the parents or guardians refuse to accept the child back and in all such cases, the Board or the Children’s Court shall provide alternative means for rehabilitation.
- (5) The child may not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Probation officer or designated officer of the District Child Protection Unit or the Child Welfare Officer or the non-governmental organisation establishes that restoration to family may not be in the interest of the child.
- (6) The order of restoration shall include an individual care plan prepared by the Probation Officer or the designated officer of the District Child Protection Unit or the non-governmental organisation.
- (7) The Board or the Children’s Court, while directing restoration of the child, may pass order for an escort in Form 45, where necessary.
- (8) Besides police, the Board may seek collaboration with the District Child Protection Unit to accompany the child back to the family for restoration.
- (9) In case of girls, the child shall necessarily be accompanied by female escorts.
- (10) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Board or the Children’s Court to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.

(11) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Child Welfare Officer or the Case Worker or the social worker or the non-governmental organisation.

(12) The follow-up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child.

82B. Restoration and Follow-up for children in need of care and protection-

(1) The Committee may make an order in Form 44 for the release of the child placed in a Child Care Institution after hearing the child and his parents or guardian, and after satisfying itself as to the identity of the persons claiming to be the parents or the guardian.

(2) While passing an order for restoration of the child, the Committee shall take into account the reports of the social worker or Child Welfare Officer or Case Worker or designated officer of the District Child Protection Unit or non-governmental organisation, including report of a home visit prepared on the direction of the Committee in appropriate cases, and any other relevant document or report brought before the Committee.

(3) When a child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Committee shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family.

(4) Where the child refuses to go back to the family or the family refuses to take back the child due to reasons of financial constraints, the District Magistrate shall explore all possibilities of providing all Central and State sponsored schemes including sponsorship under section 45 of the Act, Juvenile Justice Fund under section 105 of the Act, Corporate Social Responsibility funds or any other scheme to strengthen the family financially in the best interest of the child.

Explanation: For the purpose of this sub-rule, financial capability of the family may be ascertained through any income documents such as bank statement of past one year or Income Tax returns of the past three years or property registration of the family or income certificate, whichever is available.

(5) The child would also not be restored back to the family where the parents or guardians refuse to accept the child back and in all such cases, the Committee may provide alternative means for rehabilitation.

(6) The child may not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Child Welfare Officer or the social worker or the Case Worker or the non-governmental organisation or designated officer by the District Child Protection Unit or management of Child Care Institution, as the case may be, establishes that restoration to family may not be in the interest of the child.

(7) The District Child Protection Unit shall submit the report regarding restoration plan for eligible children and its implementation and the District Magistrate may facilitate restoration of children and intervene wherever required.

(8) The order of restoration shall include an individual care plan prepared by the social worker or the Child Welfare Officer or the Case Worker or the non-governmental organisation.

(9) The Committee, while directing restoration of the child, may pass an order for an escort in Form 45, where necessary.

(10) Besides police, the Committee may seek collaboration with the District Child Protection Unit to accompany the child back to the family for restoration.

(11) In case of girls, the child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(12) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Committee to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.

(13) Where the child has not been declared legally free for adoption, all efforts must be made to restore the child with their guardian or relatives, if they are deemed to be fit by the Committee.

(14) The District Magistrate shall explore all possibilities to provide benefit under all Central and State sponsored schemes including Sponsorship under section 45 of the Act and the Juvenile Justice Fund under section 105 of the Act.

(15) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Child Welfare Officer or the Case Worker or the social worker or the non-governmental organisation.

(16) The follow-up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child.”

52. In the principal rules, after sub-rule (6) of rule 83, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7) The District Magistrate may submit proposal to the State for seeking funds from the State Juvenile Justice Fund for implementing projects for children in the District regarding any of the activities mentioned under this rule.”

53. In the principal rules, in sub rule (1) of rule 84,—

(i) in the opening portion, after the words “The State Child Protection Society”, the words “shall only comprise of the officials from the State Government and” shall be inserted.

(ii) in clause (iv) for the words “received from various District Child Protection Units” the words “received from various District Magistrates” shall be substituted.

54. In the principal rules, after rule 84, the following rule shall be inserted, namely:-

“84A. State Adoption Resource Agency—

(1) The State Government shall set up a State Adoption Resource Agency for dealing with adoptions and related matters in the State under the guidance of the Authority, as per the provisions of section 67 of the Act and the Adoption Regulations.

(2) The Governing Body of the State Adoption Resource Agency shall be headed by the Principal Secretary or the Secretary of the Department of the State Government.

(3) The Director of the Department of the State Government dealing with adoption shall be the Member Secretary and Chief Executive Officer of the State Adoption Resource Agency.”.

55. In the principal rules, in rule 85,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

“District Magistrate and District Child Protection Unit”;

(ii) in sub-rule (1),—

(a) for the opening portion, the following shall be substituted, namely:—

“The District Child Protection Unit shall function under the supervision of the District Magistrate and shall perform following functions, namely:”;

(b) after clause (ii), the following clause shall be inserted:—

“(ii a) make the social investigation report and the individual care plan for each child as directed by the Board or the Committee.”;

(c) In clause (xxiii), after the words “the State Child Protection Society” the words “and the District Magistrate” shall be inserted.;

(d) after clause (xxvii), the following clauses shall be inserted namely:—

“(xxviii) maintain a panel of social workers for assigning the work to be done by social workers under the Act;

(xxix) ensure that rights of the child are displayed in schools, hospitals, government buildings and other such places which are frequented by children.”.

(iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The District Magistrate shall be the Nodal Officer in the district for the implementation of the Act and the rules, and may designate any Additional District Magistrate of the District to discharge the duties under the Act.”;

(iv) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) The District Magistrate shall hold quarterly review meetings with relevant stakeholders including the Police Department, the Education Department, the Health Department, the District Legal Services Authority, to discuss issues related to children in the district.”.

56. In the principal rules, in rule 88,—

(i) in sub-rule (6), the words “or Committee as the case may be” shall be omitted;

(ii) sub-rules (14) to (16) shall be omitted.

57. In the principal rules, in sub-rule (4) of rule 89, after the words “The State Government”, the words “or the District Administration” shall be inserted.

58. In the principal rules, in rule 91, in sub-rule (1), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ia) inspect the Child Care Institutions including the Specialised Adoption Agencies and maintain a record of inspections conducted by the authorities”.
59. In the principal rules, in rule 92,—
(i) in clause (xi) of sub-rule(4), the words “childline services” shall be omitted;
(ii) in sub-rule (7), for the word “develop”, the word “issue” shall be substituted.
60. In the principal rules, for the Form 7, the following Form shall be substituted, namely: —

“FORM 7

[Rules 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x) and 69 I (3)]

INDIVIDUAL CARE PLAN

Child in Conflict with Law or Child in Need of Care and Protection

(Tick whichever is applicable)

Name of Case Worker/Child Welfare Officer/Probation Officer.....

Date of preparing the Individual Care Plan.....

Case/Profile No.....of 20.....

FIR No.....

Under Sections (Type of offence), applicable in case of Children in Conflict with Law.....

Police Station.....

Address of the Board or the Committee.....

Admission No. (If child is in an institution)

Date of Admission (if child is in an institution)

Stay of the child (Fill as applicable)

- (i) Short term (up to six months)
- (ii) Medium Term (six months to one year)
- (iii) Long term (more than 1 year)

FOR BOTH CATEGORIES OF CHILDREN WHO ARE PLACED IN INSTITUTIONAL OR NON-INSTITUTIONAL CARE

1. **Personal details** (to be provided by child/parent/both on admission of the child in the institution)
 - (a) Name of the Child.....
 - (b) Age/Date of Birth.....
 - (c) Sex: Male/Female.....
 - (d) Father’s name.....
 - (e) Mother’s name.....
 - (f) Nationality.....
 - (g) Religion.....
 - (h) Caste.....
 - (i) Language spoken.....
2. Level of Education.....
3. Details of Savings Account of the child, if any.....
4. Details of awards/rewards received by the child, if any.....
5. Details of child’s belongings, if any.....

6. Details of child's parents' property, if any-
7. Details of child's parents bank accounts, if any-
8. Details of child's insurance policy, if any-
9. Details of child's parents' insurance policy, if any-
10. Details of child's parents job compensation, pension if any-
11. Details of child's fixed deposits, savings, financial policy, mutual funds if any-
12. Details of parent's loans, Mortgages, other financial liabilities, if any-
13. Details of property to be inherited, if any-
14. Whether succession certificate issued or not?- a. yes b. no
15. Details of succession certificate-
16. Whether legal heir certificate issued or not?- a. yes b. no
17. Details of legal heir certificate-
18. Whether the child is orphan/abandoned/surrendered?
19. Based on the results of Case History, Social Investigation report and interaction with the child, give details on following areas of concern and interventions required, if any- **(This is for both categories of children who are placed in institutional or non-institutional care)**

S. No	Category	Areas of concern	Proposed Interventions
1	Child's expectation from care and protection		
2	Health and nutrition needs		
3	Emotional and psychological support needed		
4	Educational and training needs		
5	Leisure, creativity and play		
6	Attachments and inter-personal relationships		
7	Self-care and life skill training for protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
8	Independent living skills		
9	Any other significant experiences which may have impacted the development of the child, like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

20. Whether the child has any siblings? Yes/No
21. Whether the child and his/her sibling are being placed together? A. Yes B. No
22. Whether the child and his/her siblings are being surrendered by the single parent/ Guardian? A. Yes b. No C. Not Applicable
23. Case/Profile No. of the sibling/siblings-

24. In case the child is with disability or special needs or is terminally ill

(This may be relevant for both child in conflict with law and child in need of care and protection, as the case may be)

- (i) Whether the child who is suffering from disabilities have been provided with disability certificate. Yes/No. If Yes, please state the disability certificate no
- (ii) Whether such child has been provided with medical equipment like hearing aid, crutches etc. Yes/No. If Yes, please specify.....
- (iii) Whether the child has been provided for compensation /relief for his/her disability. Yes/No. If yes, please specify.....
- (iv) Education requirements of the child.....
- (v) Any other special needs of the child.....
- (vi) Any other recommendation.....

25. If the child belongs to Children in Street Situations/Trafficked/Involved in Drug Peddling/Child Labour(This may be relevant for both child in conflict with law and child in need of care and protection, as the case may be)

- (i) Whether the child belongs to Children in Street Situation: Yes/No.
- (ii) Whether the child is a victim of child trafficking: Yes/No. If yes,
- (iii) Whether the child was involved in drug- peddling: Yes/No.
- (iv) Whether the child is a victim of child labour. Yes/No. If yes,
- (v) Whether the child who has been a victim of Child-Labour has been provided compensation under the Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund or any other scheme. Please Specify.....
- (vi) Whether such child who have been victim of child labour/ child trafficking/drug peddling/ or is a children in street situation provided with counselling? Yes/No
- (vii) Whether the child has been provided any compensation? Yes/ No.—If yes, please specify.....

26. If the child is a victim of abuse including sexual abuse: (This may be relevant for both child in conflict with law and child in need of care and protection, as the case may be)

- (i) Whether the child has been provided counselling?.....
- (ii) Whether any action has been taken against such offender/perpetrator? If Yes, Please specify.....
- (iii) Whether the child who has been a victim of sexual assault has been provided compensation as per the compensation scheme under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.....
- (iv) Any other compensation or relief provided to the child?.....
- (v) Any other observations.....

FOR CHILDREN PLACED IN INSTITUTIONAL CARE**27. Progress report of the child (to be prepared every fortnight for first three months and thereafter to be prepared once a month)**

[Note: Use different sheet for Progress Report]

1. Name of the Probation Officer/Case Worker/Child Welfare Officer.....
2. Period of the report.....
3. Admission No.....
4. Board or Committee details.....
5. Profile No.....
6. Name of the Child.....
7. Place of interviewDates.....

8. General conduct and progress of the child during the period of the report
9. Progress made with regard to proposed interventions as mentioned in point 19 of Part A of this form.

S.No	Category	Proposed Interventions	Progress of the Child
1.	Child's expectation from care and protection		
2.	Health and nutrition needs		
3.	Emotional and psychological support needed		
4.	Educational and training needs		
5.	Leisure, creativity and play		
6.	Attachments and inter-personal relationships		
7.	Self-care and life skill training for protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
8.	Independent living skills		
9.	Any other significant experiences which may have impacted the development of the child, like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

10. Any proceeding held before the committee or Board or Children's Court, details:-
11. Variation of conditions of bond:.....
12. Change of residence of the child:.....
13. Other matters, if any:.....
14. Period of supervision completed. Details:.....
15. Result of supervision with remarks (if any):.....
16. Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the child is to live after the supervision is over:.....
- Date of report:.....
- Signature of the Probation Officer.....

28. Pre-release report (to be prepared 15 days prior to release):

1. Details of place of transfer and authority concerned responsible in the place of transfer/release:.....
2. Details of placement of the child in different institutions/family:.....
3. Training undergone and skills acquired:.....
4. Last progress report of the child (to be attached, refer Part B)
5. Rehabilitation and restoration plan of the child (to be prepared with reference to progress reports of the child.

S. No	Category	Rehabilitation and Restoration plan of the child
1.	Child's expectation from care and protection	
2.	Health and nutrition	
3.	Emotional and psychological	
4.	Educational and Training	
5.	Leisure, creativity and play	
6.	Attachments and Inter-personal Relationships	
8.	Self-care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
9.	Independent living skills	
10.	Any other	

6. Date of release/transfer/repatriation:.....
7. Requisition for escort if required:.....
8. Identification Proof of escort such as driving license, Aadhaar Card, etc:.....
9. Recommended rehabilitation plan including possible placements/sponsorships...
10. Details of Probation Officer/Non-Governmental Organization for post-release follow up:.....
11. Memorandum of Understanding with Non-Governmental Organisation identified for post-release follow-up (Attach a copy)
12. Details of sponsorship agency/individual sponsor, if any:.....
13. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor (Attach a copy):.....
14. Medical examination report before release:.....
15. Any other information:.....

29. Post-release/restoration report of the child:

1. Status of Bank Account: Closed/Transferred
2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his parents/guardians – Yes/No
3. First interaction report of the Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker/social worker/Non-Governmental Organisation identified for follow-up with the child post-release:.....
4. Progress made with reference to Rehabilitation and Restoration Plan:.....
5. Family's behaviour/attitude towards the child:.....
6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours' / community:.....
7. How is the child using the skills acquired:.....
8. Whether the child has been admitted to a school or vocation? Give date and name of the school/institute/any other agency
Yes/No
9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively:.....
10. Efforts towards social mainstreaming and child's opinion/views about it:.....
11. Identity Cards and Compensation

IDENTITY CARDS	Present status (Please tick whichever Applicable)		Action taken
	Yes	No	
Birth Certificate			
School certificate			
Caste certificate			
Below Poverty Line Card			
Disability Certificate			
Immunization card			
Ration Card			
Adhaar Card			
Received compensation from Government			

[Instruction: Please verify with the physical document]

30. Adoption

(i) Whether the child has been declared legally free for adoption?

A. Yes B. No C. Not Applicable

(If not applicable, then subsequent questions do not apply)

(ii) Whether the child has been placed in a Specialised Adoption Agency or Child Care Institution?

A. Specialised Adoption Agency B. Child Care Institution

(iii) Social Investigation Report by Child Welfare Officer/Case worker/social worker, as the case may be submitted?

A. Yes B. No

(iv) Deed of surrender executed by the parents/guardian before the Committee?

A. Yes B. No C. Not Applicable

(v) Declaration submitted by District Child Protection Unit and Child Care Institution or Specialised Adoption Agency that all restoration efforts have been made for the child-

A. Yes B. No

(vi) Nobody has approached District Child Protection Unit and Child Care Institution or Specialised Adoption Agency for claiming the child as biological parents or legal guardians-

A. Yes B. No

(vii) All timelines under Section 38 of the Act have been adhered to before declaring the child legally free for adoption-

A. Yes B. No

FOR CHILDREN PLACED IN NON-INSTITUTIONAL CARE (EXCEPT ADOPTION)

1. Guardian's name (if applicable)
2. Parents/Guardian's Nationality.....
3. Parents/Guardian's Religion.....
4. Child's nationality-
5. Details of Adhaar card/voter Identity Card/pan card of the child.....
6. Details of Adhaar card/voter Identity Card /pan card of the child's parents.....
7. Caste.....

8. Language spoken.....
9. Level of Education.....
10. Whether the child has been provided compensation/relief under various schemes of government.....
11. Where is the child being placed? –
 (a) guardian (b) foster care (c) sponsorship (d) single parent
12. Whether the child is being surrendered by the single parent/Guardian?
 A. Yes B. No C. Not Applicable
13. If yes, then whether the surrender deed has been made? A. Yes B. No
14. **Education- (Yes/No/Not applicable)** If yes, then
- (i) Whether the child has been enrolled in school or a special training center?
- (ii) If child is enrolled in school, then
 (a) Name of the school.....
 (b) Government/Private
- (c) Class
- (iii) Unified District Information System for Education Code of the said school.....
- (iv) If child is enrolled in special training centre then,
 (a) Center is Residential or Non-Residential.....
 (b) Duration of enrollment
- (v) Whether the child has been enrolled in school under clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Right to Education Act, 2009? Yes / No / NA
- (vi) The Child Welfare Committee has recommended for continuing of education of the child in the same school as the child was studying in? Yes / No
- (vii) On the basis of the recommendation, whether the child is continuing education in the same school as he was studying in? Yes/ No
- (viii) The Child Welfare Committee has recommended for transfer of school for the child? Yes / No
 (a) If yes, then what are the reasons given by the Child Welfare Committee for recommending transfer of school?
- (ix) Whether the child has been admitted to/transferred to a new school? Yes/ No
- (x) Details of new school along with its Unified District Information System for Education Code.....
- (xi) Address and Contact Details.....
- (xii) Class in which admission/transfer taken place.....
- (xiii) Class in which the child was transferred from previous school.....
- (xiv) On the basis of the recommendations of Child Welfare Committee, whether the school in which the child is studying in is giving the benefit under clause (c) of sub-section (1) of section 12(1)(c) of the Right to Education Act, 2009 to the child? Yes / No
- (xv) Whether the child is being given free education by the appropriate government? Yes / No
- (xvi) Is the child availing any scholarship? Yes / No
 a. If yes, name of the scholarship
- b. Amount of scholarship
- (xvii) Any other observation and recommendation made by the Child Welfare Committee for education of the child.....
15. **Sponsorship**
- (i) The child has been recommended for sponsorship by the Child Welfare Committee?
 A. Yes B. No (**If no, then subsequent questions do not apply**)

- (ii) Whether sponsorship for the child has been approved by a Committee headed by District Magistrate:
A. Yes B. No
- (iii) Nature of sponsorship: i. Government ii. Private
- (iv) Type of sponsorship
- (a) Individual to Individual sponsorship
 - (b) Group Sponsorship
 - (c) Community or organisation sponsorship
 - (d) Support to families through sponsorship
 - (e) Support to children homes and special homes
 - (f) Sponsorship through:
 - i. Institutions,
 - ii. Companies
 - iii. Corporations either public or private
 - (g) Any other
- (v) Whether child has started receiving money under the sponsorship program-
A. Yes B. No
- (vi) Recommended duration of sponsorship:.....
- (vii) Any other information:.....

16. Restoration of the child:

- (i) Whether the child is being restored to:-
Single Parent / Biological Parents / Guardian/ Relative
- (ii) Name of the person to whom the child is being restored to.....
- (iii) Address and contact details of person where the child is being restored to.....
- (iv) If the child is being restored to Guardian/relative, then-
- (v) Relationship of the child with the guardian/relative-
- (vi) Does the guardian/relative have children of their own? A. yes B. No
- (vii) If yes, Details of guardian/relatives' children-
- (viii) Social and financial condition of the guardian/relative-
- (ix) Whether the child will be staying in the same State where the child was found? Yes/No
- (x) Whether the child needs to be transferred to another State for restoration? Yes/No. If yes:
- (a) Name of the State where the child is restored to-
 - (b) An escort is required for transfer of the child to another State?
A. Yes B. No.
If yes: Identification Proof of escort such as driving license, Aadhar Card, etc.....
 - (c) Whether District Child Protection Unit/ Child Welfare Committee of the concerned district of the State where the child is being transferred to has been informed about the transfer orders? Yes/No
 - (d) Whether the child's documents/Social Investigation Report/ Individual Care Plan/ Orders of Child Welfare Committee have been transferred to the concerned CWC of the State? Yes/No
 - (e) Details of Child Welfare Committee where the case is transferred.....
- (xi) Child Welfare Committee has recommended follow-up of the child post restoration: Yes / No
- (xii) Status of bank accounts of the child.....
- (xiii) The belongings of the child are handed over to the child/parent/guardian: Yes/No
- (xiv) Identity Cards and Compensation:

IDENTITY CARDS	Present status (Please tick whichever is applicable)		Action taken
	Yes	No	
Birth Certificate			
School certificate			
Caste certificate			
Below Poverty Line Card			
Disability Certificate			
Immunization card			
Ration Card			
Adhaar Card			
Received compensation from Government			

REPATRIATION OF THE CHILD

- (i) Whether the child needs to be repatriated. Yes/No
- (ii) If yes, whether such repatriation is: (tick whichever is applicable)
 - inter-district
 - inter-state
 - inter-country
- (iii) Whether information about repatriation of the child has been informed to the:-
 - District Magistrate.
 - State Government.
 - Central Government.
- (iv) Has the process of repatriation of the child been initiated? Yes / No . Details:.....
- (v) Whether the details of the child to be repatriated has been informed to National or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be?
- (vi) Any other recommendation.....

.....

**Signature of the Probation Officer/
Child Welfare Officer/District Child Protection Unit
Stamp and Seal where available”**

61. In the principal rules, for Form 16, the following Form shall be substituted, namely: –

“FORM 16

[Rules 17(1)(v), 17(1)(v a), and 20(2)]

QUARTERLY REPORT BY CHILD WELFARE COMMITTEE

District

Quarterly Report for the period: From.....to.....

Details of Child Welfare Committee:

Sl. No.	Details	Date of Appointment	Training attended
1.	Chairperson		
2.	Member 1		
3.	Member 2		
4.	Member 3		
5.	Member 4		

Details of Cases with Child Welfare Committee:

Sl. No.	Number of cases at the beginning of quarter	Number of Cases received during the quarter	Number of cases disposed of during the quarter	Number of cases pending at the end of quarter	Reasons for pendency

Final Order

Total number of final orders passed during the quarter							
Released to parent/guardian /fit person/ fit institution	Transfer To other Child Welfare Committee	Ordered to stay in Child Care Institution	Repatriated To Foreign Country	Declared Legally free for adoption	Ordered for Foster care/ sponsorship /Aftercare	Recommended to the Juvenile Justice Board For filing FIR	Initiated Process of compensation to child, if eligible

Details of the case regarding Restored children by Child Welfare Committee:

S. No	No. of children Restored			No. of children restored with parents	No. of children restored with fit person		No. of children restored and recommended for follow up
	Same District	Different District	Different State		guardian	relative s	

Details of the cases of Death of Child in Child Care Institution:

S. No.	Name of the deceased child	Cause of death	Name of Child Care Institution where the child was placed	Period of stay in Child Care Institution

Details of the cases of Runaway children:

S. No.	Name of the runaway child	Name of Child Care Institution, the child was placed	FIR No.	Background of the child

VISIT TO HOMES BY CHAIRPERSON/ MEMBERS

Date of visit:.....

Name and Address of Home visited:.....

Remarks/ Suggestions of the Committee:.....

Signature of Chairperson**Seal.”****62.** In the principal rules, after Form 16, the following Form shall be inserted, namely:—**“FORM 16 A***[Rule 43(2) and (3)]***MONTHLY REPORT BY CHILD WELFARE COMMITTEE**

District

Monthly Report for the period: From.....to.....

DETAILS OF THE CASE PERTAINING TO LEGALLY FREE FOR ADOPTION

Break-up of Pendency before Child Welfare Committee										
Orphan				Abandoned				Surrendered		Total
Children for 0-2		Children > 2 years and <18 years		Children for 0-2		Children > 2 years and <18 years		Children 0-18 years		
Pending for > 2 months		Pending for > 4 months		Pending for > 2 months		Pending for > 4 months		Pending for > 2 months		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Signature of Chairperson**Seal”****63.** In the principal rules, for Form 22, the following Form shall be substituted, namely: —**“FORM 22***[Rule 19(8)]***SOCIAL INVESTIGATION REPORT FOR CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION****(Tick whichever is applicable)**

1. Sl. No.....
2. Produced before the Child Welfare Committee.....
3. Case No.....
4. Social Investigation Report Prepared by: District Child Protection Unit/ Social Worker/ Case Worker/ Person in charge of Home/ representative of Non- Governmental Organization

5. Details of child in need of care and protection:

- (i) Name.....
- (ii) Age..... DD/MM/YY
- (iii) Gender.....
- (iv) Caste: (tick as applicable)
- General
- Scheduled Caste
- Scheduled Tribe
- Other Backward Class
- Others, specify.....
- Not Known
- (v) Religion.....
- (vi) Father's Name.....
- (vii) Mother's Name
- (viii) Guardian's Name.....
- (ix) Permanent Address.....
- (x) Landmark of the address.....
- (xi) Address of last residence
- (xii) Contact information father/mother/family member/guardian.....
- (xiii) Whether the child needs an interpreter/translator: Yes/ No
- (xiv) Whether the child is- Orphan / Abandoned / Surrendered / Others
- (xv) Previous institutional/case history and individual care plan, if any.....
- (xvi) Family Details: (YES/NO) If yes, then:

S.N.	Name and Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income	Health Status	History of Mental Illness	Addiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

- (xvii) Relationship among family members:

Father and mother	Cordial/Non cordial/Not known
Father and child	Cordial/Non cordial/Not known
Mother and child	Cordial/Non cordial/Not known
Father and siblings	Cordial/Non cordial/Not known
Mother and siblings	Cordial/Non cordial/Not known
Child and siblings	Cordial/Non cordial/Not known
Child and relative	Cordial/Non cordial/Not known

6. With whom was the child staying prior to production before the Committee:

(tick as applicable)

- Parent(s) – Mother / Father / Both
- Siblings / Blood relative
- Guardian(s) – Relationship
- Friends
- On the street
- Night shelter
- Orphanages / Hostels/ Similar Homes
- Child Care Institution:
- Children's home
- Shelter home
- Specialised Adoption Agency
- Fit Facility
- Other (please specify).....

7. In case of orphan and abandoned child-

- (i) Where was the child found?
- (ii) What steps are being taken to trace the biological parents/relatives of the child? Please specify....
- (iii) If the biological roots of the child are known, reasons for death of both parents of the child.....

8. Whether the child needs to be repatriated: Yes/No. If yes:

- Inter- district repatriation
- Inter- state repatriation
- Inter- country repatriation

9. Whether child is eligible for the benefit of sponsorship: Yes/No**10. Whether the child is eligible for any scheme or entitlement.**

Yes/No (If Yes, please specify)

11. Whether child has received any kind of compensation in regard to the demise of any parent: Yes/No; Please Specify.....**12. Whether child should get benefit under clause (c) of sub-section (1) of section of Section 12 of the Right to Education Act, 2009: Yes / No****13. Financial support recommended for the child:**

- (i) Whether the child's parents had any property/FD/Cash/Insurance/bank accounts prior to their sudden demise: Yes/No; Details thereof.....
- (ii) Whether the child's parents have any loans, mortgages, financial liabilities?
A. Yes B. No. Details thereof.....
- (iii) Whether the child's parents have any collateral against that mortgage?
A. Yes B. No. Details thereof.....
- (iv) Whether the child's parents have any family business?
A. yes B. no. Details thereof....
- (v) Whether the child has acquired any right/share in the property (self-acquired/ancestral) from the deceased parent: Yes/No; Details thereof.....

14. Details of education of the child:

- (i) Whether the child has received education: Yes/No

- (ii) If yes, specify education up to which class.....
- (iii) If the child is enrolled in school, then name of the school-.....
- (iv) Whether the school of the child is registered on Unified District Information System for Education, if Yes, state Unified District Information System for Education Code.....
- (v) Type of school- Government/ Private.
- (vi) Whether the child has been enrolled in special training centre. Yes/No. If Yes specify duration of enrolment of child in Special Training center.....
- (vii) Whether the Special Training Center was Residential/Non- Residential
- (viii) The reason for leaving School (tick as applicable)
- Failure in the class last studied
 - Lack of interest in the school activities
 - Indifferent attitude of the teachers
 - Peer group influence
 - To earn and support the family
 - Sudden demise of parents
 - Bullying in school
 - Rigid school atmosphere
 - Absenteeism followed by running away from school
 - There is no appropriate level of school nearby
 - Abuse in school
 - Humiliation in school
 - Corporal punishment
 - Medium of instruction
 - Others (please specify).....
- (ix) Attitude of class mates towards the child (If applicable)
- (x) Attitude of teachers and classmates towards the child (If Applicable)
- (xi) Vocational Training (if any).....

15. Other factors of importance if any.....

16. Habits of the child: (tick as applicable)

- Watching TV/movies
- Playing indoor/outdoor games
- Reading books
- Drawing/painting/acting/singing
- Religious activities
- Begging
- Gambling
- Alcohol consumption
- Smoking
- Drug use, if yes, specify.....
- Any other, please specify.....

17. Extra-curricular interests.....

18. Outstanding characteristics and personality traits.....

19. Majority of the friends are (tick as applicable)

- Educated
- The same age group
- Older in age
- Younger in age
- Male
- Female
- Addicts
- Children in conflict with law

20. If child is friends with adults, please specify.....**21. Attitude of the child towards friends.....****22. Attitude of friends towards the child.....****23. Observation about neighbourhood (to assess the influence of neighbourhood on the child).....****24. Whether the child has any addiction- YES / NO, if yes, specify.....****25. In case the child is with disability or special needs or is terminally ill****(If Yes, Specify):****A. Health status of the child**

- (i) Respiratory disorders - present / not known / absent
- (ii) Hearing impairment - present / not known / absent
- (iii) Eye diseases- present / not known / absent
- (iv) Dental disease- present / not known / absent
- (v) Cardiac diseases- present / not known / absent
- (vi) Skin disease-present / not known / absent
- (vii) Sexually transmitted diseases- present / not known / absent
- (viii) Neurological disorders- present / not known / absent
- (ix) Mental handicap- present / not known / absent
- (x) Physical handicap- present / not known / absent
- (xi) Urinary tract infections –present / not known / absent
- (xii) Others (please specify).....

B. Whether the child is differently abled- Yes or No, if yes, specify-

- (a) Hearing Impairment
- (b) Speech Impairment
- (c) Physical disability
- (d) Mental disability
- (e) Locomotive disability
- (f) Others (please specify).....

C. Whether the child has a valid disability certificate. (If Yes, provide details)**D. Mental condition of the child: (Present and past).....****E. Physical condition of the child: (Present and past).....****F. Whether the child needs special education- Yes/No. If yes, specify:****G. Special education already included in the current school curriculum: Yes/No/Not Applicable****H. Whether the Child requires or has been using any medical equipment. (If yes, please specify)****I. Previous institutional/case history and individual care plan, if any.....**

- J. Whether the child is receiving any pension under disability schemes. Yes/No (If yes then specify)
.....
- K. Any other remark/observation.....

26. In case the child belongs to Children in Street Situations/Trafficked/Involved in Drug Peddling/Child Labour:

- A. Whether the child belongs to any of the category under Children in Street Situations: Yes/No. If yes, specify:
- (i) Children without support living on the streets all alone
 - (ii) Children stay on the streets in the day and are back home in the night with their families who reside in a nearby slum/hutments.
 - (iii) Children living on the streets with their families:
- B. With whom was the child staying prior to production before the Committee:
- (i) Parent – Mother / Father / Both
 - (ii) Siblings / Blood relative
 - (iii) Guardian – Relationship
 - (iv) Friends
 - (v) On the street
 - (vi) Night shelter
 - (vii) Orphanages / Hostels/ Similar Homes
 - (viii) Other (please specify).....
- C. If there is history/ tendency of the child to run away from home.
Yes/ No. If yes:.....
- (i) What is the parents' attitude towards discipline in the home and child's reaction.....
 - (ii) Reasons for leaving the family:
 - (a) Abuse by parent(s)/guardian(s)/step parents(s)
 - (b) In search of employment
 - (c) Peer group influence
 - (d) Incapacitation of parents
 - (e) Criminal record of parents
 - (f) Separation of Parents
 - (g) Demise of parents
 - (h) Poverty
 - (i) Others (please specify).....
- D. Where was the child found, please specify
- E. Whether the child has been used for begging: Yes/No
- F. Whether the child has been involved in rag-picking: Yes/No
- G. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling: Yes/No
- H. Whether the child has been bought or sold or procured or trafficked for any purpose: Yes/No, if yes:
- I. Whether the child was trafficked with knowledge of parents: Yes/No
- J. Whether the child was sold by the parents/relatives: Yes/No
If yes, then whether any action has been taken against the parents/relative: Yes/No
- K. Whether the child was employed as a labour: Yes/No, if yes:
- (i) Industry in which the child was employed.....

- (ii) Whether the child has faced exploitation at work : Yes/No
 - (a) Extracted work without payment
 - (b) Little or low wages with longer duration of work
 - (c) Others (Please specify).....
- (iii) Details of income utilization.....
- (iv) Any occupational hazard faced by the child: Yes/No. If yes, specify.....
- (v) Whether case filed against employer: Yes/No. If yes, specify case detail.....
- (vi) Compensation provided to the child:
 - (a) Interim
 - (b) Final
 - (c) Child Labour Rehabilitation cum Welfare Fund

L. Previous institutional/case history and individual care plan, if any.....

M. Whether temporary shelter has been provided to child: Yes/No

N. Has any plan been made for rehabilitation of the child, specify.....

O. Any other remarks/observation.....

27. In case the child has faced any kind of abuse, including sexual abuse, or has been a victim of any offence:

A. Whether the child is a victim of any offence: Yes/No

B. Types of abuse faced by the child:

(a) Verbal abuse— parents/siblings/ employers/others (please specify).....

(b) Physical abuse- parents/siblings/ Employers/others (please specify).....

(c) Sexual abuse by- (tick as applicable)

relatives through blood

relatives through adoption

relatives through marriage

relatives through guardianship

persons in foster care

person living in the same or shared household

any person in the ownership, or management, or staff, of any institution providing services to a child

any person in position of trust or authority

Others (please specify)

(d) Others— parents/siblings/ employers/others (please specify).....

C. Types of ill- treatment met by the child:

(i) Denial of food— parents/siblings employers/other (please specify).....

(ii) Beaten mercilessly— parents/ Siblings/employers/other (please specify)

(iii) Causing injury— parents/ siblings/employers/other (please specify).....

(iv) Detention- parents/ siblings/employers/other (please specify).....

(v) Any other (please specify).....

D. In case of sexual abuse:

(i) Relationship with the perpetrator.....

(ii) Gender of the perpetrator.....

(iii) Age of the perpetrator.....

(iv) How the child came in contact with the perpetrator.....

- (v) Any other child from the same place who is abused / harassed / taken / sent by the perpetrator....
- (vi) Whether any other person/s were involved in the offence.....
- (vii) Whether any compensation has been recommended to the child under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012: Yes/No.
If any other, please specify.....
- E. Case/FIR registered by the police: Yes/No. If yes, specify Case No./ FIR No.....
- F. Whether the child has been a victim of cyber-bullying: Yes/No. If yes:
 - (i) Cyber bullied while using internet system at home
 - (ii) Cyber bullied while using internet system in school
 - (iii) Cyber- bullied while attending school classes from home
- G. Has the child been counselled: Yes/No, if yes, provide details.....
- H. Any other remark/observations.....
- I. Previous institutional/case history and individual care plan, if any.....

28. In case the child is victim of child marriage or is married:

- A. Name of the spouse.....
- B. Age of the spouse.....
- C. Date of marriage (DD/MM/YY).....
- D. Place of marriage.....
- E. Reasons for conducting marriage of the child.....
- F. People who were involved in getting the marriage of the child conducted- i. Parents ii. Relatives iii. Others.
- G. If others, please specify.....
- H. Whether any case has been registered by police: Yes/No.
If yes, provide details.....
- I. If any action taken, details thereof.....
- J. Any other remarks/observation.....

29. Whether the child needs to be repatriated: Yes/No. If yes: (tick as applicable)

- (i) Inter- district repatriation
- (ii) Inter- state repatriation
- (iii) Inter- country repatriation

OBSERVATIONS OF INQUIRY

- 30. Emotional factors.....
- 31. Physical condition.....
- 32. Social and economic factors.....
- 33. Suggestive causes of the problems.....
- 34. Analysis of the case, including reasons/contributing factors for the offence...
- 35. Reasons for child's need for care and protection.....
- 36. Opinion of experts consulted.....
- 37. Mental Health Expert assessment.....
- 38. Risk analysis for the child to be restored to the surviving parent/relatives/guardian.....
- 39. Previous institutional/case history and individual care plan, if any.....
- 40. Recommendation of District Child Protection Unit/Case Worker/Social Worker regarding psychological support, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan.....

Signature
(of the person assigned)

64. In the principal rules, in Form 27, in serial number (1), after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

“(iii a) Darpan ID No.”.

65. In the principal rules, in Form 39, in the heading, the words “INCLUDING GROUP FOSTER CARE” shall be omitted.

66. In the principal rules, for Form 46, the following Form shall be substituted namely:—

“FORM 46

[Rule 21(10), 41(3) and 41(9)]

INSPECTION OF CHILD CARE INSTITUTIONS

(Fill as applicable)

Date and time of visit:

Name of the officials inspecting the Home :

1.
2.
3.

Name and address of Institution:

Type of Facility: _____ (Children Home/Observation Home/Special Home/Place of Safety/Open Shelter/Specialised Adoption Agency/Fit Facility)

If aided/supported: by State Government, Name of Department:.....

If run by Government:.....

Name of Person-in-charge:

Contact No.

E-mail ID:

Indicator	Status (Yes or No)	Remarks (In case of No Compliance or Partial Compliance)	Acts/Rules
LEGAL STATUS			
Registration of the Parent Organization under the Societies Registration Act 1860/The Indian Trusts Act 1882/The Companies Act 2013			Section 41/Rule 21: Registration of the Child Care Institutions
Registration No. of the Parent Organization under the Societies Registration Act 1860/The Indian Trusts Act 1882/The Companies Act 2013			
Registration of the Parent Organization under the Juvenile Justice(Care & Protection) Act 2015			
Registration No. of the Parent Organization under the Juvenile Justice(Care & Protection) Act 2015			
Foreign Contribution (Regulation) Act 2010, Registration (if any)			

FUNCTIONING			
Sanctioned capacity (in numbers)			
Total number of Children placed in the Institution			Rule 18 and 19: Production before a Committee and Inquiry
Number of Children living in the Home without the order of the Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board			
Are there children in the age group of 0-5 years staying there? <i>(Specify number)</i>			
Are there children above 18 years staying there? <i>(Specify number)</i>			
No. of new admissions in the current month <i>(Specify number)</i>			
No. of children who have moved out/released <i>(Specify number)</i>			
No. of children referred by Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board during the month. <i>(Specify number)</i>			
No. of children produced before Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board during the month. <i>(Specify number)</i>			
No. of children as on last day of the previous month. <i>(Specify number)</i>			
No. of children with special needs, if yes, give details. <i>(Specify number)</i>			
Total number of children present in the Institution are less than its capacity or as per its capacity			Section 41: Registration of Child Care Institutions
Number of children residing for more than 04 months			Observation Home/Special Home/Place of Safety
Management Committee			Rule 39: Management Committee
Average Number of meetings conducted in a year <i>(Specify number)</i>			
Children's Committees constituted			Rule 40:

Average Number of meetings conducted in a year (<i>Specify number</i>)			Children's Committees
Adoption Committee constituted			Section 65: Specialised Adoption Agency
Average Number of meetings conducted in a year (<i>Specify number</i>)			
Open Shelter/Shelter Home has any other activity apart from psycho-social rehabilitation of children for a short period of time			Open Shelter
Information regarding the children is uploaded on a portal, as specified by the Central Government.			
PHYSICAL INFRASTRUCTURE			
Building (Rented or owned)			Rule 29: Physical Infrastructure
Sign board displayed indicating name, type of Child Care Institution, contact details			
Education (Class room)			
Dormitories			
Kitchen			
Counseling			
Recreation with television			
Sick room			
Library			
Visitors' room			
Vocational training			
Dining hall			
Store			
Record room			
Office room			
Staff Residence			
Bathrooms			
Toilets			
Computer with internet			
Boundary wall/fencing			
Separate living area for children below 10 years			
INSTITUTIONAL FACILITY			
Records stored safely			
Essential Details including- Emergency Numbers			

Duty Chart			Rule 26: Management and Monitoring of Child Care Institutions
Menu Chart			
Attendance Status			
Weekly Programme Schedule			
Safe transport facility for children attaining education outside the campus			
Separate facilities for children from staff and management			
Facilities and support (equipment, staff, teaching and learning materials/aids) for children with special needs			
Visual needs			
Intellectual needs			
Hearing needs			
Rooms and dormitories being free of unstable heavy equipment, furniture, or other items that children could pull down on themselves			
Good condition of ceilings walls, floor coverings, draperies, curtains, blinds, furniture, fixtures, and equipment			
Clear guidelines regarding access of staff/visitors in identified areas especially in children's dormitories/toilets			
Walls and compound painted with attractive paints/cartoons/pictures etc.			Specialised Adoption Agency
A cradle has been placed near the outside gate or not			
Infants, toddlers and older children are segregated or not			
Restrictions on entry in the infants and toddler areas			
Freedom of movement of mobile infants and toddlers in a safe area			
Privacy maintained in toilets and bathing areas or not			Rule 67: Security Measures
Basic emergency medical care equipment available or not			
Special emergency medical care equipment available or not			
Child friendly bathrooms / bathing areas (1:10) available exclusively for children or not. (Specify number)			Rule 31: Sanitation and Hygiene
Child friendly toilets (1:7) available exclusively for children or not (Specify number)			

Safe and purified drinking water storage is available or not			
Safe and purified drinking water is provided to all children or not			
Proper drainage and garbage disposal facilities available or not			
STAFF			
One Person- in-Charge			Rule 26: Management and Monitoring of Child Care Institutions
Two Counselor			
Three Child Welfare Officer/ probation officer/Case workers			
Four House Mother/ House Father			
One Medical Officer (Physician)			
One Para medical staff			
One Store keeper cum accountant			
One (part time) Art and Craft cum music teacher			
One (part time) PT instructor cum Yoga Trainer			
One Driver			
Two Cook			
Two Helper			
Two House Keeping			
Security Guard			
Any Other			
Whether personal files of each staff are available including-			
Records of Recruitment			
Reference Check			
Work Profile			
Performance Appraisal			
Female Superintendent / Manager /In-Charge available for girls' unit			
TRAINING OF STAFF			
Training organised for the staff viz: Social Workers			Rule 89: Training of Personnel Dealing with Children
Child Welfare Officers			
Case Workers			
rehabilitation cum placement Officers			
care givers			
House Fathers and House Mothers			

Security personnel and other staff			
The staff of the Child Care Institution has been given refresher trainings or not			
Rehabilitation-cum-Placement Officer			Rule 65: Rehabilitation- cum-Placement Officer
Superintendent/Manager/ In-charge stay on the campus			Rule 61: Duties of the Officer-in- charge of a Child Care Institution
CHILD CARE FACILITIES			
Enough/safe toys are available and accessible to children or not			Rule 38: Recreational Facilities
Enough suitably equipped outdoor space for play is available and accessible to children or not			
Availability of Baby Care Unit with special emergency medical care equipment (MCE) or not			
Availability of safe toys for infants and toddlers to stimulate their healthy development or not			
Individual beds are available and provided to children or not			Rule 29: Physical Infrastructure
Children segregated according to age group for stay and activities or not			
Children segregated according to gender for stay and activities or not			
Activities are conducted under staff supervision to minimize the risk of injury to children or respond as promptly as possible or not			Rule 34/35: Medical Care and Mental Health
Active supervision of children in emotional distress (due to fear, trauma, or illness) or not			
PREVENTION AND PROTECTION FROM ABUSE			
Standard operating procedure for child protection			Rule 76: Abuse and Exploitation of the child
Standard operating procedure is adhered to by staff and Management			
Functional and accessible complaint and grievance redressal mechanism including for abuse prevention is in place, such as-			
Suggestion Box			
Child helpline			
CCTV Cameras			

Children Committees			
Regular Staff-Children Interface			
Training and Orientation of children			
Any complaint found in the Suggestion or Complaint Book			
DAILY ROUTINE			
Daily routine of activity is followed			Rule 32: Daily Routine
Daily routine is drawn up in consultation with the children's committee or as per the need			
Daily routine is on public display at prominent places in the institution			
NUTRITION			
Staff is aware of the nutritional requirement of children at varying stages of development			Rule 33: Nutrition and Diet Scale
Meals are planned in consultation with children			
Meals are provided in accordance with prescribed norms/diet scale			
Birthdays of children are celebrated			
Special meal is provided during festivals/occasions			
Special diet is provided to sick/special health children, as per advice of Doctor			
Home receives sponsored cooked/uncooked food items, lunch, dinner etc. from donors			
Cooked food if sponsored is tasted/checked by care giver before serving			
Ayah/caretakers are supervised by other staff while babies are fed			
CLOTHING, BEDDING HYGIENE			
All children are provided individual, clean, seasonal and age appropriate clothes, articles and toiletries as per norms			Rule 30: Clothing, Bedding, Toiletries and other articles
All children are provided individual, clean, seasonally appropriate mats and sleeping materials as per norms			
Sleeping material is cleaned /sanitized regularly or before reuse as needed			Rule 31: Sanitation and Hygiene
Rooms are regularly fumigated, disinfected and material provided to each child for prevention of infection and disease			

Each child has been allocated a secured space to store personal belongings			
Old articles like clothes, bed sheets, mats, bedding, etc. if donated, are cleaned/ disinfected before use			
Whether following facilities available in Home for children: Fans			
Coolers			
Air Conditioner			
Heaters for Winter			
HEALTH CARE			
Every child undergoes a health check-up on admission			Rule 34/35: Medical Care/ Mental Health
Every child has regular health checkups			
Every child has health card and the records/files are maintained and updated			
Nurse/paramedical staff is available in the home at night			
Medicines are administered to the child by a staff/ nurse			
Staff is trained to provide First Aid			
Mandatory Immunization is done of children up to 6 years of age			
EDUCATION			
Educational assessment is conducted and need of every child addressed			Rule 36/69: Education/ Institutional Management of Children
All children are provided with age appropriate formal education			
Enough emphasis on stimulating infants to learn through a play way learning process			
Age appropriate, feasible and market oriented vocational training is provided			Rule 37: Vocational Training
Children are consulted in selecting vocational training being provided to them			
Age appropriate life skill education is provided			
RECREATION			
Indoor recreation facilities are available for children			Rule 38: Recreational Facilities
Outdoor recreation facilities are available for children			

Staff engage with children in such recreation activities			
Any innovative activities to develop cooperation/ participation, resilience, etc. are harnessed			
ADMISSION AND REPORTING			
All children admitted to the Home are produced before the Child Welfare Committee within the prescribed time limit			Section 31/ Rule 18: Production before Committee
All children in the Home are housed in compliance with the Child Welfare Committee orders			
All children admitted to the Home are produced before the Juvenile Justice Board within the prescribed limit			Section 10/Rule 9: Production before a Board
All children in the Observation Home Special Home/Place of Safety are housed in compliance with the Juvenile Justice Board Orders			
Every child is restored through the Child Welfare Committee or the Juvenile Justice Board			
The case history of each child is submitted before the Child Welfare Committee within the stipulated time period as directed			Rule 19 / 69: Inquiry/ Institutional Management of Children
The Home has made efforts to trace the biological family/guardian of the child			
Home submits any report of its own efforts to trace biological families to the Child Welfare Committee			
INDIVIDUAL CASE RECORD			
Individual Care Plan is prepared for every Child			
If yes, Individual Care Plan is prepared for every child is being implemented			
A professional Social Worker or experienced personal has prepared the Individual Care Plan (ICP) for every child			
ICP has been prepared for children in the Home within 30 days of admission of the child			
MAINTENANCE OF RECORDS			
Home maintains a master admission register			Rule 77: Maintenance of Registers
Home updates the master admission register in Track Child			
Home updates the master admission register in centralised database and portal			

relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption			
Number of children present tallies with the attendance register as on date			
Monthly data about children is sent to State Adoption Resource Agency/ District Child Protection Unit as the case may be			Rule 22: Open Shelter
Documentary proof of restoration-parent/guardian letter with identity proof regarding the same is available			
Whether details of legally free children for adoption is maintained by the institution			
The Child Care Institution maintains all the relevant information of the child i.e. --			
Individual case file with individual care plan			
Case History			
Inquiry report			
Child Welfare Committee Orders			
Medical Examination Report (MER)			
Child Study Report (CSR)			
Home Study Report (HSR)			
Birth Certificate			
Court order			
Quarterly Progress Report			
Health report			
Report of counselor or social worker, social history/case history of each child is available in the personal file			Rule 77: Maintenance of Registers
Initial reports of interaction with the child are on record			
REGISTERS			
Master Admission and discharge register			
Supervision register			
Case file of each child			
Medical File and Medical Report			
Attendance register of children and staff			
Order Book			
Inquiry report file			
Children's suggestion book/file			

Voucher, Cash Book, Ledger, Journal and Annual Accounts			
Grant utilization register			
Stock register			
Record of minutes of meetings of-- Management Committee			
Complaints Committee			
Staff-Children interaction			
Staff-Meetings			
Nutrition/diet register			
Budget statement register			
Visitors' book			
Staff movement register			
Personal belonging register			
Children's movement register			
IF A SPECIALISED ADOPTION AGENCY			
There is a professional social worker/ experienced personnel available in the agency for preparing Child Study Report			
Formal Child Study Report of each child is prepared after the child is declared free for adoption by the Child Welfare Committee			
There is a professional social worker/experienced personnel available in the agency for preparing Home Study Report			
Medical Examination Report of each child is prepared after the child is declared free for adoption by the Child Welfare Committee by a pediatrician			
There was pendency of completion of Home Study Report			
There was pendency of completion of Child Study Report			
There was pendency of completion of Medical Examination Report			
All the reports are uploaded on centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption			
ADOPTION RELATED			
The agency expeditiously uploads Child Study Report, Medical Examination Report, as soon as children become legally free for adoption			

The decision for referral and matching of each child is taken by the Adoption Committee			Specialised Adoption Agency
The agency prepares every adoptable child psychologically for his or her assimilation with the adoptive family and the new surroundings			
The agency has developed leaflets/pamphlets/literature/ any other publicity materials depicting the process of adoption			
Adoption register is maintained and complete adoption file of each child placed in adoption is available			
Regular follow-ups of children placed in adoption			
The agency receives/maintains post placement progress reports in respect of children placed in in-country adoption and inter-country adoption			
All post-adoption records are kept in a manner, which prevents accessibility of larger public			
The agency kept all the information and documents as well as belongings of the child in safe custody			
There has been a plan how to preserve the information and how to disseminate in case the child comes for searching the root			
There has been any disruption occurred in case of children placed in in-country adoption			
There has been any disruption occurred in case of children placed in inter-country adoption			
The agency completes the Home Study Report of all Prospective Adoptive Parents registered, expeditiously and within stipulated time frame			
The agency places a child in pre-adoption Foster Care on completion of assigning and referral processes and after observing necessary formalities as laid down in the Guidelines			
The agency receives Adoption fees as per the Norms			
The agency obtains appropriate information from birth parent(s) before surrender of the child			
The agency gets the surrender deed executed only in the presence of the Child Welfare Committee			

The agency explains the implications of surrendering their child to the parents including the possibility of adoption of the child by foreigners and of no further contact with him or her			
The agency informs the parent(s) that from the date of surrender they would get a reconsideration period of sixty days during which period they can take back the child			
The agency maintains the confidentiality of the unwed mother and the biological parents			
The agency restores the child to the biological parents after the reconsideration period is over, if claimed by the parents			
The agency provides counselling to Prospective Adoptive Parents and children as and when required by them			
The agency provides counselling to Prospective Adoptive Parents before the Home Study Report is prepared			
The agency advices/encourages Prospective Adoptive Parents to contact Adoptive Parents Associations, adoptive families and older adoptees to understand the entire process of adoption			
The agency counsels the adoptive parents, not to change the name of an older child so as to help the child keep his or her identity			
FINANCIAL TRANSPARENCY			
Details of information about the sources of funding and that of the organisation as whole or separately available			
Sources of Funding- Govt. aid/grant			
National Donors			
International Donors (FCRA)			
Corporate Donors			
Own sources			
Others			
Details of project wise Bank Account(s) maintained by it with A/c No, purpose, amount received including FCRA Account available			Accounts and Audit
The Home submits a copy of audited accounts of organization with its audit report and Annual Report within six months from date of closing of financial year, to State Government			

The accounts are audited annually by an authorized Chartered Accountant			Specialised Adoption Agency
The Home has provided copies of Audited Statement of Accounts and Foreign Contribution (Regulation) Act 2010, Returns for last 2 years to the competent authority			
Grants are released as per norm and time taken for			
The agency has provided information about the details of child wise adoption charges received during last two years for in-country and inter-country separately			
The agency receives adoption charges over and above the prescribed norms			
The agency maintains financial records including receiving and utilization of adoption fee			
The Home submits a copy of audited accounts of organization with its audit report and Annual Report within six months from date of closing of financial year, to State Government			
The Adoption Agency utilizes funds available in the form of Adoption fee in accordance with the specified norms			
The accounts are audited annually by an authorized Chartered Accountant			
INSPECTIONS			
The Home has been inspected by the Inspection Committee			Rule 41: Inspection
Feedback was provided on the inspection by the Inspection Committee			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the Child Welfare Committee			Section 30: Functions and Responsibilities of Committee
Feedback was provided on the inspection by the Child Welfare Committee			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the Juvenile Justice Committee of the High Court			Inspections conducted by JJ Committee and Department of WCD
Feedback was provided on the inspection by the Juvenile Justice Committee of the High Court			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the appropriate authority of Department of Women and Child Development			

Feedback was provided on the inspection by appropriate authority of Department of Women and Child Development			Rule 91: Monitoring by National/State Commission for Protection of Child Rights
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the National Commissions for Protection of Child rights			
Feedback was provided on the inspection by the National Commissions for Protection of Child rights			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the State Commissions for Protection of Child rights			
Feedback was provided on the inspection by State Commissions for Protection of Child rights			
The feedback report is positive			
Previously, Social audit has been conducted of the Home and the report has been positive			
The Home has a copy of the inspection recommendations and record of action thereof			Rule 41: Inspection
Any improvement has taken place based on the Inspection Reports			
PROGRAMMATIC LINKAGES			
Medical care and Mental health services for children			Rule 34: Medical Care
Education			Rule 36: Education
Vocational training			Rule 37: Vocational Training
Life Skills, Art and Dance and Drama therapy and Occupational therapy and other issue-based workshops			Rule 38: Recreational Facilities
Recreational activities including sports			
Hobby classes			
Health including speech/physiotherapy			Rule 35: Mental Health
Legal aid services			Rule 39: Management Committee
De-addiction services			Rule 27: Fit Facility
With appropriate authorities for birth registration, identity proof and reserved/special category certificate			

The Home has established linkages with other Child Care Institution for rehabilitation of children with special needs			
Restoration and Rehabilitation of children and their linkage established with- Child Welfare Committee			
Juvenile Justice Board			
Child Helpline			
District Child Protection Unit			
District Sponsorship & Foster Care Approval Committee			
Details of adoptable children have been uploaded on centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption			Section 65: Specialized Adoption Agency
Specialised Adoption Agency is located in the same premises			
With appropriate authorities for birth registration, identity proof and reserved/special category certificate			
Any other Institution is also located in the same premises			

Violations

1. Violation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Rules
2. (a) Violation of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.
(b) If yes, whether Section 19 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 was followed?
3. Any other Violation/Observation/Remarks: None.

Interaction with Children

During the Inspection, informal interaction with the children may be held with a group of children of appropriate age group in an open friendly environment to find out about their safety, security and protection from offence in the Institution. The interaction may focus on education, skilling, sports, co-curricular activities. The confidentiality of the children also needs to be ensured.

1. General Principles to Conduct the Interaction

The following General Principles has to be followed throughout the conduct of Interaction:-

- (i) Confidentiality
- (ii) Transparency
- (iii) Participation

Keep the questions simple and general. Show that you are genuinely interested in the child/children.

2. **Rapport Building and generic Conversation-** Begin the discussion with a general, open-ended question about the topic such as asking about the views about the Home that the children are staying in. The inspecting team/officials can ask the children about the positives and negatives of the Home.
3. **Discussing general issues-** The inspecting team/officials should ask general questions to the children to gain their trust and confidence. The general questions can be focussed on issues with the administration and staff, issues faced by children while staying in the Home, how helpful are the staff of the Home, measures for reporting a complaint and information about child protection policy in the Home.

4. OBSERVATIONS on the interaction-

5. If any case of child abuse is observed/suspected, then it should be immediately reported as per provisions of Section 19 of the POCSO Act.

Observations/ Remarks:

Name of inspection Committee member:

Signature:

Name of inspection Committee member:

Signature:

Name of inspection Committee member:

Signature: Name of inspection Committee member:

Signature:”

67. In the principal rules, after Form 46, the following Form shall be inserted, namely:—

“FORM 46A

[Rule 21(3) and Rule 21(15)]

INSPECTION FORMAT FOR REGISTRATION AND RENEWAL OF A CHILD CARE INSTITUTION

State:

District:

Name of Institution:

Educational facility:

Type of Facility: _____ (Children Home/Observation Home/Special Home/Place of Safety/Open Shelter/Specialised Adoption Agency/Fit Facility)

Name and address of the Institution:

Acts/Rules	Indicator	Status (Yes or No)	Remarks (In case of No Compliance or Partial Compliance)
I. LEGAL STATUS			
Registration of the Child Care Institutions	Registration of the Parent Organization under the Societies Registration Act 1860/The Indian Trusts Act 1882/The Companies Act 2013		
	Registration No. of the Parent Organization under the Societies Registration Act 1860/The Indian Trusts Act 1882/The Companies Act 2013		
	Foreign Contribution (Regulation) Act 2010, Registration (if any)		
II. PHYSICAL INFRASTRUCTURE			
	Sign board displayed indicating name, type of CCI, contact details		

Rule 29: Physical Infrastructure	Boundary wall/fencing		
	Classroom		
	Dormitories		
	Kitchen		
	Counseling		
	Recreation		
	Sick room		
	Library		
	Visitors' room		
	Vocational training		
	Dining hall		
	Store		
	Record room		
	Office room		
	Staff Residence		
Bathrooms			
Toilets			
	Good condition of ceilings walls, floor coverings, draperies, curtains, blinds, furniture, fixtures, and equipment		
Rule 31: Sanitation and Hygiene	Child friendly bathrooms / bathing areas (1:10) available exclusively for children		
	Child friendly toilets (1:7) available exclusively for children		
	Safe and purified drinking water storage is available		
	Safe and purified drinking water is provided to all children		
	Proper drainage and garbage disposal facilities available		
	Clear guidelines regarding access of staff/visitors in identified areas especially in children's dormitories/toilets		
III. MANAGEMENT/ STAFFING PATTERN			
Rule 26: Management and Monitoring of Child Care Institutions	1 Person in Charge		
	2 Counselor		
	3 Child Welfare Officer/ probation officer/Case workers		
	4 House Mother/ House Father		
	1 Medical Officer (Physician)		
	1 Para medical staff		
	1 Store keeper cum accountant		

	1 (part time) Art and Craft cum music teacher		
	1 (part time) PT instructor cum Yoga Trainer		
	1 Driver		
	2 Cook		
	2 Helper		
	2 House Keeping		
	Security Guard		
	Any Other		
	Female Superintendent / Manager /In-Charge available for girls' unit		
Rule 89: Training of Personnel Dealing with Children	Training organized for the staff on - Child Rights Protection		
	Care Giving		
	Rehabilitation		
	Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015		
	Mission Vatsalya		
Rule 76: Abuse and Exploitation of the child	Training and Orientation of care givers		
	Training and Orientation of children		
Rule 65: Rehabilitation-cum-Placement Officer	Rehabilitation-cum-Placement Officer		
Rule 61: Duties of the Person-in-charge of a Child Care Institution	Superintendent/Manager/ In-charge stay on the campus		
IV. FUNCTIONALITY			
Rule 29: Physical Infrastructure	Computer with internet accessibility		
	Records stored safely		
	Essential Details including- Emergency Numbers		
	Duty Chart		
	Menu Chart		
	Attendance Status		
	Weekly Programme Schedule		
	Safe transport facility for children attaining education outside the campus		
	Separate facilities for children from staff and management		
	Facilities and support (equipment, staff, teaching and learning materials/aids) for children with special needs		

	visual needs		
	Intellectual needs		
	hearing needs		
	others		
	Rooms and dormitories is free of unstable heavy equipment, furniture, or other items that children could pull down on themselves		
Rule 67: Security Measures	Privacy maintained in toilets and bathing areas		
	Basic emergency medical care equipment available		
	Special emergency medical care equipment available		
V. PREVENTION AND PROTECTION FROM ABUSE			
Rule 76: Abuse and Exploitation of the child	Standard operating procedure for child protection		
	Functional and accessible complaint and grievance redressal mechanism including for abuse prevention is in place, such as-		
	Suggestion-Box		
	Child Helpline		
	CCTV Cameras		
	Children Committees		
	Regular Staff-Children Interface		
VI. DAILY ROUTINE AND FACILITIES			
Rule 32: Daily Routine	Daily routine is drawn up in consultation with the children's committee and/or with children's participation or as per the need		
	Daily routine is on public display at prominent places in the institution		
Rule 38: Recreational Facilities	Enough/safe toys are available and accessible to children		
	Enough suitably equipped outdoor space for play is available and accessible to children		
VII. NUTRITION AND RECREATION			
Rule 33: Nutrition and Diet Scale	Staff is aware of the nutritional requirement of children at varying stages of development		
Rule 38: Recreational Facilities	Indoor recreation facilities are available for children		
	Outdoor recreation facilities are available for children		
	Any innovative activities to develop cooperation/ participation, resilience, etc. are harnessed		

VIII. CLOTHING, BEDDING HYGIENE			
Rule 30: Clothing, Bedding, Toiletries and other articles	clean, seasonal and age appropriate clothes, articles and toiletries as per norms are available		
	clean, seasonally appropriate mats and sleeping materials as per norms are available		
Rule 31: Sanitation and Hygiene	Sleeping material is cleaned /sanitized regularly or before reuse as needed		
	Rooms are regularly fumigated, disinfected and material provided to each child for prevention of infection and disease		
	secured space to store personal belongings is available for each child		
	Whether following facilities available in Home for children:		
	Fans		
	Coolers		
	Air Conditioner		
	Heaters for Winter		
IX. HEALTH CARE			
Rule 34/35: Medical Care/ Mental Health	Nurse/paramedical staff is available in the Home at night		
	Staff is trained to provide First Aid		
X. EDUCATION			
Rule 36/69: Education	To provide age appropriate education option is available		
Rule 37: Vocational Training	Option for age appropriate, feasible and market oriented is available		
XI. RECORD MAINTENANCE			
Rule 77: Maintenance of Registers	Master Admission and discharge register		
	Supervision register		
	Medical File and Medical Report		
	Attendance register of children and staff		
	Order Book		
	Inquiry report file		
	Children's suggestion book/file		
	Voucher, Cash Book, Ledger, Journal and Annual Accounts		
	Grant utilization register		
	Stock register		
	Nutrition/diet register		

	Budget statement register		
	Visitors' book		
	Staff movement register		
	Personal belonging register		
	Children's movement register		
XII. FINANCIAL TRANSPARENCY			
	Details of information about the sources of funding and that of the organisation as whole/ separately available		
	Sources of Funding- Government		
	National Donors		
	International Donors under the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010		
	Corporate Donors		
	Own sources		
	Others		
Rule 53: Accounts and audit of the Authority	Details of project wise Bank Account(s) maintained by it with A/c No, purpose, amount received including FCRA Account available		

I. RECOMMENDATION BY DISTRICT MAGISTRATE FOR REGISTRATION -

1. Details of violations or discrepancies or not as per norms observed:-
2. The district already has _____No. of Child Care Institutions (viz.,_____Children Home, _____Observation Home, _____Shelter Home, _____Special Home, _____Special Adoption Agency) and _____Juvenile Justice Boards,_____ Child Welfare Committees, _____District Inspection Committees and **has /does not have** (*tick as applicable*) a requirement for additional Child Care Institution.
3. In view of the above, the said Child Care Institution is recommended for consideration for registration/renewal of registration.

OR

In view of the above, the said Child Care Institution is not recommended for consideration for registration / renewal of registration. (*whichever is applicable*)

Sign and Stamp
(Name)

District Magistrate

District _____

State _____

Date _____

68. In the principal rules, after Form 46, the following Forms shall be inserted, namely: –

“Form 47

[Rule 21A(5), (8) and (9)]

INSPECTION FORM FOR GROUP FOSTER CARE

(Fill as applicable)

Date and time of visit:

Name and designation of the officials inspecting the Home :

1.

2.

3.

Name and address of Group Foster Care:

Name of Foster Parents:

Contact No.

E-mail ID:

Indicator	Status (Yes or No)	Remarks (In case of No Compliance or Partial Compliance)	
LEGAL STATUS			
Previous registration of the facility as a Group Foster Care			Rule 21A: Registration of the Child Care Institutions
Duration of previous registration			
Whether the registration of Group Foster Care was cancelled at any time		If yes, specify reason	
Mandatory police verification of each of the individuals has been done or not			
STATUS OF CHILDREN			
Sanction capacity (in numbers)			
Total number of Children placed in Institution			
Number of biological children			
Number of children placed under foster care by the Child Welfare Committee			
Number of children placed under foster care without the orders of the Child Welfare Committee			
Number of siblings placed in the foster care			
Are there children in the age group of 0-5 years staying there? (Specify number)			
No. of new placements in the current month			
No. of children who have moved out in the current month, including:			

No. of children restored to family			
No. of children moved in CCI			
No. of children given in adoption			
Number of children with special needs placed in the foster care			
PHYSICAL INFRASTRUCTURE			
Building (Rented or owned)			Rule 29: Physical Infrastructure
Number of rooms are sufficient for sanctioned capacity of children			
Kitchen, available or not			
Recreation with television			
Number of Bathrooms are sufficient for sanctioned capacity of children			
Individual beds are available and provided to children			
Children segregated according to age group for stay			
Children segregated according to gender for stay			
INFRASTRUCTURAL FACILITY			
Whether rooms are free of unstable heavy equipment, furniture, or other items that could harm children, or not			Rule 26: Management and Monitoring of Child Care Institutions
Whether good condition of ceilings walls, floor coverings, draperies, curtains, blinds, furniture, fixtures, and equipment			
Privacy maintained in toilets and bathing areas or not			Rule 67: Security Measures
Basic emergency medical care equipment available or not			
Special emergency medical care equipment available or not			
CHILD CARE FACILITIES			
Enough/safe toys are available and accessible to children or not			Rule 38: Recreational Facilities
Enough suitably equipped outdoor space for play is available and accessible to children or not			
PREVENTION AND PROTECTION FROM ABUSE			
Whether Standard operating procedure for child protection is in place or not			Rule 23: Foster Care
Whether restricting/restraining children's movements by binding, tying or any other form, is practiced or not			

Whether food, rest or toilet is withheld or not			
Whether any previous cases of child abuse, neglect, cruelty etc. reported against the foster family or not (<i>Give Details</i>)			
NUTRITION			
Whether Foster Family is aware of the nutritional requirement of children at varying stages of development or not			Rule 33: Nutrition and Diet Scale
Whether meals are planned in consultation with children or not			
CLOTHING, BEDDING HYGIENE			
Whether all children are provided individual, clean, seasonal and age appropriate clothes, articles and toiletries as per norms or not			Rule 30: Clothing, Bedding, Toiletries and other articles
Whether sleeping material is cleaned /sanitised regularly or before reuse as needed or not			Rule 31: Sanitation and Hygiene
Rooms are regularly cleaned			
Whether each child has been allocated a secured space to store personal belongings or not			
HEALTH CARE			
Whether Foster Family is trained to provide First Aid or not			
Whether Foster Family is aware of basic medicines which would be required to be administered to children in case of sickness, emergencies or not			
EDUCATION			
Whether all children are provided with age appropriate formal education or not			
Whether all children are admitted in school or not			
Whether all children are attending and going to school regularly or not			
Whether Foster Family is able to help the children with their education like homework, projects, presentations or not			
RECREATION			
Whether indoor recreation facilities are available for children or note			Rule 38: Recreational Facilities
Whether outdoor recreation facilities are available for children or not			

MAINTENANCE OF RECORDS			
Group Foster Care maintains all the relevant information of the child i.e. --			
Individual case file			
Social Investigation Report			
Individual Care Plan			
Case History			
CWC Orders			
Child Study Report (CSR)			
Home Study Report (HSR)			
Birth Certificate			
Quarterly Progress Report			
Health report			
FINANCIAL COMPLIANCES			
Details of information about the sources of income of Foster Family is available			
Foster Family has sufficient income to provide for sanctioned capacity of foster children			
Other sources of funding (Government/Private)			
IT returns record of each of the individuals for the last three years			
INSPECTIONS			
The Home has been inspected by the Inspection Committee			Rule 44: Inspection
Feedback was provided on the inspection by the Inspection Committee			
The feedback report is positive			
The Home is being inspected by the Child Welfare Committee every month			
The Home has been inspected by the National Commissions for Protection of Child rights/State Commissions for Protection of Child Rights			Section 109/Rule 91: Monitoring by National/State Commission for Protection of Child Rights
Feedback was provided on the inspection by the National Commissions for Protection of Child rights/ State Commissions for Protection of Child rights			
The feedback report is positive			
Any improvement has taken place based on the Inspection Reports			

I. Violations

(a) Violation of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

If yes, whether Section 19 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 was followed:

(b) Any Other Violation/Observation/Remarks:

II. RECOMMENDATION BY DISTRICT MAGISTRATE FOR REGISTRATION

4. In view of the above, it is recommended that the said Group Foster Care is fit for providing registration/renewal of registration and if not the case – not fit to provide registration/ renewal of registration.

Sign and Stamp

(Name)

District Magistrate

District _____

State _____

Date _____

FORM 48

[Rule 21(A)(7)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF GROUP FOSTER CARE

After perusal of the documents and on the basis of an inspection of the facility conducted on *(date)*..... the facility is recognized as a Group Foster Care under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 with effect from..... for a period ofyears.

The Group Foster Care shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 and regulations framed by the appropriate Government from time to time.

Dated this.....day of20

(Signature)

(Seal)

Name and Designation.....

FORM 49

[RULE 15(4A)]

AFFIDAVIT BY THE PERSON APPLYING FOR CHAIRPERSON OR MEMBER OF THE COMMITTEE

I applying for the position of Chairperson/Member of Child Welfare Committee, hereby certify that I am not barred by any of the conditions laid down in Section 27(4A) of the Act, i.e.,

(i) I do not have any past record of violation of human rights or child rights,

(ii) I have not been convicted of an offence involving moral turpitude, and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence,

(iii) I have not been removed or dismissed from service of the Government of India or State Government or an undertaking or corporation owned or controlled by the Government of India or State Government,

(iv) I have never indulged in child abuse or employment of child labour or immoral act or any other violation of human rights or immoral acts, or

(v) I am not part of management of a child care institution in a District.;

2. If found otherwise by the State Government, I shall be liable for punitive action.

(Signature of the person)

Name and other particulars

FORM 50*[RULE 21A (2)]***DECLARATION BY THE FOSTER FAMILY/PERSONS APPLYING FOR GROUP FOSTER CARE**

I/we applying for the Group Foster care hereby certify that:

- (i) I/we do not have any previous conviction record.
- (ii) I/we are not involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour.
- (iii) I/we have not been black listed by the Central or State Government.

2. If found otherwise by the State Government, I shall be liable for punitive action and immediate disqualification.

(Signature of persons/foster family)

Name and other particulars”

[F. No. CW-II-11/1/2016-CW-II-Part (1)]

TRIPTI GURHA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number GSR 898(E), dated 21st September, 2016.